सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन हेतु तैयारी

[लोक लेखा समिति के 32वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

लोक लेखा समिति
(2022-23)

साठवां प्रतिवेदन

सत्रहवीं लोक सभा

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

पीएसी संख्या 2288

साठवां प्रतिवेदन

लोक लेखा समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन हेतु तैयारी

[लोक लेखा समिति के 32वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

सत्यमेव जयते

14.12.2022 *को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।*
14.12.2022 *को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।*

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसंबर, 2022 / अग्रहायण, 1944 (शक)

(ii)

विषय सूची

पृष्ठ

लोक लेखा समिति (2022-23) की संरचना

प्राक्कथन .....

अध्याय-एक प्रतिवेदन .....

अध्याय-दो* टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

अध्याय-तीन* टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती.....

अध्याय-चार* टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है.....
.....

अध्याय-पांच* टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर प्रस्तुत कर दिए हैं.....

परिशिष्ट*

एक. लोक लेखा समिति (2022-23) की 5 दिसंबर, 2022 को हुई 12वीं बैठक का कार्यवाही सारांश।

दो. लोक लेखा समिति के 32वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण।

**प्रतिवेदन की साइक्लोस्टाइल प्रति के साथ संलग्न नहीं किया गया।*

लोक लेखा समिति (2022-23) की संरचना

श्री अधीर रंजन चौधरी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
3. श्री भर्तृहरि महताब
4. श्री जगदम्बिका पाल
5. श्री विष्णु दयाल राम
6. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
7. श्री राहुल रमेश शेवाले
8. श्री जी. एम. सिद्देश्वर
9. श्री बृजेन्द्र सिंह
10. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'
11. डॉ. सत्यपाल सिंह
12. श्री जयंत सिन्हा
13. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
14. श्री राम कृपाल यादव
15. श्री श्याम सिंह यादव

राज्य सभा

16. श्री शक्तिसिंह गोहिल
17. श्री भुबनेश्वर कालिता
18. डॉ. अमर पटनायक
19. डॉ. सी.एम. रमेश
20. रिक्त*
21. डॉ. एम. थंबीदुरई
22. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी

सचिवालय

1. श्री टी.जी. चन्द्रशेखर - अपर सचिव
2. श्री तीर्थंकर दास - निदेशक
3. श्रीमती अंजू कुकरेजा - उप सचिव

---

*श्री वि. विजयसाई रेड्डी 21 जून, 2022 को राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप समिति के सदस्य नहीं रहे।

प्राक्कथन

मैं, लोक लेखा समिति (2022-23) का सभापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर, नीति आयोग से संबंधित "सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन हेतु तैयारी" विषयक लोक लेखा समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी यह साठवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं।

2. बत्तीसवां प्रतिवेदन 15 मार्च, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया/राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार से उत्तर प्राप्त हो गए थे। समिति ने 5 दिसम्बर, 2022 को हुई अपनी बैठक में साठवें प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया। समिति की बैठक का कार्यवाही सारांश परिशिष्ट–एक में दिया गया है।

3. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से, समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन में **मोटे** अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

4. समिति, इस मामले में समिति सचिवालय और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा उनको दी गई सहायता की सराहना करती है।

5. बत्तीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट–दो में दिया गया है।

अधीर रंजन चौधरी
सभापति,
लोक लेखा समिति

नई दिल्ली;
07 दिसंबर,2022
16 अग्रहायण, 1944 (शक)

भाग – एक

प्रतिवेदन

लोक लेखा समिति का यह प्रतिवेदन "सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन हेतु तैयारी"विषयक समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में है।

2. बत्तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा), जिसे 15 मार्च, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था/राज्य सभा के पटल पर रखा गया था, में 20 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं। नीति आयोग से सभी टिप्पणियों/सिफारिशों से संबंधित की-गई-कार्रवाई टिप्पण प्राप्त हो गए हैं और इन्हें मोटे तौर पर निम्नवत श्रेणीबद्ध किया गया है-

(एक) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है:

पैरा सं. 1 से 20

कुलः 20

अध्याय-दो

(दो) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार से प्राप्त उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती:

शून्य

कुलः शून्य

अध्याय-तीन

(तीन) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है, और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:

शून्य

कुलः शून्य

अध्याय-चार

(चार) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार से अंतरिम उत्तर प्राप्त हुए हैं/कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है:

शून्य

कुलः शून्य

अध्याय-पांच

3. लोक लेखा समिति (17वीं लोकसभा) का बत्तीसवां प्रतिवेदन सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन हेतु सरकार की तैयारियों की लेखापरीक्षा समीक्षा पर आधारित था, लेखापरीक्षा ने एसडीजी के कार्यान्वयन की तैयारियों में कई कमियां पाई यथाप्राप्त किए जाने वाले एसडीजी लक्ष्यों के साथ संरेखित परिभाषित माइलस्टोन के साथ एक रौडमैप तैयार करने की दिशा में उपायों की शुरूआत न होना, नियमित अंतराल पर बहु-विषय कार्य बल की बैठकों का आयोजन न होना, पंद्रहवर्षीय विजन दस्तावेज़ को अंतिम रूप देने में विलंब, चयनित राज्यों में मानचित्रण संबंधि कार्य व्यापक, केंद्रित या निरंतर नहीं थे, किसी भी केंद्रीकृत जन जागरूकता अभियान की परिकल्पना नहीं की गई थी, रणनिति दस्तावेज में वित्त पोषण और बजट आवश्यकताओं का अनुमान नहीं लगाया गया था, एनआईएफ के अनुमोदन में विलंब से एसडीजी के कार्यान्वयन संबंधी निगरानी और रिपोर्टिंग ढांचे को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ था। राष्ट्रीय संकेतकों के लिए माइलस्टोन की पहचान करने का कोई प्रस्ताव नही था, लक्ष्य-3 के संबंध में जागरूकता और पणधारकों की भागीदारी हेतु विशिष्ट और निरंतर उपाय राज्यों में नहीं देखे गए, राज्यों में नीतिगत सुसंगतता संबंधी पहलें या तो थी नहीं या अपर्याप्त थी, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि की आवश्यकता और कुछ स्वास्थ्य संबंधी संकेतकों आदि के लिए नियमित/समान डेटा की अनुपलब्धता। समिति ने तदनुसार अपने बत्तीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोकसभा) में अपनी टिप्पणियां/सिफारिशें की। इस प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट महत्वपूर्ण टिप्पणियों/सिफारिशों का सार नीचे दिया गया है:

क) समिति इस संबंध में उचित स्पष्टीकरण की आशा करते हुए, नीति आयोग से आग्रह करती है कि वह त्रैमासिक अंतराल पर बैठकें आयोजित कराएं, ताकि नियमित रूप से सुझाव/फीडबैक मिलता रहे और तदनंतर निगरानी प्रक्रिया बेहतर हो सके।

ख) समिति यह चाहती थी कि नीति आयोग आवश्यक दस्तावेजों को तेजी से पूरा करने तथा एसडीजी तथा संबंधित लक्ष्यों की, उपलब्धियों में तेजी लाने के लिए प्रभावी समन्वय/निगरानी तंत्र स्थापित करने हेतु उक्त मामले को चूककर्ता राज्यों के साथ उठाए।

ग) समिति की राय थी कि युवा पीढ़ी के साथ भविष्य की प्रतिबद्धताएं साझा किए जाने की आवश्यकता है। अतः, समिति, आशा करती है इस दिशा में किए गए उपायों से उसे अवगत कराया जाए।

घ) समिति चाहती थी कि नीति आयोग के पास राज्यों तथा आम जनता तक पहुंच बनाने के लिए इंटरोक्टिव वेब पेज होना चाहिए।

ङ) समिति चाहती थी कि एसडीजी की उपलब्धि की दिशा में उनके संसाधनों और क्रियाकलापों का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाने हेतु निजी क्षेत्र के लिए नीति आयोग विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करे। विकास प्रक्रिया में साझीदारों के रूप में नियोजित और सतत विकास चुनौतियों को हल करने की दिशा में अपनी सृजनात्मकता और नवाचार लागू करने के लिए व्यवसायों को आमंत्रित करने की आवश्यकता है। समिति यह भी चाहती है कि एनजीओ और इसी तरह के अन्य संगठन धर्मार्थ कार्य से जुड़े हैं, उन्हें विभिन्न माध्यमों से एसडीजी के बारे में अवगत कराया जाए और उन्हें एसडीजी संबंधी जागरूकता कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

च) अतः समिति ने सिफारिश की कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय शीघ्रता से प्रभावी कदम उठाए ताकि सभी संकेतकों के लिए माइलस्टोन की पहचान हो सके और इन संकेतकों पर सही तरीके से काम शुरू किया जा सके।

छ) अतः समिति चाहती थी कि संबंधित मंत्रालयों और कार्य बल की बैठकों के अलावा, संसद सदस्यों, विधायकों, अध्यक्ष, जिला पंचायत, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, ब्लॉक स्तर के अधिकारी आदि को भी जागरूकता बढ़ाने के कार्य से जोड़ा जाए ताकि एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रभावी भागीदारी हो सके।

ज) इसलिए, समिति ने सिफारिश की कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं की निगरानी के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करे ताकि सभी राज्य मैपिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो सकें।

झ) अतः, समिति चाहती थी कि सूदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के विचार से, प्रत्येक आरोग्य केन्द्र में अर्द्ध चिकित्सा कर्मचारी के साथ कम-से-कम एक एलोपैथिक डॉक्टर को भी तैनात किया जाना चाहिए। समिति महसूस करती है कि डॉक्टरों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के अलावा, नियमित अंतराल पर आरोग्य केन्द्रों के कार्यकरण की लगातार निगरानी करने की भी आवश्यकता है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से गरीब के लिए वहनीय, प्रभावी और विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

4. समिति अब मूल प्रतिवेदन में की गई उन टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार करेगी जिन्हें दोहराए जाने या जिन पर टिप्पणी किए जाने की आवश्यकता है।

एक.<u>एसडीजी से संबंधित कार्यकलापों को मुख्यधारा में लाने की दिशा में प्रयास</u>

(सिफारिश पैरा सं. 2)

5. समिति ने यह नोट किया कि नीति आयोग ने विज़न/नीतिगत दस्तावेज तैयार करने: नोडल संरचनाएं सृजित करने; लक्ष्यों की मैपिंग करने; कार्यान्वयन, निगरानी तथा मूल्यांकन हेतु क्षमता निर्माण करने; राज्य विशिष्ट संकेतक तैयार करने और एसडीजी के साथ बजट समायोजित करने इत्यादि जैसे कार्यकलापों को सामान्य बनाने हेतु विविध क्षेत्रों के पणधारकों के साथ परामर्श किए हैं और राज्यों और संघ राज्यों के साथ आवधिक समीक्षाएं की हैं। तथापि, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने के समय तक एसडीजी लक्ष्यों के अनुरूप निर्धारित माइलस्टोन दर्शाते हुए कोई रूपरेखा तैयार नहीं की गई थी। समिति ने इस संबंध में यह नोट किया कि एसडीजी हेतु माइलस्टोन 2030-एजेंडा का भाग है। इनकी प्राप्ति हेतु सभी पणधारकों द्वारा व्यापक और समन्वित प्रयास किए जाने आवश्यक है। समिति यह नोट कर आश्चर्यचकित थी कि नोडल संस्थान, नीति आयोग ने लेखापरीक्षा द्वारा मामला उठाए जाने के बाद ही रूपरेखा तैयार करने के मामले को राज्यों के साथ उठाया है। इस संबंध में समिति की राय थी कि भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में की गई प्रतिबद्धता के प्रति प्रारंभिक चरण में ही प्रत्यक्ष रूप से अनुचित रवैया एसडीजी की प्राप्ति में भारत की बेहतरीन छवि को प्रभावित करेगा। अत:, समिति ने नीति आयोग को परामर्श दिया कि वह विलंबित कार्रवाई की भरपाई करने हेतु समुचित उपाय करे। साथ ही, यह भी उपयुक्त होगा कि कार्य आबंटन में एसडीजी के कार्यान्वयन में नीति आयोग की भूमिका को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाए। समिति यह भी चाहती थी कि उसे सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा रूपरेखा तैयार किए जाने तथा चूककर्ता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों विरुद्ध किए गए उपचारात्मक उपायों के संबंध में अद्यतन जानकारी प्रदान की जाए।

6. नीति आयोग ने अपने की-गई-कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत् बताया:

> "किसी रोडमैप में आमतौर पर उद्देश्य, उपलब्धि-चरण (माइलस्टोन), परिणाम (डिलीबरेवल) और योजनाबद्ध समयसीमा शामिल होती है। एसडीजी रोडमैप के इन प्रमुख अवयवों को विकसित करने में मदद करने के लिए नीति आयोग वर्ष 2016 से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कार्य कर रहा है। जैसा कि पहले से ही कायम है, अन्य देशों के साथ भारत द्वारा समर्थित एसडीजी और संबद्ध लक्ष्यों में उद्देश्यों और उपलब्धि-चरण (माइलस्टोन) को स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विजन दस्तावेज़ों में एसडीजी की पुन:पुष्टि की गई हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्यनीतियां इंगित की गई हैं और उस दिशा में लागू किए जा रहे कार्यक्रमों और पहलों के बारे में भी सूचित किया गया हैं। योजनाओं/कार्यक्रमों और विभागों की एसडीजी मैपिंग भी उन्हें एसडीजी कार्यान्वयन की दिशा में पुनर्निर्देशित करती है। राज्य के

एसडीजी संकेतक फ्रेमवर्क, जिन्हें राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क के अनुरूप और संबंधित राज्यों की प्रासंगिक विशिष्टताओं को संबोधित करते हुए तैयार किया जाता है, को अपनाते हुए योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी पर और ध्यान केंद्रित किया गया है। संकेतकों के साथ की गई निगरानी समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए डिलिवरेबल्स (कार्यक्रम आउटपुट) पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। अब तक, अधिकांश राज्य (गोवा, केरल, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल को छोड़कर) और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप तथा दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव को छोड़कर) में विजन दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं। इसी तरह, अधिकांश राज्यों (बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब और तेलंगाना, जहां इसे तैयार किया जा रहा है, को छोड़कर) और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा दिल्ली) ने पहले ही राज्य संकेतक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। नीति आयोग निगरानी के लिए राज्य संकेतक फ्रेमवर्क की तैयारी और उपयोग हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ लगातार संपर्क कर रहा है।

वर्ष 2018 से वार्षिक रूप से परिकलित एसडीजी इंडिया इंडेक्स ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एसडीजी के कार्यान्वयन और उपलब्धि की दिशा में उनके प्रयासों को आगे बढ़ाने में काफी प्रभावी भूमिका निभाई है। यह नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर एसडीजी उपलब्धि के संदर्भ में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की स्थिति को दर्शाता है और उनके प्रदर्शन को श्रेणीबद्ध करता है। भारत को, राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तरों पर एसडीजी की प्राप्ति की निगरानी में ऐसे साधन को विकसित करने, अपनाने और नियमित रूप से इसका उपयोग करने वाले, अग्रणी देश के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाती है।"

7. नीति आयोग के उपर्युक्त उत्तरों की पुनरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा में निम्नानुसार कहा गया है-

"नीति आयोग ने कार्य नियतन में एसडीजी के कार्यान्वयन में अपनी भूमिका को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने के संबंध में लोक लेखा समिति की सिफारिश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विजन दस्तावेज और राज्य संकेतक रूपरेखा की तैयारी अभी पूरी की जानी है। जैसा कि लोक लेखा समिति चाहती थी कि चूक करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विरुद्ध किए गए उपाय स्पष्ट किए जाएं।"

8. उपर्युक्त लेखापरीक्षा टिप्पणी के उत्तर में, नीति आयोग ने निम्नानुसार बताया:

"कार्य नियतन नियमावली को संशोधित करना नीति आयोग के अधिकार में नहीं है।

यह सुनिश्चित करने के संबंध में कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विजन दस्तावेज और राज्य संकेतक रूपरेखा तैयार करते हैं, नीति आयोग द्वारा किए जाने वाले उपायों की तीन श्रेणियां होती है। नीति आयोग संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बैठकों में इस मामले को उठाता है। दूसरा, यह राज्यों और प्रेस के साथ आम समीक्षा बैठक में मुद्दों को कार्रवाई के लिए उठाता है। तीसरा, एसडीजी इंडिया इंडेक्स प्रतिवेदन के अंतर्गत तुलना और रैंकिंग के संदर्भ में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रदर्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें पर्याप्त प्रभावशाली और प्रेरक शक्ति निहित होती है।"

9. अपने मूल प्रतिवेदन में समिति ने पाया था कि लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने तक एसडीजी लक्ष्यों के साथ संरेखित परिभाषित लक्ष्यों के साथ एक रुपरेखा तैयार करने का कार्य शुरू नहीं किया गया था। विलंबित कार्रवाई की क्षतिपूर्ति के लिए उपयुक्त उपाय करने के लिए नीति आयोग से आग्रह करते हुए समिति ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रुपरेखा तैयार करने की वर्तमान स्थिति और चूककर्ता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विरुद्ध किए गए उपचारात्मक उपायों से अवगत होना चाहा। इस संबंध में नीति आयोग ने अपने एटीएन में समिति को सूचित किया कि अभी तक अधिकांश राज्यों (गोवा, केरल मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल को छोड़कर) और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और दादरा तथा नगर हवेली तथा दमन और दीव को छोड़कर) ने विजन दस्तावेज तैयार किए हैं। इसी प्रकार, अधिकांश राज्यों (बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब और तेलंगाना को छोड़कर, जहां यह तैयार किया जा रहा है) और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली) ने पहले ही राज्य संकेतक रूपरेखा तैयार कर ली है। दी गई सूचना से, यह स्पष्ट है कि कई राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पास न तो विजन दस्तावेज तैयार है और न ही राज्य संकेतक रूपरेखा तैयार की गई है। इसके अतिरिक्त, जहां तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रुपरेखा तैयार करने की दिशा में की गई

कार्रवाई का संबंध है, नीति आयोग ने केवल यह कहा है कि वे निगरानी के लिए राज्य संकेतक रूपरेखा तैयार करने के मामले में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई कर रहे हैं। इस मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, समिति यह देखकर खिन्न है कि नीति आयोग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई ईमानदार प्रयास नहीं किए गए हैं कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपना विजन दस्तावेज और राज्य संकेतक ढांचा तैयार करें। समिति इस बात से भी चिंतित है कि नीति आयोग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं कि राज्य सरकारें दस्तावेज तैयार करें। लेखा परीक्षा द्वारा अपने लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और समिति के 32वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिश द्वारा रेखांकित करने के बाद समिति इस प्रासंगिक मुद्दे के प्रति ढुलमुल रवैये को स्वीकार नहीं कर सकती है। यद्यपि, नीति आयोग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निश्चित परिभाषित माइलस्टोन के साथ अपनी रुपरेखा तैयार करें, फिर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस संबंध में की गई अपनी सिफारिशों को दोहराते हुए समिति ने नीति आयोग पर उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खिलाफ कुछ कड़े उपाय करने पर जोर दिया जिन्होंने अभी तक रुपरेखा तैयार नहीं की हैं। विजन दस्तावेज और स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क तैयार करने में देरी के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है। समिति इस संबंध में की गई कार्रवाई के ब्यौरे के साथ-साथ सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रुपरेखा के विकास की वर्तमान स्थिति और चूककर्ता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विरुद्ध की गई सुधारात्मक कार्रवाई के बारे में अवगत होना चाहेगी।

दो. <u>बहुविषयक कार्यबल की बैठकें</u>

<u>(सिफारिश पैरा संख्या 3)</u>

10. समिति ने पाया कि राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों में एसडीजी सम्बन्धी कार्य की सीधे समीक्षा करने के अतिरिक्त, नीति आयोग ने अगस्त 2017 में एसडीजी के कार्यान्वयन का विश्लेषण और समीक्षा करने के लिए एक बहु-विषयक कार्य बल का गठन किया था। यद्यपि कार्य बल को प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करना आवश्यक था, समिति ने पाया कि इसके गठन के बाद से केवल दो बैठकें आयोजित की गई थीं। समिति ने इस संबंध में उपयुक्त स्पष्टीकरण की अपेक्षा करते हुए, नीति आयोग से त्रैमासिक अंतराल पर बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि सुझाव/प्रतिक्रिया अधिक बार उपलब्ध हो सके, और परिणामस्वरूप निगरानी प्रक्रिया को बढ़ावा मिल सके।

11. अपने की-गई-कार्रवाई टिप्पण में, नीति आयोग ने निम्नवत बताया:

"एसडीजी कार्यबल के सदस्य दल में नीति आयोग से चार, विदेश मंत्रालय तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से एक-एक, राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) से एक, विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और विकास प्रणाली (आरआईएस) से एक प्रतिनिधि के साथ-साथ वार्षिक रोटेशन के आधार पर तीन राज्य सरकारों और एक केंद्रीय मंत्रालय से एक-एक प्रतिनिधि शामिल हैं। अनुभव से पता चलता है कि केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों की भागीदारी सीमित और प्रतिबंधात्मक थी तथा अन्य राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों, जो नियमित आधार पर कार्यबल का हिस्सा नहीं थे, में व्यतिरेक की भावना की संभावना पैदा करने वाली थी। विशेषज्ञों की भागीदारी को भी और अधिक वैविध्यपूर्ण बनाने की आवश्यकता है। इसलिए, 2020 वीएनआर को तैयार करने संबंधी बैठक के बाद, मुख्य रूप से महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के कारण, उक्त कार्यबल की कोई अन्य बैठक नहीं की गई है। हालांकि, और अधिक व्यापक रूप से सोर्स किए गए तकनीकी सलाहकारों के समूह का गठन किया जा रहा है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित परामर्श किए जा रहे हैं।"

12. उपर्युक्त की-गई-कार्रवाई टिप्पण पर अपनी पुनरीक्षण टिप्पणियों में, लेखापरीक्षा ने निम्नवत बताया:

"लोक लेखा समिति मंत्रालय के इस जवाब पर उचित विचार कर सकती है कि 2020 में स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (वीएनआर) तैयारी बैठक के बाद कार्यबल की अन्य कोई बैठक नहीं हुई है। इसके अलावा, उक्त समूह की बैठकों के परिणामों के साथ गठित किए जा रहे तकनीकी सलाहकार समूह की संरचना लोक लेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए।"

13. उपर्युक्त लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर में, नीति आयोग ने निम्नानुसार बताया:

"व्यापक परामर्शी और तकनीकी सहायता प्राप्त करने की दृष्टि से, दिनांक 20.09.2021 को सतत विकास लक्ष्य कार्यबल का पुनर्गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। आठ केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित आधार पर शामिल करने के लिए अब कार्यबल की सदस्यता का विस्तार किया गया है। यह कार्यबल के रणनीतिक दिशा और इसके निपटान संबंधी विशेषज्ञता में सुधार करता है। अगली बैठक अक्टूबर 2021 के दूसरे पखवाड़े में आयोजित की जाएगी।"

14. यह देखते हुए कि अगस्त 2017 में बहु-विषयक कार्य बल के गठन के बाद से एसडीजी के कार्यान्वयन का विश्लेषण और समीक्षा करने के लिए केवल दो बैठकें आयोजित की गई थीं, समिति ने अपने 32वें प्रतिवेदन में नीति आयोग को तिमाही अंतराल पर ऐसी बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था ताकि उनके सुझाव / प्रतिक्रिया अधिक बार प्राप्त की जा सके। नीति आयोग ने अपने की गई कार्रवाई टिप्पणों में अन्य बातों के साथ-साथ सूचित किया है कि केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों की भागीदारी सीमित और प्रतिबंधात्मक थी और विशेषज्ञों की भागीदारी भी अधिक व्यापक आधार पर होने की आवश्यकता है। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि शीर्ष नीति-निर्माण निकाय, नीति आयोग, कार्यबल का गठन करते समय इन बाधाओं का अनुमान नहीं लगा सका और कामचलाऊ दृष्टिकोण का सहारा लिया। समिति ने महसूस किया कि एसडीजी के कार्यान्वयन का विश्लेषण और समीक्षा करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और नीति आयोग को कार्यबल का गठन करते समय सभी सहवर्ती तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एक अधिक पेशेवर दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था ताकि जिन बाधाओं का सामना करना पड़ा, उन्हें टाला जा सकता था। समिति को यह भी सूचित किया गया कि 2020 वीएनआर तैयारी बैठक के बाद मुख्य रूप से महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के कारण कार्य बल की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी। हालांकि, अब यह सूचित किया गया है कि व्यापक सलाहकार और तकनीकी सहायता तक पहुंच के उद्देश्य से, एसडीजी कार्य बल का 20-09-2021 को फिर से गठन किया गया था, जिसमें बैठकें निर्धारित की गई थीं। हालांकि नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई टिप्पण में नियमित रूप से ऐसी बैठकें आयोजित नहीं करने के कारणों और इस दिशा में किए गए प्रयासों का कोई उल्लेख नहीं है। केवल महामारी की स्थिति को इस संबंध में जिम्मेदार कारक के रूप में उद्धृत किया गया है, जो स्वीकार्य नहीं है और नीति आयोग को महामारी के दौरान ऐसी बैठकों को वर्चुअल रूप से आयोजित करने की संभावनाओं को तलाशना चाहिए था। की गई कार्रवाई टिप्पण में केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों को कार्यबल में शामिल होने के लिए राजी करने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए कदमों का भी उल्लेख नहीं किया गया है। यह इस पहलू पर नीति आयोग के उदासीन दृष्टिकोण को दर्शाता है। समिति पुनः गठित एसडीजी कार्यबल में केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों की भागीदारी की स्थिति जानना चाहेगी। समिति को उन कारणों से भी अवगत कराया जाये, जिन्होंने नीति आयोग को एसडीजी कार्य बल का पुनर्गठन करने के लिए प्रेरित किया, जबकि पहले के कार्य बल ने कुछ भी ठोस नहीं किया था। इसलिए, समिति चाहेगी कि नीति आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करे कि पुनर्गठित कार्यबल की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाएं। समिति का मानना है कि आवश्यकतानुसार नियमित रूप से पुनर्गठित कार्यबल की बैठकें आयोजित करने से न केवल एसडीजी के कार्यान्वयन के विश्लेषण

और समीक्षा के लिए मौजूदा तंत्र को मजबूत किया जा सकेगा, बल्कि नीति आयोग को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रगति पर निरंतर नजर रखने में भी सक्षम बनाएगा। समिति पुनर्गठित कार्यबल की अब तक की बैठकों और उसके परिणामों से भी अवगत होना चाहेगी।

तीन."15 वर्षीय विजन दस्तावेज"तैयार करना
(सिफारिश पैरा सं. 5)

15. समिति यह नोट कर चिंतित थी कि "15 वर्षीय विज़न दस्तावेज"जिसके आधार पर कार्यनीति और एक्शन एजेंडा दस्तावेज तैयार किया जाना है, पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक जारी नहीं किया गया है। समिति विज़न दस्तावेजों को व्यापक बनाने और इसमें राज्यों की अपेक्षाओं तथा प्राथमिकताओं पर विशेष ध्यान देने के लिए नीति आयोग द्वारा की गई पहल की सराहना करती है जिसके कारण मंत्रालयों और राज्यों से जानकारी प्राप्त करने पर विशेष महत्व दिया गया है। यह नोट करते हुए कि नीति आयोग प्रारूप दस्तावेज की समीक्षा कर रहा है और इसे अंतिम रूप दे रहा है और इसने यह कार्य एक बहु-विषयक दल को सौंप दिया है। समिति इस संबंध में यह जानकर आश्चर्यचकित है कि इस मुद्दे को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद ही नीति आयोग ने यह कार्य बहु-विषयक दल को सौंपा। समिति ने यह जानने की इच्छा व्यक्त की थी कि बहु-विषयक दल को गठित किए जाने की तिथि क्या है तथा विज़न दस्तावेज को कब तक अंतिम रूप दिया जाएगा। समिति चाहती थी कि उसे इस संबंध में निश्चायक ब्यौरे से अवगत कराया जाए।

16. अपने की-गई-कार्रवाई टिप्पण में, नीति आयोग ने निम्नवत बताया:

"विजन दस्तावेज तैयार करने का कार्य पिछले 2 वर्ष से चल रहा है। तथापि, कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण इसे तैयार करने में विलंब हुआ है। महामारी के प्रभाव के कारण विकास मॉडल, अवधारणाओं को फिर से तैयार करने की आवश्यकता उजागर हुई है और कोविड के बाद की वास्तविकता को शामिल करते हुए अगले 15 वर्षों के लिए प्रमुख आर्थिक संकेतकों का अनुमान लगाने के लिए डाटा के नए सेट की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, नए अनुमानों की कवायद शुरू कर दी गई है और मार्च, 2022 तक विजन दस्तावेज पूरा होने की उम्मीद है।"

17. समिति यह कहने के लिए विवश थी कि "15 वर्षीय विजन दस्तावेज", जिसे कार्यनीति और कार्य एजेंडा दस्तावेज के आधार के रूप में कार्य करना था, लोक लेखा समिति का 32वां

प्रतिवेदन (17वीं लोकसभा) संसद में प्रस्तुत किए जाने तक जारी नहीं किया गया था। विजन दस्तावेज़ तैयार करने की वर्तमान स्थिति के बारे में समिति को अवगत कराते हुए, नीति आयोग ने अपने की-गई-कार्रवाई टिप्पण में बताया है कि चूंकि महामारी के प्रभाव से विकास मॉडल पुनः तैयार करना आवश्यक हो गया है और अगले 15 वर्षों में, इसके लिए प्रमुख आर्थिक संकेतकों को प्रोजेक्ट करने के लिए नए डेटा की आवश्यकता है इसलिए इस दस्तावेज़ को तैयार करने का कार्य 2022 की शुरुआत तक पूरा होने की उम्मीद है। समिति चाहती है कि विजन दस्तावेज़ तैयार करने और लागू करने के संबंध में वर्तमान स्थिति से उसे अवगत कराया जाए।

चार. <u>एसडीजी लक्ष्य हासिल करने के लिए तैयारी</u>
<u>(सिफारिश पैरा सं. 6)</u>

18. जहां तक राज्य स्तर पर लक्ष्यों को हासिल करने हेतु तैयारी का संबंध है, समिति यह नोट करके क्षुब्ध है कि उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में विजन/कार्यनीति/कार्रवाई कार्यसूची दस्तावेज संबंधी कार्य प्रारंभिक चरण में था। केरल ने वर्ष 2014 में भावी योजना, 2030 तैयार की थी लेकिन योजना की समीक्षा नहीं की गई और न इसे एसडीजी के अनुरूप बनाया गया। छत्तीसगढ़ ने मार्च, 2019 में अपना विज़न 2030 संबंधी दस्तावेज प्रकाशित किया था। समिति को यह देखकर भी खेद हुआ कि चयनित राज्यों में शुरू किया गया मैपिंग कार्य भी व्यापक नहीं था। उदाहरण के तौर पर, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में कतिपय योजनाओं/लक्ष्यों/उद्देश्यों को परिचित्रित नहीं किया गया है। समिति यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य है कि नीति आयोग ने राज्य स्तर पर धीमी गति के कारणों तथा एसडीजी को स्वीकार करने/कार्यान्वित करने में राज्यों को आ रही बाधाओं के बारे में नहीं बताया था। समिति ने इच्छा व्यक्त की कि निगरानी एजेंसी होने के नाते, नीति आयोग को विभिन्न राज्यों के सामने आ रही दिक्कतों को चिन्हित करे तथा पहचाने और इसके समाधान हेतु उनकी सहायता करे इससे समिति को अवगत कराए। समिति यह भी चाहती है कि नीति आयोग आवश्यक दस्तावेजों को तेजी से पूरा करने तथा एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को तेजी से हासिल करने के लिएएक प्रभावी समन्वय/निगरानी तंत्र स्थापित करने हेतु उक्त मामले को चूककर्ता राज्यों के साथ उठाए।

19. उपर्युक्त सिफारिशों संबंधी की-गई-कार्रवाई टिप्पण में, समिति ने निम्नवत बतायाः

"नीति आयोग एसडीजी के स्थानीयकरण के संबंध में, राज्यों के साथ निरंतर बात कर रहा है। गोवा, केरल, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल को छोड़कर राज्यों ने अपना विजन 2030 पूरा कर लिया है/स्वीकार कर लिया है। सभी राज्यों ने अपने मैपिंग दस्तावेजों को भी पूरा कर लिया है और योजनाओं को व्यापक बनाने की दृष्टि से उनकी मैपिंग की समीक्षा की है।

एसडीजी के स्थानीयकरण के संदर्भ में, राज्यों ने एसडीजी के कार्यान्वयन और प्रगति के मूल्यांकन की निगरानी पर जोर दिया है। सभी राज्यों, पंजाब राज्य को छोड़कर, में राज्य संकेतक फ्रेमवर्क (एसआईएफ) मौजूद है। एसआईएफ विभिन्न योजनाओं की निगरानी और संगत एसडीजी लक्ष्यों के लिए यथासंगत उनके आउटपुट/परिणामों की ट्रैकिंग में अत्यंत उपयोगी हैं। राज्यों ने नियमित आधार पर प्रगति की समीक्षा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में उच्च स्तरीय संस्थागत तंत्र स्थापित किये हैं। पिछले एक वर्ष की अवधि में, प्रमुख सरकारी अधिकारियों को एसडीजी, एसडीजी भारत सूचकांक, इंडिकेटर फ्रेमवर्क और प्रगति की ट्रैकिंग जैसे सामान्य विषयों के बारे में जागरूक करने के लिए नीति आयोग ने राज्यों (अन्य राज्यों के साथ-साथ असम, मेघालय, ओडिशा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, सिक्किम) का व्यापक दौरा किया है।

नीति आयोग, चिंताजनक मामलों पर धीमी गति वाले राज्यों के साथ भी कार्य कर रहा है। उदाहरण के लिए, दिनांक 3 जून, 2021 को एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 जारी होने के बाद, नीति आयोग की टीम, उच्च स्तर पर – बहुत से मामलों में मुख्यमंत्री शामिल होते हैं - एसडीजी के कार्यान्वयन की प्रगति पर चर्चा करने, मुद्दों और चिंताओं को उजागर करने तथा सुधारात्मक उपायों का पता लगाने के लिए राज्यों का दौरा करती रही है। अब तक, असम, मेघालय, ओडिशा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड राज्यों का दौरा किया जा चुका है।"

20. लेखापरीक्षा ने अपनी पुनरीक्षण टिप्पणियों में निम्नवत बतायाः

"सतत विकास लक्ष्यों और संबंधित लक्ष्यों की उपलब्धि को शीघ्र ही हासिल करने के लिए प्रभावी समन्वय/निगरानी तंत्र स्थापित करने हेतु उत्तर नहीं दिया गया है।"

21.उपरोक्त लेखापरीक्षा टिप्पणी के उत्तर में, नीति आयोग ने निम्नवत बतायाः

"सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के कार्यान्वयन के समन्वय और निगरानी में नीति आयोग की भूमिका और कार्य का वर्णन किया गया है। इसके अलावा, पुनर्गठित एसडीजी कार्यबल निगरानी और समन्वय प्रक्रिया को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।"

22. अपने मूल प्रतिवेदन में, यह देखते हुए कि नीति आयोग ने राज्यों को केंद्रीय स्तर पर अपनाए जाने वाले तरीके के अनुरूप अपनी मैपिंग करने की सलाह दी है, समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि नीति आयोग आवश्यक दस्तावेजों को तेजी से पूरा करने तथा एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को तेजी से हासिल करने के लिए एक प्रभावी समन्वय/निगरानी तंत्र स्थापित करने हेतु उक्त मामले को चूककर्ता राज्यों के साथ उठाए। अपने की-गई-कार्रवाई टिप्पण में, नीति आयोग ने बताया है कि गोवा, केरल, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल को छोड़कर राज्यों ने अपना विजन 2030 पूरा/स्वीकार कर लिया है। योजनाओं को व्यापक बनाने की दृष्टि से,सभी राज्यों ने अपने मैपिंग दस्तावेजों को पूरा कर लिया है और योजनाओं की मैपिंग की समीक्षा की है। तथापि, नीति आयोग ने एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी समन्वय/निगरानी तंत्र स्थापित करने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। समिति आश्चर्यचकित है कि प्रभावी निगरानी तंत्र के अभाव में, नीति आयोग राज्यों द्वारा लक्ष्यों की उपलब्धि की समीक्षा कैसे कर सकता है और चूककर्ता राज्यों के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा भी कैस कर सकता है। अपनी पूर्व की सिफारिश को दोहराते हुए, समिति नीति आयोग से इस मामले को शेष राज्यों के साथ गंभीरता से उठाने का आग्रह करती है और चाहती है कि इस संबंध में की गई उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई से उसे अवगत कराया जाए। समिति यह भी चाहती है कि इस प्रतिवेदन की प्रस्तुति के तीन महीने की अवधि के भीतर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विजन/कार्यनीति/कार्य एजेंडा दस्तावेज तैयार करने और योजनाओं/लक्ष्यों/ की मैपिंग के पूर्ण/अद्यतन ब्यौरे से अवगत कराया जाए।

पांच. <u>सतत विकास लक्ष्य की कार्यसूची के कार्यान्वयन के लिए संसाधन जुटाना</u>
<u>(सिफारिश पैरा सं. 10)</u>

23. समिति ने यह भी पाया कि एसडीजी कार्यान्वयन हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधनों को आकलन और पहचान करने के लिए केन्द्र में वित्त मंत्रालय अथवा चयनित राज्यों द्वारा कोई व्यापक कार्य नहीं किया गया है। राष्ट्रीय बजट में एसडीजी को एकीकृत करने के लिए केन्द्र स्तर

पर कोई कदम नहीं उठाया गया है और अधिकतर चयनित राज्य आम सभा संकल्प के अनुपालन के 5 साल बाद भी एसडीजी के साथ अपने बजट को उन्मुख करने के केवल प्रारंभिक चरण में थे। समिति ने पाया कि नीति आयोग राष्ट्रीय बजट में वित्तीय संसाधनों संबंधी एसडीजी के एकीकरण की दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में समिति को अवगत कराने में सक्षम नहीं रहा है। समिति द्वारा इस विषय को जांच के लिए लेने के बाद ही, नीति आयोग ने वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ संयुक्त रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और पानी तथा स्वच्छता के क्षेत्र में एसडीजी को प्राप्त करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों के आकलन के लिए एक अध्ययन करने की पहल की। अध्ययन रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। समिति चाहती है कि अध्ययन के परिणाम और नीति आयोग और वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा उस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में भी उसे अवगत कराया जाए। समिति का इस संबंध में यह विचार है कि यहां तक कि केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के साथ एसडीजी के सामंजस्य स्थापित करने की संभावना में भी एसडीजी प्राप्त करने के लाभ को स्पष्ट रूप से बताया जाए ताकि भारत देश की उपलब्धि दिखा सके।

24. नीति आयोग ने अपने की-गई-कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत बताया:

> "शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़कों और पानी और स्वच्छता के क्षेत्रों में एसडीजी प्राप्त करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों का अनुमान लगाने के लिए; "वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों के विभाग) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ संयुक्त रूप से किए गए अध्ययन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।"

25. अपनी पुनरीक्षण टिप्पणियों में लेखापरीक्षा ने यह टिप्पणी की कि अध्ययन रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की संभावित तिथि के बारे में लोक लेखा समिति को सूचित किया जाए।

26. समिति यह जानकर चिंतित है कि वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों के विभाग) द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली सड़कों और जल और स्वच्छता के क्षेत्रों में एसडीजी प्राप्त करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों का आकलन करने के लिए किए गए अध्ययन को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। समिति यह नोट कर चिंतित है कि नीति आयोग ने केवल वही उत्तर प्रस्तुत किया है जो इस विषय पर मूल रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले उनके समक्ष रखा गया था। यह तथ्य कि दो वर्ष बीत जाने के बावजूद अध्ययन को अभी अंतिम रूप दिया जाना है, समिति की

इस धारणा की पुष्टि करता है कि नीति आयोग के साथ-साथ वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों के विभाग) द्वारा इसे यथाशीघ्र पूरा करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। समिति ऐसी अध्ययन रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में विलंब के कारणों और इसे पूरा किए जाने की सटीक तारीख के बारे में जानना चाहेगी। समिति चाहेगी कि नीति आयोग अध्ययन को अंतिम रूप देने में देरी पर समिति की चिंता से वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों के विभाग) को अवगत कराए और उनसे इसमें तेजी लाने का अनुरोध करे। समिति चाहती है कि उन्हें दो महीने की अवधि के भीतर अध्ययन की स्थिति के बारे में अवगत कराया जाए।

छह. <u>राष्ट्रीय संकेतक तंत्र (एनआईएफ)</u>

<u>सिफारिश पैरा सं. 11</u>

27. समिति ने नोट किया कि निगरानी और समीक्षा को सक्षम करने के लिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) को एक राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) विकसित करने का काम सौंपा गया है, जो नवंबर, 2018 में ही प्रकाशित हुआ था। नतीजतन, कार्य जैसे कि बेसलाइन डाटा की तैयारी जो एक उचित निगरानी और रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की नींव की कुंजी हैं, मार्च 2019 में ही पूरे हो गए थे। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए माइल स्टोन को समय सीमा के साथ सुनियोजित नहीं किया गया है। सात चुनिंदा राज्यों में, संकेतकों के विकसित करने और डाटा स्त्रोतों की पहचान करने संबंधी कार्रवाई से अपेक्षित स्तर की प्रगति प्राप्त नहीं हुई है।समिति को इस संबंध में अवगत कराया गया था कि एमओएसपीआई द्वारा सभी हितधारियों के परामर्श से 306 संकेतकों के साथ एनआईएफ तैयार किया गया था। इसके अलावा, 250 संकेतकों के संबंध में आंकड़े वर्तमान में उपलब्ध होने के बारे में बताया गया है और शेष संकेतकों के लिए आंकड़े एकत्र करने के लिए नए सर्वेक्षण शुरू किए गए हैं। ऐसे कुछ सर्वेक्षणों में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), समय उपयोग सर्वेक्षण (टीयूएस), कृषि परिवारों की स्थिति पर स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण (एसएएस) आदि शामिल हैं। समिति ने एमओएसपीआई द्वारा शुरू किए गए कदमों की सराहना करते हुए यह जानना चाहा कि ये सर्वेक्षण कब शुरू किए गए थे और सर्वेक्षणों को कब तक पूरा किया जाएगा। समिति ने इन सर्वेक्षणों के परिणामों से अवगत होना चाहा और यह भी चाहा कि शेष माइल स्टोन के संबंध में आंकड़े संकलित किए जाएं और उन्हें शीघ्रता से उपलब्ध कराया जाए। इस तथ्य को नोट करते हुए कि कुछ संकेतक जो जेनरल असेम्बली के संकल्प का एक हिस्सा हैं, को भारतीय संदर्भ में नया माना गया है, जिसके लिए लक्ष्यों को अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, जैसा कि सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय दवारा बताया गया है और इन पर यथासमय काम किया जाएगा, समिति सिफारिश करती है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम

कार्यान्वयन मंत्रालय शीघ्रता से प्रभावी कदम उठाए ताकि सभी संकेतकों के लिए माइल स्टोन की पहचान हो सके और इन संकेतकों पर सही तरीके से काम शुरू किया जाए।

28. नीति आयोग ने अपने की-गई-कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत बताया:

"सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने एसडीजी के लिए एक राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ), वैश्विक संकेतक फ्रेमवर्क (जीआईएफ) के अनुरूप, विकसित किया, जिसमें आरम्भ में संबंधित मंत्रालयों/विभागों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और अन्य हितधारकों के परामर्श से अभिचिह्नित डाटा स्रोतों और आवधिकता के साथ 306 राष्ट्रीय संकेतक (संस्करण 1.0) शामिल किए गए थे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 24.10.2018 को आयोजित अपनी बैठक में एनआईएफ की आवधिक समीक्षा और परिशोधन के लिए उच्च स्तरीय संचालन समिति (एचएलएससी) के गठन के संबंध में एसडीजी के लिए एनआईएफ के संबंध में मंत्रालय द्वारा दिए गए प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया। तदनुसार, समय-समय पर एनआईएफ की समीक्षा, परिशोधन और संशोधन के लिए, नीति आयोग, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सदस्यों को शामिल कर भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् सह सचिव, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) की अध्यक्षता में एसडीजी पर एक उच्च स्तरीय संचालन समिति (एचएलएससी) का गठन किया गया है।

तब से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा कई पहले की गई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-एसडीजी एनआईएफ पर पहली बेसलाइन रिपोर्ट जारी करना, एसडीजी डैशबोर्ड का शुभारम्भ, राज्य संकेतक फ्रेमवर्क के विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दिशानिर्देश तैयार करना और उनका परिचालन, केंद्र और राज्य के अधिकारियों के लिए एसडीजी पर क्षमता विकास, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अगले दौर में कुछ संकेतकों पर डाटा एकत्र करके डाटा की कमी को दूर करने के लिए नए सर्वेक्षण शुरू करना, एसडीजी डाटा आवश्यकताओं के अनुसार मौजूदा सर्वेक्षणों का संरेखण, आदि शामिल हैं।

जीआईएफ की तरह ही, एनआईएफ भी विकासवादी प्रकृति के हैं और इन्हें संबंधित मंत्रालयों/अभिरक्षक एजेंसियों के परामर्श से समय-समय पर परिशोधित किया जाता है। वर्तमान में, एनआईएफ (संस्करण 3.1) में 295 संकेतक शामिल हैं और 266 संकेतकों के संबंध में डाटा उपलब्ध है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने एनआईएफ से बहुत-से संकेतकों के लिए संगत डाटा प्राप्त करने हेतु अनेक सर्वेक्षण अर्थात् आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), समय उपयोग सर्वेक्षण (टीयूएस), कृषि परिवारों की स्थिति पर स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) आदि किए हैं। इन सर्वेक्षणों के ब्यौरे **अनुबंध-एक** में दिए गए हैं।

सभी संकेतकों के लिए उपलब्धि-चरण (माइलस्टोन) की पहचान करने के लिए प्रभावी पहल शुरू करने के संबंध में और समुचित गम्भीरता से इन संकेतकों पर काम करना शुरू करने के संबंध में, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने नीति आयोग के साथ बैठक की और उसके बाद डाटा स्रोत मंत्रालयों /विभागों के साथ-साथ संबंधित एसडीजी के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार संबंधित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित एसडीजी राष्ट्रीय संकेतक के उपलब्धि-चरण (माइलस्टोन) नियत करने का अनुरोध किया गया था ताकि एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति की निगरानी की जा सके। संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ इस मामले का सख्ती से पालन किया गया और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ 5 ऑनलाइन कार्यशालाएं आयोजित की गईं ताकि उपलब्धि-चरण (माइलस्टोन) नियत करने से संबंधित मुद्दों को सामूहिक रूप से हल किया जा सके।

एसडीजी संकेतकों के लिए उपलब्धि-चरण (माइलस्टोन) नियत करने में संबंधित डाटा स्रोत/कार्यान्वयन मंत्रालयों/विभागों को सहायता प्रदान करते हुए, निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ा:

i. बहुत से एसडीजी संकेतकों के संबंध में डाटा स्रोत मंत्रालय / विभाग, कार्यान्वयन मंत्रालयों से अलग थे क्योंकि संकेतक सर्वेक्षण / संगणना / अन्य संकलित आंकड़ों पर आधारित थे;

ii. कुछ एसडीजी संकेतकों के लिए, उपलब्धि-चरण (माइलस्टोन), विशेष रूप से बजट संबंधी संकेतकों को निर्धारित करना संभव नहीं था;

iii. डाटा स्रोत मंत्रालयों / विभागों ने कुछ मौजूदा एसडीजी संकेतकों में सुधार का सुझाव दिया।

एसडीजी एनआईएफ प्रगति रिपोर्ट 2021 (दिनांक 29 जून, 2021 को जारी संस्करण 3.1) के अनुसार; एनआईएफ में 295 संकेतक हैं और 266 राष्ट्रीय संकेतकों के लिए डाटा उपलब्ध है। इन 266 राष्ट्रीय संकेतकों के संबंध में, जिनके लिए डाटा उपलब्ध है, उपलब्धि-चरण (माइलस्टोन) निर्धारित करने की स्थिति निम्नानुसार है:

क). मंत्रालयों/विभागों ने 142 संकेतकों के लिए या तो उपलब्धि-चरण (माइलस्टोन) निर्धारित किए गए हैं या इनपुट प्रदान किए हैं या यह प्रस्तुत किया है कि उपलब्धि-चरण (माइलस्टोन) निर्धारित करना संभव नहीं है ।

ख). शेष संकेतकों के लिए, संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने सूचित किया है कि वे अभी भी अपने संबंधित प्रभागों/स्कंधों/इकाइयों या अन्य संबंधित मंत्रालयों (जहां लागू हो) के साथ कार्य कर रहे हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) शेष संकेतकों पर उपलब्धि-चरण (माइलस्टोन) नियत करने की सुविधा के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ बातचीत करना जारी रखेगा।

एसडीजी राष्ट्रीय संकेतक के लिए उपलब्धि-चरण (माइलस्टोन) निर्धारित करने से संबंधित विस्तृत प्रतिक्रिया **अनुबंध-दो** पर दी गई है।

29. अपनी पुनरीक्षण टिप्पणियों में लेखापरीक्षा ने यह टिप्पणी की कि चूंकि 295 राष्ट्रीय संकेतकों में से 29 के लिए आंकड़े अभी भी उपलब्ध नहीं हैं, अतः सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्व्यन मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में लोक लेखा समिति को सूचित किया जाए।

30. पुनरीक्षण टिप्पणियों के संबंध में नीति आयोग से प्राप्त की-गई-कार्रवाई टिप्पण निम्नवत है:

"सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 29 जून, 2021 को सतत विकास लक्ष्य-राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2021 (संस्करण 3.1) जारी की है। वर्तमान में, राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) में 295 संकेतक हैं, जिनमें से 266 संकेतकों के लिए डेटा उपलब्ध है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने शेष 29 एनआईएफ संकेतकों पर डेटा संकलित करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 78वें दौर के दौरान एक बहु संकेतक सर्वेक्षण (एमआईएस) का संचालन शामिल है। इसके अलावा, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय कुछ एसडीजी संकेतकों पर डेटा को प्राप्त करने और संकलित करने के लिए एनएसएस 79वें दौर के हिस्से के रूप में एक व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण (सीएएमएस) शुरू करने की तैयारी में है। इसके अतिरिक्त, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय शेष संकेतकों के लिए डेटा प्राप्त करने हेतु भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के साथ विषयगत मामले की पहल कर रहा है।"

31. समिति की-गई-कार्रवाई टिप्पणों से नोट करती है कि एसडीजी एनआईएफ प्रगति रिपोर्ट, 2021, संस्करण 3.1 (29 जून, 2021 को जारी) के अनुसार एनआईएफ में 295 संकेतक हैं और 266 संकेतकों के लिए डेटा उपलब्ध है। शेष 29 एनआईएफ संकेतकों पर आंकड़े संकलित करने के संबंध में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा कई कदम उठाए जाने की बात कही गई है जैसे कि कुछ संकेतकों पर आंकड़ों को प्राप्त करने और संकलित करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) 79वें दौर के भाग के रूप में एक व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण (सीएएमएस) शुरू करना, शेष संकेतकों आदि के लिए आंकड़े प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों के साथ संबंधित विषय वस्तु का अनुसरण करना आदि। समिति इस संबंध में उठाए गए उपर्युक्त कदमों के परिणामस्वरूप शेष संकेतकों के लिए आंकड़े एकत्र करने की वर्तमान स्थिति जानना चाहेगी। इसके अतिरिक्त, 266 राष्ट्रीय संकेतकों के संबंध में माइलस्टोन स्थापित करने का दर्जा प्रदान करते समय समिति को सूचित किया गया है कि 142 संकेतकों के लिए या तो माइलस्टोन निर्धारित किए गए हैं या मंत्रालयों/विभागों ने इनपुट प्रदान किए हैं। यह भी सूचित किया गया है कि एमओएसपीआई शेष संकेतकों पर माइलस्टोन तय करने की सुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालयों/विभागों के साथ बातचीत करना जारी रखेगा। एमओएसपीआई द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए, समिति चाहती है कि शेष संकेतकों पर माइलस्टोन निर्धारित करने से संबंधित कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में की गई प्रगति की प्रभावी निगरानी की जा सके। समिति चाहती है कि इस संबंध में वर्तमान स्थिति से उसे अवगत कराया जाए।

सात. <u>नीतिगत ढांचे का एकीकरण</u>

<u>(सिफारिश पैरा सं.15)</u>

32. समिति ने नोट किया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कई उपाय किए हैं जो समस्तरीय नीतिगत सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है। हालांकि, संगत नीतिगत पहलें या तो राज्यों में नहीं की गई हैं अथवा अपर्याप्त हैं। सभी सात राज्यों में, केंद्र और राज्य सहयोगात्मक तरीके से अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने के लिए अपनी-अपनी भूमिकाएँ प्रभावी ढंग से नहीं निभा रहे हैं। समिति ने भी यह नोट कर दु:ख महसूस किया कि समस्तरीय सामंजस्य स्थापित करने के संबंध में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लक्ष्य 3 के कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित कार्य दल ने किसी भी बैठक का आयोजन नहीं किया है। 23 जनवरी, 2020 की हुई बैठक में इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद ही नेशनल टास्क फोर्स के कार्य दल ने 28 जनवरी, 2020 को एक बैठक की। मंत्रालय द्वारा यह बताया गया कि नेशनल टास्क फोर्स ने कार्य समूहों की नियमित बैठक आयोजित करने की आवश्यकता दोहराया है और सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। यह मानते हुए कि केवल निर्देश जारी करने से वांछित परिणाम नहीं आएंगे जब तक कि इनका अक्षरश: अनुपालन न किया जाए इसलिए, समिति ने सिफारिश की है कि कार्य दलों की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाएं ताकि केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच नीतिगत उपायों पर समस्तरीय सुंसगतता प्राप्त करने के तरीके और साधनों के बारे में सुझाव दिया जा सके। समिति को अब तक कार्य दलों की बैठकों, नीतिगत सुसंगतता बनाए रखने के लिए सुझाए गए उपायों और केन्द्र/राज्यों द्वारा उस पर की-गई-कार्रवाई के बारे में भी अवगत कराया जाए।

33. नीति आयोग ने अपने की-गई-कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत बताया:

"राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एसडीजी -3 पर कार्रवाई करने के संबंध में कार्य समूह की पहली बैठक दिनांक 28, जनवरी 2020 को आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान एसडीजी संकेतकों की मैपिंग पर बल दिया गया था। कार्य समूह ने सुझाव दिया कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क के अनुरूप अपने स्वयं के राज्य संकेतक फ्रेमवर्क (एसआईएफ) विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। इसके बाद, चल रही महामारी की स्थिति के कारण बैठक नहीं की जा सकी।"

34.नीति आयोग के की गई कार्रवाई टिप्पण पर लेखापरीक्षा की पुनरीक्षणटिप्पणियां निम्नानुसार हैं:

"समिति को यह सूचित किया जाए कि क्या ऐसी बैठकें आयोजित करने के लिए वर्चुअल बैठकों की संभावना का पता लगाया गया है।"

35.लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियों के संबंध में नीति आयोग ने अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में कहा कि इसके बाद की नियोजित बैठकों में वर्चुअल भागीदारी का विकल्प भी होगा।

36.समिति यह नोट करके आश्चर्यचकित है कि महामारी के कारण 28 जनवरी, 2020 के बाद से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लक्ष्य 3 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित कार्य समूह की कोई बैठक नहीं हुई है।समिति यह देखकर चिंतित है कि लेखापरीक्षा द्वारा की गई कार्रवाई टिप्पणों के पुनरीक्षण के दौरानइंगित किए जाने के बाद हीस्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने उत्तरोत्तर बैठकों के लिए वर्चुअल भागीदारी का विकल्प रखने का निर्णय लिया।समिति मंत्रालय के उत्तर को स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि वर्चुअल बैठकें आयोजित करने के लिए पहले ही कदम उठाए चाहिए थे।की गई कार्रवाई टिप्पण में अब तक हुई बैठकों और इन बैठकों में राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के अनुरूप राज्य संकेतक ढांचे का विकास करने के संबंध में दिए गए सुझावों पर मंत्रालय द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई के बारे में कुछ नहीं बताया गया है।इसलिए, समिति कार्य समूह द्वारा आयोजित बैठकों की वर्तमान स्थिति, चाहे वह भौतिक रूप से हो या वर्चुअल रूप में, इन बैठकों में केंद्र और राज्यों के बीच नीतिगत उपायों पर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सुसंगतता प्राप्त करने के लिए दिए गए सुझाव तथा इस पर मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानना चाहेगी।

आठ. <u>सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की पर्याप्तता</u>

<u>(सिफारिश पैरा सं. 17)</u>

37. समिति यह जानकर चिंतित थी कि योजनाओं/नीतियों के मौजूद होने के साथ-साथ भौतिक और मानव संसाधनों को बढ़ाने के लिए आबंटन में बढ़ोतरी के बावजूद, सभी सात राज्यों में भौतिक संसाधनों के संबंध में महत्वपूर्ण कमी बनी हुई है।छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में मानव संसाधनों की काफी कमी थी।समिति का यह सुविचारित राय थी कि दी गई समय-सीमा के भीतर लक्ष्य-3 को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने की प्राथमिक जिम्मेदारी स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्रालय की है।समिति ने स्वास्थ्य केंद्रों में कम से कम एक एमबीबीएस चिकित्सक को तैनात करने की सलाह दी क्योंकि पैरा-मेडिकल कर्मी मरीजों को दवा नही लिख सकते। भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रदायगी प्रणाली में स्वास्थ्य केंद्र से ही एमबीबीएस चिकित्सकों की सेवाओं का प्रभावी उपयोग करना, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में संभवतः एक बड़ा कदम हो सकता है।समिति का यह भी विचार था कि चिकित्सकों को विदेश जाने से रोकने के लिए उन्हें देश में लोगों की सेवा करने के लिए उपयुक्त सुविधाएं और प्रोत्साहन दिया जाए। इसलिए, समिति चाहती है कि दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दृष्टि से प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम एक एलोपैथिक चिकित्सक के साथ पैरामेडिकल कर्मी तैनात किया जाए। समिति महसूस करती है कि वहां चिकित्सकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के अलावा, नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य केंद्र के कामकाज की लगातार निगरानी करने की भी आवश्यकता है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से गरीबों के लिए सस्ती, प्रभावी और विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

38. नीति आयोग द्वारा यथाप्रस्तुत की गई कार्रवाई टिप्पण निम्नानुसार है:

"आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल - के प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) के स्तर पर परिकल्पित सेवाओं में शीघ्र पहचान, बुनियादी प्रबंधन, परामर्श, उपचार अनुपालन सुनिश्चित करना, अनुवर्ती देखभाल, उचित रेफरल द्वारा देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करना, इष्टतम गृह और सामुदायिक अनुवर्ती देखभाल, तथा सेवाओं की विस्तारित श्रेणी के लिए स्वास्थ्य संवर्धन और निवारण शामिल हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओं) के नेतृत्व में एसएचसी में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल टीम को प्रबंधन और ट्राइएज के पहला स्तर अर्थात् रोगियों को उपचार और अनुवर्ती जांच-देखभाल के लिए उचित स्वास्थ्य सुविधा में रेफर करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। पीएचसी/यूपीएचसी में चिकित्सा अधिकारी (एमबीबीएस) यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि उनके क्षेत्र में सभी एसएचसी-एचडब्ल्यूसी के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, एसएचसी में सीएचओ द्वारा पीएचसी स्तर पर चिकित्सा अधिकारियों (एमओ) के साथ या राज्य /जिला स्तर के केंद्रों पर चिकित्सा अधिकारियों के साथ टेली-परामर्श किया जाता है और बाद में इन चिकित्सा अधिकारियों के परामर्शों के आधार पर सीएचओ द्वारा औषधि वितरित की जाती है। इसी प्रकार, पीएचसी में चिकित्सा अधिकारियों और राज्य/जिला स्तर के केंद्रों में विशेषज्ञ के बीच विशेषज्ञ टेलीपरामर्श सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। दिनांक 11 अगस्त, 2021 तक, इस प्रकार की 91.66 लाख टेलीपरामर्श सेवाएं (ई-

संजीवनी एचडब्ल्यूसी परामर्श - 46.11 लाख और ई- संजीवनी ओपीडी परामर्श - 45.5 लाख) उपलब्ध कराई गई हैं।"

39. उपर्युक्त की गई कार्रवाई टिप्पण पर लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:

"मंत्रालय ने पीएसी की निम्नलिखित सिफारिशों पर विवरण प्रस्तुत नहीं किया है:

(एक) दूरस्थ प्रदेशों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में पैरामेडिकल स्टाफ के साथ कम से कम एक एलोपैथिक डॉक्टर को नियुक्त करने के लिए कदम उठाए गए हैं, और

(दो) डॉक्टरों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के अलावा नियमित अंतरालों में स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन की निरंतर निगरानी के लिए कदम उठाए गए हैं।"

40.पुनरीक्षण टिप्पणियों के अनुसार की गई कार्रवाई टिप्पण निम्नानुसार है:

"(एक) आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) के तहत 22.09.2021 तक 21,290 पीएचसी- एचडब्ल्यूसी (ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) और 4,135 यूपीएचसी- एचडब्ल्यूसी (शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) संचालित हैं जहाँ स्वास्थ्य देखभाल जरूरतों को पूरा करने के लिए कम से कम एक एमबीबीएस (एलोपैथिक) डॉक्टर तैनात है।

(दो) एचडब्ल्यूसी के संचालन की निगरानी करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

(क) एचडब्ल्यूसी के माध्यम से जनता के निकट सीपीएचसी सेवाओं के कार्यानवयन पर निरंतर निगरानी,आवश्यक तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नियमित रूप से पुनरीक्षण बैठकें और वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से होती है।

(ख) इस नियमित पुनरीक्षण और निगरानी ने मौजूदा एसएचसी, पीएचसी और यूपीएचसी को एचडब्ल्यूसी में परिवर्तित करके समय से पहले वित्त वर्ष 2020-21 के 70,000 एचडब्ल्यूसी के लक्ष्य को हासिल करने को सक्षम बनाया है। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र 31 मार्च, 2021 तक 70,000 एचडब्ल्यूसी के लक्ष्य की तुलना में 74,947 एचडब्ल्यूसी को संचालित करने में सक्षम रहे।

(ग) वित्त वर्ष 2018-19 से नियमित रूप से क्षेत्रीय पुनरीक्षण सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है जिसमें कार्यान्वयन की चुनौतियों के पुनरीक्षण के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के समूहों के साथ परस्पर बातचीत होती है।

(घ) एचडब्ल्यूसी के संचालन में राज्यों के निष्पादन को नियमित रूप से प्रलेखित कर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दिया जाता है। (http//117.239.180.230/hwc/liveapplication/hwc/home/newreleases).

(ङ)इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 से एनएचएम फ्रेमवर्क के तहत प्रोत्साहन शर्तों के अंतर्गत एचडब्ल्यूसी के संचालन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक संकेतक मौजूद है।

(च) इसके अलावा, वित्त वर्ष 2019-20 और 2021-22 में एचडब्ल्यूसी के निष्पादन के लिए 2018में एचडब्ल्यूसी के तृतीय पक्ष का मूल्यांकन शुरू किया गया है और रिपोर्ट शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी।

नीति आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि 2% चालू स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों का स्वतंत्र रूप से तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन कराया जाना है।"

41. समिति नोट करती है कि नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य केंद्रों के कामकाज की निगरानी करने की दृष्टि से, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर गरीबों को लिए वहनीय, प्रभावी और विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लक्ष्य की उपलब्धि हो सके, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जैसे (एक)एचडब्ल्यूसी, नियमित पुनरीक्षण बैठकों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनता के निकट सीपीएचसी सेवाओं के कार्यान्वयन पर निरंतर निगरानी, (दो) कार्यान्वयन की चुनौतियों की समीक्षा के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के समूहों के साथ मिलकर वित्त वर्ष 2018-19 से नियमित रूप से क्षेत्रीय पुनरीक्षण सम्मेलनों का आयोजन करना; (तीन) एचडब्ल्यूसी के संचालन में राज्य के प्रदर्शन का नियमित प्रलेखन और उसे पब्लिक डोमेन में रखना, (चार) वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 में एचडब्ल्यूसी का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन कराया जाना और (पांच) कार्यात्मक एचडब्ल्यूसी के 2 प्रतिशत का स्वतंत्र रूप से तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों को ध्यान में रखते हुए, समिति चाहती है कि एसडीजी को अधिक उद्देश्यपूर्ण और केंद्रित बनाने के लिए इन उपायों की सतत् समीक्षा की जानी चाहिए ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति और विकास को सुविधाजनक बनाया जा सके और वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा, 2019-20 और 2020-21 में किए गए एचडब्ल्यूसी के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के संबंध में, समिति को सूचित

किया गया है कि इस मूल्यांकन की रिपोर्ट जल्द ही जारी की जाएगी। समिति मूल्यांकन रिपोर्ट जारी करने की वर्तमान स्थिति, उसमें अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों तथा इस पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में जानना चाहती है।

(नौ). <u>उजागर की गई कमियों को दूर करना</u>
<u>(सिफारिश पैरा संख्या 19)</u>

42. समिति ने महसूस किया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एसडीजी के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा पालन की जाने वाली सर्वोतम प्रथाओं का गहनता से अध्ययन कराया जाना चाहिए और जहां भी संभव हो, जिन राज्यों में कमियां नजर आती है, वहां इनको दोहराया जाए। समिति ने यह भी सिफारिश की कि मंत्रालय को अन्य देशों में विकसित और विकासशील दोनों में विद्यमान श्रेष्ठ स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों का अध्ययन भी करवाना चाहिए, ताकि सतत् विकास लक्ष्यों की उपलब्धि को एक शानदार सफलता बनाने के लिए तदनुसार स्वास्थ्य योजनाओं का पुनर्गठन किया जा सके। विशेष रूप से, मंत्रालय को क्यूबा मॉडल का अध्ययन करना चाहिए, जिसे विश्व में सबसे श्रेष्ठ स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में से एक माना जाता है।

43. नीति आयोग द्वारा की-गई-कार्रवाई निम्नवत है:

> "राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नवोन्मेष शिखर सम्मेलन के अंतर्गत, एसडीजी की उपलब्धि के लिए राज्यविशिष्ट उपाय के कार्यान्वयन के लिए सर्वोत्तम परिपाटियों की एकअतिरिक्त श्रेणी शामिल की जाएगी।इसके अलावा, मंत्रालय श्रेष्ठ परिपाटियों को सीखने के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के क्यूबा मॉडल का भी अध्ययन करेगा।"

44. पुनरीक्षण टिप्पणियों में लेखापरीक्षा ने बताया कि लोक लेखा समिति की सिफारिश पर निर्णायक कार्रवाई की जानी अभी बाकी है।

45. समिति पाती है कि अन्य देशों (विकसित और विकासशील दोनों) विशेष रूप से 'क्यूबा मॉडल' में प्रचलित सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों का अध्ययन कराने के संबंध में समिति की सिफारिश पर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नवोन्मेष शिखर सम्मेलन के अंतर्गत सतत् विकास लक्ष्य की उपलब्धि के लिए राज्य विशिष्ट परिपाटी के कार्यान्वयन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं की एक अतिरिक्त श्रेणी शामिल की

जाएगी।समिति यह जानकर निराश है कि मंत्रालय ने उनकी सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। स्पष्ट है, इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया और इस मामले में समिति की विशेष सिफारिश पर कार्रवाई करने में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की विफलता सुस्पष्ट है। इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि मंत्रालय अन्य देशों की सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्रणालियों के अध्ययन के साथ-साथ 'क्यूबा मॉडल'के अध्ययन के लिए कोई भी प्रयास करने में विफल रहा है। इस मामले में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दर्शाई गई निष्क्रियता और उदासीनता पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए, समिति चाहती है कि मंत्रालय मामले को गंभीरता से ले और समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार जल्द से जल्द अध्ययन कराना सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक और प्रभावी उपाय करें। समिति चाहती है कि तीन महीने की अवधि के भीतर इस अध्ययन की स्थिति के बारे में समिति को सूचित किया जाए।

अध्याय-दो

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है:

टिप्पणी/सिफारिश

<u>सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए भारत की प्रतिबद्धता</u>

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 25 सितम्बर, 2015 के 70वें सत्र में 17 सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और 169 संबद्ध लक्ष्यों को शामिल कर "हमारे विश्व का कायाकल्प : सतत् विकास के लिए 2030 कार्य सूची" शीर्षक से दस्तावेज को स्वीकार किया गया था। सतत् विकास लक्ष्यों में न केवल गरीबी के मूल कारणों को दूर करने की बात कही गई है, बल्कि सभी को सम्मानजनक जीवन मुहैया कराने के लिए विकास की सार्वभौमिक जरूरतों की भी तलाश की गई है और यह वर्तमान व भावी दोनों ही पीढ़ियों के लिए विकास के सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय आयाम का समेकन कर वैश्विक लक्ष्यों की सबसे व्यापक सूची है। इसमें समावेशी व सतत् आर्थिक विकास, साझी सम्पत्ति और सबके लिए उचित कार्य हेतु माहौल बनाने के प्रयास भी किए गए हैं। इसमें वर्ष 2020 तक 21, वर्ष 2025 तक तीन और वर्ष 2030 तक शेष लक्ष्यों को हासिल करने की परिकल्पना की गई है। अगले 15 वर्षों में उद्देश्यों व लक्ष्यों पर अमल करने में हुई प्रगति के संबंध में राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय व निम्न स्तरों पर अनुवर्ती कार्रवाई और समीक्षा की पहली जवाबदेही देशों की होती है। हालांकि, इसमें कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, फिर भी सतत् विकास लक्ष्य असल में एक अंतर्राष्ट्रीय दायित्व बन गया है और यह अगले 15 वर्षों के दौरान घरेलू व्यय संबंधी प्राथमिकताओं का पुनरभिमुखीकरण करेगा। सतत् विकास लक्ष्यों पर अमल करने और उसकी कामयाबी की निर्भरता देशों की खुद की सतत विकास नीतियों, योजनाओं और उनके कार्यक्रमों पर होगी।

इस सभा में भारत सरकार ने 2030 के एजेंडा और एसडीजी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत में 2030 के एजेंडा के कार्यान्वयन के संबंध में भारत सरकार ने राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) को सितम्बर 2015 में 2030 के एजेंडा के कार्यान्वयन में समन्वय तथा पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी है। नीति आयोग को भारत में एसडीजी के राष्ट्रीय लक्ष्यों की पहचान करने तथा उन्हें कार्यान्वयन हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सौंपने का विशिष्ट कार्य दिया गया है। इसके अतिरिक्त, आयोग को (मई 2016 में) सामाजिक लक्ष्यों तथा एसडीजी के दृष्टिगत 15 वर्षीय विजन "राष्ट्रीय विकास एजेंडा" के एक भाग के रूप में सात वर्षीय कार्यनीति दस्तावेज तथा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों हेतु एक तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा तैयार करने का भी कार्य सौंपा गया है। नीति आयोग ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विजन और नीतिगत दस्तावेज तैयार करने के साथ संबद्ध करने और एसडीजी के कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन हेतु विभिन्न विभागों की संस्थागत क्षमताओं का निर्माण करते हुए उन्हें लक्ष्यों और उद्देश्यों की मैपिंग करने की सलाह देने के माध्यम से उन्हें कार्यकलाप की तैयारी में शामिल किया। यही नहीं, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की प्रगति को मापने हेतु राष्ट्रीय संकेतक (एनआईएफ) तैयार करने हेतु उत्तरदायी है। मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं कि राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य और निचले स्तरों पर एसडीजी की निगरानी करने हेतु मार्गदर्शन और क्षमताएं प्राप्त हों। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को एसडीजी के लक्ष्य-तीन अर्थात् "अच्छा

स्वास्थ्य और कल्याण" का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, जिसका उद्देश्य स्वस्थ रहन-सहन सुनिश्चित करना और सभी आयु वर्ग के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना है।

समिति द्वारा विषय की जांच सतत् विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु सरकार की तैयारी की लेखापरीक्षा समीक्षा पर आधारित है। लेखापरीक्षा ने वर्ष 2015-16 के स्वास्थ्य सूचकांक की रैंकिंग (उच्च और निम्न दोनों) के आधार पर सात राज्यों (असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) का चयन किया है। जैसा कि बताया गया है, समीक्षा का उद्देश्य यह पता लगाना है कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय संदर्भ में 2030-एजेंडा को किस सीमा तक ग्रहण किया गया है, सरकार ने 2030-एजेंडा के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक संसाधनों और क्षमताओं का किस सीमा तक पता लगाया है और उन्हें जुटा लिया है तथा साथ ही साथ एसडीजी के तहत् लक्ष्यों की तुलना में संसाधनों के आबंटन का पता लगाने वाली प्रक्रियाओं की वृहतता और सटीकता का आकलन करना और यह जानना है कि सरकार ने 2030-एजेंडा के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी, अनुवर्ती समीक्षा और तत्संबंधी रिपोर्ट तैयार करने हेतु कौन सा तंत्र स्थापित किया है। समिति द्वारा विषय की विस्तृत जांच से यह पता चला है कि एसडीजी के कार्यान्वयन संबंधी तैयारी में कुछ खामियां हैं। समिति ने अनुवर्ती पैराओं में सतत् विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन संबंधी तैयारी के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है।

(क्रमांक 1; परिशिष्ट II; लोक लेखा समिति की बत्तीसवीं रिपोर्ट (17वीं लोकसभा) का पैरा नं. 1)

की गई कार्रवाई

नीति आयोग ने अपने कार्य आबंटन नियमों के संदर्भ में एसडीजी के कार्यान्वयन के संबंध में इसे सौंपे गए कार्यों को निष्पादित किया है। इस प्रयोजनार्थ, यह सहकारी संघवाद के सिद्धांतों के अनुसार, केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्य कर रहा है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने एसडीजी के लिए एक राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ), वैश्विक संकेतक फ्रेमवर्क (जीआईएफ) के अनुरूप, विकसित किया, जिसमें आरम्भ में संबंधित मंत्रालयों/विभागों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और अन्य हितधारकों के परामर्श से अभिचिह्नित डाटा स्रोतों और आवधिकता के साथ 306 राष्ट्रीय संकेतक (संस्करण 1.0) शामिल किए गए थे। इसके अलावा, मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुपालन में, समय-समय पर एनआईएफ की समीक्षा, परिशोधन और संशोधन के लिए, नीति आयोग, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सदस्यों को शामिल कर भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् सह सचिव, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) की अध्यक्षता में एसडीजी पर एक उच्च स्तरीय संचालन समिति (एचएलएससी) का गठन किया गया है।

जीआईएफ की तरह ही, एनआईएफ भी विकासवादी प्रकृति के हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), संबंधित मंत्रालयों/विभागों और अभिरक्षक एजेंसियों के परामर्श से, मौजूदा संकेतकों के साथ-साथ प्रासंगिक लक्ष्य (लक्ष्यों) के लिए नए संकेतकों की की उपयुक्तता जांच करता है तथा समय-समय पर एनआईएफ की समीक्षा और परिशोधन करता है। वर्तमान में, एनआईएफ (संस्करण 3.1) में 295 संकेतक शामिल हैं और 266 संकेतकों के संबंध में डाटा उपलब्ध है। इसके

अतिरिक्त, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके राज्य संकेतक फ्रेमवर्क (एसआईएफ) के विकास में तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।

<u>लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां</u>

कोई टिप्पणी नहीं की गई।

सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर
(योजना मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन सं. 18/3/2019-संसद दिनांक 06 अक्तूबर, 2021)
नीति आयोग (योजना मंत्रालय)

टिप्पणी/सिफारिश

<u>एसडीजी से संबंधित गतिविधियों को मुख्यधारा में लाने की दिशा में प्रयास</u>

समिति ने यह नोट किया है कि नीति आयोग ने विज़न/नीतिगत दस्तावेज तैयार करने; नोडल संरचनाएं सृजित करने; लक्ष्यों की मैपिंग करने; कार्यान्वयन, निगरानी तथा मूल्यांकन हेतु क्षमता निर्माण करने; राज्य विशिष्ट संकेतक तैयार करने और एसडीजी के साथ बजट समायोजित करने इत्यादि जैसे कार्यकलापों को सामान्य बनाने हेतु विविध क्षेत्रों के पणधारकों के साथ परामर्श किए हैं और राज्यों और संघ राज्यों के साथ आवधिक समीक्षाएं की हैं। तथापि, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने के समय तक एसडीजी लक्ष्यों के अनुरूप निर्धारित माइलस्टोन दर्शाते हुए कोई रूपरेखा तैयार नहीं की गई थी। आरंभ में रूपरेखा तैयार करने हेतु कोई उपाय न किए जाने के कारणों के बारे में बताते हुए नीति आयोग ने बताया कि चूंकि ये लक्ष्य 2030-एजेंडा जिसका भारत सहित अन्य देशों ने अनुसमर्थन किया है, में पहले से ही विनिर्दिष्ट किया गया है, अतः यह महसूस किया गया कि अलग से उल्लेखनीय उपलब्धि चरण (माइलस्टोन) निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। यही नहीं, नीति आयोग ने बताया कि वे एसडीजी लक्ष्यों के अनुसार माइलस्टोन तय करने हेतु एसडीजी संबंधी रूपरेखा तैयार करने के लिए सभी राज्यों के साथ मिलकर निकटता से कार्य कर रहे हैं और अधिकांश राज्यों ने अपनी एसडीजी संबंधी रूपरेखाएं तैयार कर ली है। समिति इस संबंध में यह नोट करती है कि एसडीजी हेतु माइलस्टोन 2030-एजेंडा का भाग है। इनकी प्राप्ति हेतु सभी पणधारकों द्वारा व्यापक और समन्वित प्रयास किए जाने आवश्यक है। समिति यह नोट कर आश्चर्यचकित है कि नोडल संस्थान, नीति आयोग ने लेखापरीक्षा द्वारा मामला उठाए जाने के बाद ही रूपरेखा तैयार करने के मामले को राज्यों के साथ उठाया है। इस संबंध में समिति की राय है कि भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में की गई प्रतिबद्धता के प्रति प्रारंभिक चरण में ही प्रत्यक्ष रूप से अनुचित रवैया एसडीजी की प्राप्ति में भारत की बेहतरीन छवि को प्रभावित करेगा। अतः, समिति, नीति आयोग को परामर्श देती है कि वह विलंबित कार्रवाई की भरपाई करने हेतु समुचित उपाय करे। साथ ही, यह भी उपयुक्त होगा कि कार्य आबंटन में एसडीजी के कार्यान्वयन में नीति आयोग की भूमि को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाए। समिति यह भी चाहती है कि उसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रूपरेखा तैयार किए जाने तथा चूककर्ता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विरुद्ध किए गए उपचारात्मक उपायों के संबंध में अद्यतन जानकारी प्रदान की जाए।

(क्रमांक 2; परिशिष्ट II; लोक लेखा समिति
की बत्तीसवीं रिपोर्ट (17वीं लोकसभा) का पैरा नं. 2)

की गई कार्रवाई

किसी रोडमैप में आमतौर पर उद्देश्य, उपलब्धि-चरण (माइलस्टोन), परिणाम (डिलीबरेवल) और योजनाबद्ध समयसीमा शामिल होती है। एसडीजी रोडमैप के इन प्रमुख अवयवों को विकसित करने में मदद करने के लिए नीति आयोग वर्ष 2016 से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कार्य कर रहा है। जैसा कि पहले से ही कायम है, अन्य देशों के साथ भारत द्वारा समर्थित एसडीजी और संबद्ध लक्ष्यों में उद्देश्यों और उपलब्धि-चरण (माइलस्टोन) को स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विजन दस्तावेज़ों में एसडीजी की पुन:पुष्टि की गई हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्यनीतियां इंगित की गई हैं और उस दिशा में लागू किए जा रहे कार्यक्रमों और पहलों के बारे में भी सूचित किया गया हैं। योजनाओं/कार्यक्रमों और विभागों की एसडीजी मैपिंग भी उन्हें एसडीजी कार्यान्वयन की दिशा में पुनर्निर्देशित करती है। राज्य के एसडीजी संकेतक फ्रेमवर्क, जिन्हें राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क के अनुरूप और संबंधित राज्यों की प्रासंगिक विशिष्टताओं को संबोधित करते हुए तैयार किया जाता है, को अपनाते हुए योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी पर और ध्यान केंद्रित किया गया है। संकेतकों के साथ की गई निगरानी समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए डिलिवरेबल्स (कार्यक्रम आउटपुट) पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। अब तक, अधिकांश राज्य (गोवा, केरल, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल को छोड़कर) और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, तथा दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव को छोड़कर) में विजन दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं। इसी तरह, अधिकांश राज्यों (बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब और तेलंगाना, जहां इसे तैयार किया जा रहा है, को छोड़कर) और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा दिल्ली) ने पहले ही राज्य संकेतक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। नीति आयोग निगरानी के लिए राज्य संकेतक फ्रेमवर्क की तैयारी और उपयोग हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ लगातार संपर्क कर रहा है।

वर्ष 2018 से वार्षिक रूप से परिकलित एसडीजी इंडिया इंडेक्स ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एसडीजी के कार्यान्वयन और उपलब्धि की दिशा में उनके प्रयासों में प्रेरित करने में काफी प्रभावी भूमिका निभाई है। यह नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर एसडीजी उपलब्धि के संदर्भ में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की स्थिति को उजागर करता है और उनके प्रदर्शन को श्रेणीबद्ध करता है। भारत को, राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तरों पर एसडीजी की प्राप्ति की निगरानी में इस तरह के साधन को विकसित करने, अपनाने और नियमित रूप से इस्तेमाल करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अग्रणी देश के रूप में मान्यता दी जाती है।

<u>लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां</u>

नीति आयोग ने कार्य नियतन में एसडीजी के कार्यान्वयन में अपनी भूमिका को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने के संबंध में लोक लेखा समिति की सिफारिश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विजन दस्तावेज और राज्य संकेतक रूपरेखा की तैयारी अभी पूरी की जानी है। लोक लेखा समिति द्वारा यथा वांछित चूक करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विरुद्ध किए गए उपाय स्पष्ट किए जाएं।

<u>पुनरीक्षण टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई टिप्पणी</u>

कार्य नियतन नियमावली को संशोधित करना नीति आयोग के अधिकार में नहीं है।

यह सुनिश्चित करने के संबंध में कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विजन दस्तावेज और राज्य संकेतक रूपरेखा तैयार करते हैं, नीति आयोग द्वारा किए जाने वाले उपायों की तीन श्रेणियां होती है। नीति आयोग संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बैठकों में इस मामले को उठाता है। दूसरा, यह राज्यों और प्रेस के साथ आम समीक्षा बैठक में मुद्दों को कार्रवाई के लिए उठाता है। तीसरा, एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट के अंतर्गत तुलना और रैंकिंग के संदर्भ में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रदर्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें पर्याप्त प्रभावशाली और प्रेरक शक्ति निहित होती है।

सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर

(योजना मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन सं. 18/3/2019-संसद दिनांक 06 अक्तूबर, 2021)

ति आयोग (योजना मंत्रालय)

टिप्पणी/सिफारिश

बहु-अनुशासनात्मक कार्यबल की बैठकें

समिति ने यह पाया कि राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों में एसडीजी संबंधी कार्यों की प्रत्यक्ष समीक्षा करने के अलावा नीति आयोग ने एसडीजी के कार्यान्वयन का विश्लेषण और समीक्षा करने हेतु अगस्त, 2017 में एक बहु-कार्यबल का गठन किया था। यद्यपि कार्यबल की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होनी अपेक्षित थी, तथापि समिति यह पाती है कि कार्यबल ने अपने गठन के समय से अभी तक केवल दो बैठकें ही की है। समिति को केवल यह बताया गया है कि कार्यबल की अंतिम बैठक वीएनआर रिपोर्ट 2020 तैयार करने के दौरान हुई थी और त्रैमासिक अंतराल पर बैठकें आयोजित न किए जाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। समिति आशा करती है कि उसे इस संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा साथ ही, नीति आयोग से आग्रह करती है कि त्रैमासिक अंतराल पर बैठकें आयोजित कराई जाएं ताकि नियमित रूप से सुझाव/फीडबैक मिलता रहे और तदनंतर निगरानी प्रक्रिया बेहतर हो सके। समिति को कार्यबल की बैठक (बैठकों) के परिणाम से भी अवगत कराया जाए।

(क्रमांक 3; परिशिष्ट II; लोक लेखा समिति की बत्तीसवीं रिपोर्ट (17वीं लोकसभा) का पैरा नं. 3)

की गई कार्रवाई

एसडीजी कार्यबल के सदस्य दल में नीति आयोग से चार, विदेश मंत्रालय तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से एक-एक, राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) से एक, विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और विकास प्रणाली (आरआईएस) से एक प्रतिनिधि के साथ-साथ वार्षिक रोटेशन के आधार पर तीन राज्य सरकारों और एक केंद्रीय मंत्रालय से एक-एक प्रतिनिधि शामिल हैं। अनुभव से पता चलता है कि केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों की भागीदारी सीमित और प्रतिबंधात्मक थी तथा अन्य राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों, जो

नियमित आधार पर कार्यबल का हिस्सा नहीं थे, में व्यतिरेक की भावना की संभावना पैदा करने वाली थी। विशेषज्ञों की भागीदारी को भी और अधिक वैविध्यपूर्ण बनाने की आवश्यकता है। इसलिए, 2020 वीएनआर को तैयार करने संबंधी बैठक के बाद, मुख्य रूप से महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के कारण, उक्त कार्यबल की कोई अन्य बैठक नहीं की गई है। हालांकि, और अधिक व्यापक रूप से सोर्स किए गए तकनीकी सलाहकारों के समूह का गठन किया जा रहा है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित परामर्श किए जा रहे हैं।

<u>लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां</u>

लोक लेखा समिति मंत्रालय के इस जवाब पर उचित विचार कर सकती है कि 2020 में स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (वीएनआर) तैयारी बैठक के बाद कार्यबल की अन्य कोई बैठक नहीं हुई है। इसके अलावा, उक्त समूह की बैठकों के परिणामों के साथ गठित किए जा रहे तकनीकी सलाहकार समूह की संरचना लोक लेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए।

<u>पुनरीक्षण टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई टिप्पणी</u>

व्यापक परामर्शी और तकनीकी सहायता प्राप्त करने की दृष्टि से, दिनांक 20.09.2021 को सतत विकास लक्ष्य कार्यबल का पुनर्गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। आठ केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित आधार पर शामिल करने के लिए अब कार्यबल की सदस्यता का विस्तार किया गया है। यह कार्यबल के रणनीतिक दिशा और इसके निपटान संबंधी विशेषज्ञता में सुधार करता है। अगली बैठक अक्टूबर 2021 के दूसरे पखवाड़े में सुनिश्चित की जाएगी।

सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर

(योजना मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन सं. 18/3/2019-संसद दिनांक 06 अक्तूबर, 2021)

नीति आयोग (योजना मंत्रालय)

टिप्पणी/सिफारिश

<u>एसडीजी के लिए नोडल मंत्रालयों का मनोनयन</u>

समिति ने यह देखा कि नीति आयोग द्वारा अगस्त, 2018 में जारी संशोधित मैपिंग दस्तावेज में विशिष्ट एसडीजी हेतु किसी विशेष मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाए जाने संबंधी पहलू को खत्म कर दिया गया है। समिति की राय है कि इससे इस संबंध में समुचित जिम्मेदारी तय नहीं होगी और केवल नीति आयोग द्वारा निगरानी से वांछित परिणाम प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलेगी।

(क्रमांक 4; परिशिष्ट II; लोक लेखा समिति
की बत्तीसवीं रिपोर्ट (17वीं लोकसभा) का पैरा नं. 4)

की गई कार्रवाई

जैसा कि मंत्रालयों और योजनाओं की मैपिंग से पता चला है, प्रत्येक एसडीजी में बहुत-से मंत्रालयों/विभागों को शामिल करना और उनके द्वारा कार्यान्वयन शामिल था। प्रत्येक मंत्रालय ने समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनमें से एक को नोडल कार्य का आबंटन प्रायः अनियंत्रित था। दूसरी ओर, मंत्रालयों का बहुत-से एसडीजी और एसडीजी की अंतःसंबद्धता के कारण संबंधित लक्ष्यों में समान सहकार्य संबंध हैं। इसलिए, मंत्रालयों के बीच, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, दोनों रूप में समान रूप से महत्वपूर्ण इंटरैक्टिव सहसंबंध है, जो मैपिंग दस्तावेज़ के वर्ष 2018 के संस्करण में इंगित किया गया है। इस संदर्भ में, प्रत्येक एसडीजी के लिए एक मंत्रालय को नोडल कार्य का आबंटन त्रुटिपूर्ण और अनियंत्रित पाया गया। इसके बजाय, नीति, योजनाओं और कार्यक्रमों के स्तर पर मुक्त-प्रवाह सहयोग का एक मॉडल चुना गया जिसमें प्रत्येक मंत्रालय को मैपिंग दस्तावेज में अभिचिह्नित किए गए अन्य मंत्रालयों/विभागों सहित सभी प्रासंगिक कार्यकारियों के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

<u>लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां</u>

उत्तर में उचित जवाबदेही और निगरानी सुनिश्चित करने के संबंध में समिति की चिंता का समाधान नहीं किया गया है।

<u>पुनरीक्षण टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई टिप्पणी</u>

मंत्रालयों/विभागों में परस्पर सम्बद्धता की पहचान के साथ-साथ एसडीजी लक्ष्यों के स्तर पर संशोधित मानचित्रण में मंत्रालयों की जिम्मेदारियों के आवंटन से निगरानी में सुधार होता है और जवाबदेही में तेजी आती है। यह बेहतर अंतर-क्षेत्रीय समन्वय और अभिसरण की भी अनुमति देता है।

सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर

(योजना मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन सं. 18/3/2019-संसद दिनांक 06 अक्तूबर, 2021)

नीति आयोग (योजना मंत्रालय)

टिप्पणी/सिफारिश

"15 वर्षीय विजन दस्तावेज" की तैयारी

समिति यह नोट कर चिंतित है कि "15 वर्षीय विज़न दस्तावेज" जिसके आधार पर कार्यनीति और एक्शन एजेंडा दस्तावेज तैयार किया जाना है, पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक जारी नहीं किया गया है। समिति विज़न दस्तावेजों को व्यापक बनाने और इसमें राज्यों की अपेक्षाओं तथा प्राथमिकताओं पर विशेष ध्यान देने के लिए नीति आयोग द्वारा की गई पहल की सराहना करती है जिसके कारण मंत्रालयों और राज्यों से इनपुट प्राप्त करने पर विशेष महत्व दिया गया है। जैसा कि सूचित किया गया है, नीति आयोग मसौदा दस्तावेज की समीक्षा और इसे अंतिम रूप दे रहा है और इसने यह कार्य एक बहु-विशेषज्ञ कार्य बल को सौंप दिया है। विज़न दस्तावेज को मार्च, 2020 तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है, इस दस्तावेज को तैयार करने की प्रक्रिया कोविड-9 महामारी के कारण प्रतिकूलतः प्रभावित हुई है। समिति इस संबंध में यह जानकर आश्चर्यचकित है कि इस मद्दे को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद ही नीति आयोग ने यह कार्य बहु-विशेषज्ञ कार्यबल को सौंपा। विशेषज्ञ कार्यबल को गठित किए जाने की तिथि तथा विज़न दस्तावेज को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है, इस बारे में नीति आयोग के उत्तर में कुछ नहीं कहा गया है। समिति चाहेगी कि उसे इस संबंध में अंतिम निष्कर्ष के ब्यौरों से अवगत कराया जाए।

(क्रमांक 5; परिशिष्ट II; लोक लेखा समिति की बत्तीसवीं रिपोर्ट (17वीं लोकसभा) का पैरा नं. 5)

की गई कार्रवाई

विजन दस्तावेज तैयार करने का कार्य पिछले 2 वर्ष से चल रहा है। तथापि, कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण इसे तैयार करने में देरी हुई है। महामारी के प्रभाव के कारण विकास मॉडल, अवधारणाओं को फिर से तैयार करने की आवश्यकता उजागर हुई है और कोविड वास्तविकता को शामिल करते हुए अगले 15 वर्षों के लिए प्रमुख आर्थिक संकेतकों का अनुमान लगाने के लिए डाटा के नए सेट की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, नए अनुमानों की कवायद शुरू कर दी गई है और मार्च, 2022 तक विजन दस्तावेज पूरा होने की उम्मीद है।

लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां

अंतिम कार्रवाई की प्रतीक्षा है।

सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर

(योजना मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन सं. 18/3/2019-संसद दिनांक 06 अक्तूबर, 2021)

नीति आयोग (योजना मंत्रालय)

टिप्पणी/सिफारिश

एसडीजी लक्ष्य हासिल करने के लिए तैयारी

जहां तक राज्य स्तर पर लक्ष्यों को हासिल करने हेतु तैयारी का संबंध है, समिति यह नोट करके क्षुब्ध है कि उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में विजन/कार्यनीति/कार्रवाई कार्यसूची दस्तावेज संबंधी

कार्य प्रारंभिक चरण में है। केरल ने वर्ष 2014 में भावी योजना, 2030 को तैयार किया था लेकिन योजना की समीक्षा नहीं की गई और न इसे एसडीजी के अनुरूप बनाया गया। छत्तीसगढ़ ने मार्च, 2019 में अपने विज़न 2030 संबंधी दस्तावेज को प्रकाशित किया था। समिति को यह देखकर भी खेद हुआ है कि चयनित राज्यों में शुरू किया गया मैपिंग कार्य भी व्यापक नहीं था। उदाहरण के तौर पर, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में कतिपय योजनाओं/लक्ष्यों/उद्देश्यों का प्रतिचित्रित नहीं किया गया है। समिति को यह जानकारी दी गई है कि नीति आयोग ने राज्यों को सलाह दी है कि वे केन्द्र स्तर पर की गई मैपिंग के आलोक में अपनी मैपिंग करें। नीति आयोग राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर उक्त प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहता रहा है। समिति यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य है कि नीति आयोग ने राज्य स्तर पर धीमी गति के कारणों तथा एसडीजी को अपनाने/कार्यान्वित करने में राज्यों को आ रही बाधाओं के बारे में नहीं बताया है। समिति एसडीजी का स्थानीयकरण करने के रवैये की सराहना करती है। तथापि, निगरानी एजेंसी होने के नाते, नीति आयोग को विभिन्न राज्यों के सामने आ रही दिक्कतों को चिन्हित करने तथा पहचानने की आवश्यकता है और इसके समाधान हेतु उनकी सहायता करे और इससे समिति को अवगत कराए। समिति यह भी चाहती है कि नीति आयोग आवश्यक दस्तावेजों को तेजी से पूरा करने तथा एसडीजी तथा संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने, उपलब्धि के लिए तेज, प्रभावी समन्वय/निगरानी तंत्र स्थापित करने हेतु उक्त मामले को चूककर्ता राज्यों के साथ उठाएं।

(क्रमांक 6; परिशिष्ट II; लोक लेखा समिति की बतीसवीं रिपोर्ट (17वीं लोकसभा) का पैरा नं.6)

की गई कार्रवाई

नीति आयोग एसडीजी के स्थानीयकरण के संबंध में राज्यों के साथ अनुवर्ती संपर्क कर रहा है। गोवा, केरल, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल को छोड़कर राज्यों ने अपना विजन 2030 पूरा कर लिया है/अपना लिया है। सभी राज्यों ने अपने मैपिंग दस्तावेजों को भी पूरा कर लिया है और योजनाओं को व्यापक बनाने की दृष्टि से उनकी मैपिंग की समीक्षा की है।

एसडीजी के स्थानीयकरण के संदर्भ में, राज्यों ने एसडीजी के कार्यान्वयन और प्रगति के मूल्यांकन की निगरानी पर जोर दिया है। सभी राज्यों, पंजाब राज्य को छोड़कर, में राज्य संकेतक फ्रेमवर्क (एसआईएफ) मौजूद है। एसआईएफ विभिन्न योजनाओं की निगरानी और संगत एसडीजी लक्ष्यों के लिए यथासंगत उनके आउटपुट/परिणामों की ट्रैकिंग में अत्यंत उपयोगी हैं। राज्यों ने नियमित आधार पर प्रगति की समीक्षा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में उच्च स्तरीय संस्थागत तंत्र स्थापित किये हैं। पिछले एक वर्ष की अवधि में, प्रमुख सरकारी अधिकारियों को एसडीजी, एसडीजी भारत सूचकांक, इंडिकेटर फ्रेमवर्क और प्रगति की ट्रैकिंग जैसे सामान्य मुद्दों पर उन्मुख करने के लिए नीति आयोग द्वारा राज्यों (अन्य राज्यों के साथ-साथ असम, मेघालय, ओडिशा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश , उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, सिक्किम) का व्यापक रूप से दौरा किया गया है।

नीति आयोग, चिंताजनक मामलों पर धीमी गति वाले राज्यों के साथ भी कार्य कर रहा है। उदाहरण के लिए, दिनांक 3 जून, 2021 को एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 जारी होने के बाद, नीति आयोग की टीम, उच्च स्तर पर – बहुत से मामलों में मुख्यमंत्री शामिल होते हैं - एसडीजी के कार्यान्वयन की प्रगति पर चर्चा करने, मुद्दों और चिंताओं को उजागर करने तथा सुधारात्मक उपायों

का पता लगाने के लिए राज्यों का दौरा करती रही है। अब तक, असम, मेघालय, ओडिशा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड राज्यों का दौरा किया जा चुका है।

<u>लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां</u>

सतत विकास लक्ष्य और संबंधित लक्ष्यों की उपलब्धि को शीघ्र ही हासिल करने के लिए प्रभावी समन्वय/निगरानी तंत्र स्थापित करने हेतु जवाब नहीं दिया गया है।

<u>पुनरीक्षण टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई टिप्पणी</u>

उपरोक्त उत्तर में, सतत विकास लक्ष्य कार्यान्वयन के समन्वय और निगरानी में नीति आयोग की भूमिका और कार्य का वर्णन किया गया है। इसके अलावा, पुनर्गठित एसडीजी कार्यबल निगरानी और समन्वय प्रक्रिया को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर

(योजना मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन सं. 18/3/2019-संसद दिनांक 06 अक्तूबर, 2021)

नीति आयोग (योजना मंत्रालय)

टिप्पणी/सिफारिश
<u>सार्वजनिक जागरुकता कार्यक्रम</u>

समिति ने यह नोट किया है कि संयुक्त राष्ट्र विकास समूह (यूएनडीजी) रेफरेन्स गाइड "2030 कार्यसूची को मुख्यधारा में लाना (मेनस्ट्रीमिंग द 2030 एजेंडा)" के अनुसार एसडीजी हासिल करने हेतु जागरूकता बढ़ाना ही एक मुख्य उपाय है। इसमें नियोजन, निर्देश जारी करना तथा जागरूकता के लिए कार्रवाई और सरकारी अधिकारियों के लिए आईईसी (सूचना, शिक्षा तथा संचार) संबंधी कार्यकलाप और अन्य यथा सिविल सोसाइटी, आम जनता, संस्थाओं आदि को शामिल करना है। समिति ने इस संबंध में यह भी नोटिस किया है कि एसडीजी संबंधी जागरूकता कार्यक्रमों को शिक्षण संस्थाओं, छात्रों तथा युवा संगठनों तक नहीं ले जाया गया है। समिति की राय है कि युवा पीढ़ी के साथ भविष्य की प्रतिबद्धताएं साझा किए जाने की आवश्यकता है। अतः, समिति, आशा करती है इस दिशा में किए गए उपायों से उसे अवगत कराया जाए।

(क्रमांक 7; परिशिष्ट II; लोक लेखा समिति
की बत्तीसवीं रिपोर्ट (17वीं लोकसभा) का पैरा नं.7)

की गई कार्रवाई

नीति आयोग ने एसडीजी के संबंध में अपने सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय परामर्शों में विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों को शामिल किया है। इसके नागरिक समाज भागीदारों ने भी

देश भर में छात्रों और युवाओं को एसडीजी के संबंध में जागरूक बनाने के कार्य को आगे बढ़ाया है। शैक्षिक संस्थानों, छात्रों और युवा संगठनों के लिए एसडीजी पर विशेष जागरूकता कार्यक्रमों का विस्तार करने के संबंध में, नीति आयोग राज्य सरकारों और नागरिक समाज संगठनों को इस संबंध में योजनाबद्ध उपाय करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

<u>लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां</u>

कोई टिप्पणी नहीं की गई।

सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर

(योजना मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन सं. 18/3/2019-संसद दिनांक 06 अक्तूबर, 2021)

नीति आयोग (योजना मंत्रालय)

टिप्पणी/सिफारिश

<u>हितधारकों से परामर्श</u>

समिति ने यह भी नोट किया है कि एसडीजी के जागरूकता फैलाने तथा भागीदारी बहु-हितधारक दृष्टिकोण को अपनाने का उद्देश्य, 2030 कार्य-सूची के समावेशी, प्रभावी तथा सतत कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है। तथापि, समिति यह नोट करके चिन्तित है कि (i) इन परामर्शों के परिणाम को अंतिम रूप देने तथा प्रतिवेदन को सार्वजनिक रूप से (पब्लिक डोमैन में) रखने में विलंब हुआ है; (ii) ज्यादातर परामर्शों के मामले में समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई के लिए निश्चित परिणामों तथा सिफारिशों को निर्धारित नहीं किया गया, जिसको स्वीकार करते हुए आश्वासन सीमित रहा जबकि उक्त विचार-विमर्श एसडीजी की रूपरेखा/नीतियों का आकार देने में समर्थ होते; (iii) इसकी वेबसाइट के अनुसार, मार्च, 2017 के बाद एसडीजी संबंधी मुद्दों पर एसआरआई कार्यशालाएं आयोजित नहीं की गयी; (iv) फीडबैक के अभाव में जन जागरूकता बढ़ाने हेतु हितधारकों द्वारा किए गए प्रयासों की सीमा तथा प्रभाविता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका; और (v) किसी भी केन्द्रीकृत जन जागरूकता अभियान की परिकल्पना नहीं हैं; (vi) आम जनता के लिए प्रतिबद्ध जागरूक उपायों के अभाव से 2030 कार्यसूची को समावेशी और सहभागितोन्मुख बनाने के उद्देश्य को कमजोर बना सकता है; और (vii) पन्द्रह मंत्रालयों में से पांच मंत्रालयों ने इस पहलू की समीक्षा की जिसके संबंध में क्षमता निर्माण प्रयास को शुरू करने/प्रतिवेदित करना बाकी है। समिति यह टिप्पणी करने के लिए भी बाध्य है कि एसडीजी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों तथा सात चयनित राज्यों में शुरू की गई पहलें व्यापक, संकेद्रित और सतत नहीं रही। इस पहलू पर भी, नीति आयोग का इढ़ता से यह कहना है कि एसडीजी को हासिल करने हेतु योजनाओं तथा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों की है। समिति, इस संबंध में, यह भी विचार व्यक्त करती है कि जागरूकता तथा संसूचना अभियान और भी अधिक प्रभावी हो सकते हैं यदि इनको स्थानीय हितधारकों और ऑडिएस के लिए सुलभ संदर्भ, भाषा, मूल्यों और संसाधनों के अनुरूप बनाया जाए। इस उद्देश्य को लेकर नीति आयोग विशिष्ट और लक्षित जागरूकता पहलों को शुरू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य हितधारकों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रयास कर रहा है। जिन जन-जागरुकता कार्यक्रमों को शुरू किया गया है, वे भी नियंत्रित प्रकृति वाले हैं और पहुंच के मामले में ज्यादा प्रभावी नहीं हैं। समिति चाहती है कि नीति आयोग के पास राज्यों तथा आम जनता तक पहुंच बनाने के लिए इंटरएक्टिव वेब पेज होना चाहिए। समिति, इस संबंध में, यह जानना चाहती है कि

क्या हितधारक परामर्शदाताओं की नई श्रेणी बनाई गई है। समिति इन परामर्शों के परिणाम के ब्यौरे की प्रतीक्षा करेगी।

(क्रमांक 8; परिशिष्ट II; लोक लेखा समिति की बत्तीसवीं रिपोर्ट (17वीं लोकसभा) का पैरा नं.8)

की गई कार्रवाई

नीति आयोग की वेबसाइट पर एसडीजी के संबंध में दिए गए पृष्ठ आम तौर पर एसडीजी और भारत में उनकी खोज के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। वार्षिक एसडीजी भारत सूचकांक रिपोर्टों के नियमित प्रकाशन के बाद, एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड जोड़ा गया है जिसका उपयोग उपयोगकर्ता की जरूरतों और सुविधा के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी के संबंध में प्रदर्शन के बारे में अनुकूलित जानकारी उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। नीति आयोग, एसडीजी के संबंध में अपने वेबपेजों की सामग्री, पहुंच और प्रयोक्ता-अनुकूलता में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है।

नीति आयोग ने भारतीय प्रशासनिक स्टाफ महाविद्यालय के सहयोग से वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के लिए एक क्षमता विकास मॉड्यूल विकसित किया है, जिसे कोविड-19 की स्थिति में सुधार आने के बाद शुरू किया जाना है।

नीति आयोग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करने के लिए क्षेत्रीय परामर्शों की एक श्रृंखला भी शुरू कर रहा है। पहला परामर्श 12-14 अप्रैल, 2021 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयोजित किया गया है, जिसमें राज्य के साथ-साथ जिला स्तर पर सरकारी अधिकारियों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है। परामर्श में आम सहमति के आधार पर, एक क्षेत्रीय एसडीजी जिला संकेतक फ्रेमवर्क ढांचा विकसित किया गया है जिसका उपयोग जिला स्तर पर एसडीजी प्रदर्शन की निगरानी के लिए एक क्षेत्रीय जिला सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए किया जा रहा है। इससे सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों में जिला और उप-जिला स्तर पर कार्यान्वयन प्रक्रिया में तेजी लाने और जमीनी स्तर पर प्रगति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है। कोविड-19 महामारी से निपटने में देश भर में और अधिक सामान्य स्थिति बनने के बाद, इसी तरह के परिप्रेक्ष्य में अन्य क्षेत्रीय परामर्शों को शुरू करने की योजना है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, नीति आयोग ने सरकारी अधिकारियों और संबद्ध हितधारकों की अनुभूत आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य स्तर पर संवेदीकरण और क्षमता निर्माण कार्यशालाएं जारी रखी हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान असम, मेघालय, ओडिशा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड में इन कार्याशालाओं का आयोजन किया गया है।

<u>लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां</u>

जैसाकि लोक लेखा समिति चाहती है, नीति आयोग द्वारा आयोजित परामर्श बैठकों के परिणाम का विवरण प्रदान किया जाए।

<u>पुनरीक्षण टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई टिप्पणी</u>

राज्य सरकारों के साथ बैठकों में निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया गया है: सतत विकास लक्ष्य पर प्रगति की स्थिति; सतत विकास लक्ष्य स्थानीयकरण पहल की प्रगति; राज्य संकेतक तंत्र और संकेतकों पर डेटा; विभिन्न सतत विकास लक्ष्य और संबंधित लक्ष्यों पर प्रगति और प्रदर्शन के मुद्दे; और प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक सुधार कार्य योजनाओं की तैयारी।

कई परिणाम सामने आए हैं: सतत विकास लक्ष्य लक्ष्यों/संकेतकों और डेटा पर स्पष्टता; सतत विकास लक्ष्य स्थानीयकरण पहल में सुधार के क्षेत्रों की पहचान और प्रासंगिक सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित कार्यक्रम कार्यान्वयन; और सुधार के क्षेत्रों को हासिल करने के लिए सुधार कार्य योजनाएँ।

सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर

(योजना मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन सं. 18/3/2019-संसद दिनांक 06 अक्तूबर, 2021)

नीति आयोग (योजना मंत्रालय)

टिप्पणी/सिफारिश

<u>निजी क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी</u>

समिति ने एसडीजी को हासिल करने में निजी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी संगठनों की संभावित भूमिका की भी जांच की है। जिन साधनों के माध्यम से व्यवसाय सोर्स निवेश, नियोजित तथा व्यय करते हैं, उनका सतत विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। एसडीजी के व्यापक फ्रेमवर्क के लिए यह आवश्यक है कि वित्त, प्रौद्योगिकी, कौशल, नवोन्मेष तथा पहुंच के मामले में निजी क्षेत्र की बढ़ती शक्ति उपयुक्त तरीके से उपयोग की जाए ताकि एसडीजी कार्यान्वयन के प्रयासों का फलीभूत होना, सुनिश्चित किया जा सके। समिति, इस संबंध में, नोट करती है कि नीति आयोग के विचार से, निजी क्षेत्र एसडीजी कार्यान्वयन तथा सतत आर्थिक वृद्धि को सक्षम बनाने, सामाजिक समावेशन और पर्यावरण संरक्षण में मुख्य घटक बन सकता है। इस प्रकार, यह अनिवार्य होगा कि निजी क्षेत्र अपने मुख्य व्यवसायिक कार्यकलापों से बाहर आकर प्रौद्योगिकी अंतरण, क्षमता विकास, गरीबों के लिए सार्वजनिक सामान का सृजन और एसडीजी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता करना शुरू करे। इसी तरह, समिति ने गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका के बारे में भी जांच-पड़ताल की और यह नोट किया कि धर्मार्थ कार्यों में सम्मिलित गैर सरकारी संगठन/गैर लाभ वाले संगठन एसडीजी के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भागीदार हैं। वे लगातार नीति आयोग के संवेदीकरण और जागरूकता विकास कार्य का हिस्सा रहे हैं। नीति आयोग ने समिति को यह जानकारी दी है कि गैर-सरकारी संगठनों ने निचले स्तर तथा अन्य स्तरों पर एसडीजी संबंधी जागरूकता तथा क्षमता विकास कार्य में उनका समर्थन किया है। जो लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वंचित समुदायों के साथ काम कर रहे हैं, वे सामाजिक समावेशन में अपना योगदान दे रहे हैं ताकि "कोई भी पिछड़ न पाए।" नीति आयोग ने वर्ष 2019-20 में कई ऐसे संगठनों और उनके नेटवर्क के साथ भागीदारी की, जो विभिन्न अतिसंवेदनशील सामाजिक समूहों जैसे बच्चों, महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों, प्रवासी मजदूर, बुजुर्ग, दिव्यांग त्रोग, एचआईवी

संक्रमित आदि लोगों के साथ सभी एसडीजी संबंधी राष्ट्र-व्यापी परामर्श आयोजित करते हैं। सीएमआर रिपोर्ट में परामर्शों के परिणाम शामिल किए गए हैं। समिति चाहती है कि एसडीजी की उपलब्धि की दिशा में उनके संसाधनों और क्रियाकलापों को चैनल करने के लिए सक्षम बनाने हेतु निजी क्षेत्र के लिए नीति विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करे। विकास प्रक्रिया में साझीदारों के रूप में नियोजित और सतत विकास चुनौतियों को हल करने की दिशा में अपनी सृजनात्मकता और नवाचार लागू करने के लिए व्यवसायों को आमंत्रित करने की आवश्यकता है। समिति यह भी चाहती है कि एनजीओ और इसी तरह के अन्य संगठनों धर्मार्थ कार्य से जुड़े हैं, उन्हें विभिन्न माध्यमों से एसडीजी के बारे में अवगत कराया जाए और उन्हें एसडीजी संबंधी जागरूकता कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। समिति इस संबंध में की-गई-कार्रवाई के ब्यौरा की प्रतीक्षा करेगी।

(क्रमांक 9; परिशिष्ट II; लोक लेखा समिति
की बत्तीसवीं रिपोर्ट (17वीं लोकसभा) का पैरा नं.9)

की गई कार्रवाई

नीति आयोग के सहयोग से, कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय ने वर्ष 2019-2020 तक 'जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण (एनजीआरबीसी) के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश' तथा व्यावसायिक उत्तरदायित्व और सततता रिपोर्ट (बीआरएसआर) प्रारूप तैयार और जारी किए हैं, जो एसडीजी में पूरी तरह से फैक्टर किए गए हैं और निजी क्षेत्र को अपनी पहल और निवेश को एसडीजी के साथ संरेखित करने में सक्षम बनाते हैं। ये दिशानिर्देश पर्याप्त रूप से विस्तृत हैं और हितधारक के साथ पर्याप्त परामर्श के आधार पर तैयार किए गए हैं। इसके अलावा, एसडीजी को प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को संचालित करने और प्रोत्साहित करने के लिए, नीति आयोग, यूएनडीपी और इन्वेस्ट इंडिया - राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से भारत के लिए एसडीजी निवेशक मानचित्र प्रकाशित किया गया है। यह बाजार आसूचना उपकरण एसडीजी-संरेखित निवेश और व्यापार के अवसरों के संबंध में स्थानीय डाटा और विशिष्ट जानकारी प्रदान करता है तथा निवेशकों, उद्योग, नीति-निर्माताओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच प्रभावकारी साझेदारी के लिए एक समर्थकारी परिवेश में सहयोग करता है। इसके आगे, भारत में एसडीजी-संबद्ध निवेश की सुविधा के लिए नीति आयोग, यूएनडीपी और प्राइमस पार्टनर्स (तकनीकी भागीदार के रूप में काम करने वाली एक प्रबंधन परामर्श फर्म) द्वारा संयुक्त रूप से एसडीजी मार्केटप्लेस, जो एक वेब-आधारित प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म है, विकसित किया जा रहा है। यह मंच विभिन्न निवेशकों द्वारा सामना की जाने वाली सूचना विषमता को दूर करने का प्रयास करता है, निवेशकों और कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच मैचमेकिंग की सुविधा प्रदान करता है, जोखिम पूंजी और निजी निवेश को जोड़ता है, और एसडीजी एवं भौगोलिक क्षेत्रों में ई-फंडिंग को बढावा देता है, जिनमें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। छह राज्यों नामतः छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान ने पहली प्रायोगिक (पायलट) परियोजना में भाग लेने में रूचि व्यक्त की है। इस प्रकार, नीति आयोग साझेदारी को मजबूत करने और एसडीजी के कार्यान्वयन में निजी क्षेत्रों की रचनात्मकता, नवाचार और अन्य संसाधनों का उपयोग करने में मदद करने के लिए निजी क्षेत्र के संगठनों और उनके नेटवर्क के साथ सहकार्य करना जारी रखता है। दूसरी ओर, नीति आयोग एसडीजी पर सूचना संचार और जागरूकता पैदा करने के कार्य के लिए गैर सरकारी संगठनों और अन्य नागरिक समाज संगठनों के साथ जुड़ना जारी रखता है।

<u>लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां</u>

नीति आयोग के गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समुदाय संगठनों के साथ सम्बद्धता का विवरण भी समिति को प्रस्तुत किया जाए।

<u>पुनरीक्षण टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई टिप्पणी</u>

सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एसडीजी परामर्शों में, नीति आयोग ने कई सक्रिय और संगत गैर सरकारी संगठनों तथा नागरिक समुदाय संगठनों (सीएसओ) को आमंत्रित किया है। स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (वीएनआर) 2020 में लगभग 1000 गैर सरकारी संगठनों/सीएसओ ने हिस्सा लिया। उनके सहयोग से विभिन्न कमजोर समुदायों की स्थिति और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 14 राष्ट्रीय परामर्श बैठकें और 20 उपराष्ट्रीय परामर्श बैठकें आयोजित की गईं जो निम्नवत हैं: (i) आदिवासी; (ii) किशोर, युवा और युवा कार्यकर्ता; (iii) बच्चे; (iv) दलित; (v) जबरन श्रम और मानव तस्करी के शिकार लोग (vi) गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियाँ; (vii) बुजुर्ग; (viii) किसान; (ix) प्रवासी और शहरी गरीब; (x) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र; (xi) एचआईवी (पीएलएचआईवी) के साथ रहने वाले लोग; (xii) दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी); (xiii) यौन अल्पसंख्यक (समलिंगी, समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर, क्विबयर, इंटरसेक्स, अलैंगिक प्लस); और (xiv) महिलाएं। परामर्श से उठने वाले मुद्दे, समस्याओं और सिफारिशों को वीएनआर 2020 रिपोर्ट में शामिल किया गया था।

सचिव/ अपर सचिव/ संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर

(योजना मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन सं. 18/3/2019-संसद दिनांक 06 अक्तूबर, 2021)

नीति आयोग (योजना मंत्रालय)
टिप्पणी/सिफारिश
<u>सतत विकास लक्ष्य की कार्यसूची के कार्यान्वयन के लिए संसाधन जुटाना</u>

समिति ने यह भी पाया है कि वर्ष 2030 कार्यसूची, कार्यसूची के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधनों सहित सभी साधनों की पहचान और उन्हें सुरक्षित करने पर जोर डालती है। स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रतिवेदन और तीन वर्षीय कार्रवाई कार्यसूची ने घरेलू संसाधन जुटाने के इष्टतमीकरण हेतु सरकार दवारा उठाए गए कई कदमों पर प्रकाश डाला है। तथापि, एसडीजी कार्यान्वयन हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधनों को आकलन और पहचान करने के लिए केन्द्र में वित्त मंत्रालय अथवा चयनित राज्यों द्वारा कोई व्यापक अभ्यास नहीं किया गया है। राष्ट्रीय बजट में एसडीजी एकीकृत करने के लिए केन्द्र स्तर पर कोई कदम नहीं उठाया गया है और अधिकतर चयनित राज्य महासभा संकल्प के अनुपालन के 5 साल बाद भी एसडीजी के साथ अपने बजट को उन्मुख करने के केवल प्रारंभिक चरण में थे। नीति आयोग के अनुसार, केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत, राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों के साथ संगत लाइन मंत्रालय/विभाग विचार-विमर्श/परामर्श करता है, जिसमें उसी के लिए वित्तीय आवश्यकताओं संबंध चर्चाएं भी शामिल है। मंत्रालय/विभाग वित्त मंत्रालय के समक्ष साझेदारी स्वरूप पर आधारित वित्तीय का प्रक्षेपण करते हैं जो वांछित वित्तीय सहायता का मूल्यांकित और अनुमोदित करता है। समिति पाती है कि नीति आयोग राष्ट्रीय बजट में वित्तीय संसाधनों संबंधी एसडीजी के एकीकरण की दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में समिति को

अवगत कराने में सक्षम नहीं रहा है। समिति ने इस विषय की जांच के लिए उठाने के बाद ही, नीति आयोग ने वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ संयुक्त रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और पानी तथा स्वच्छता के क्षेत्र में एसडीजी को प्राप्त करने के लिए अवश्यक वित्तीय संसाधनों के आकलन के लिए एक अध्ययन आयोजित करने की पहल की। अध्ययन रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। समिति को विश्वास है कि यह अध्ययन पूरा किया जाएगा। समिति चाहती है कि अध्ययन के परिणाम और नीति आयोग और वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा उस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में भी उसे अवगत कराया जाए। समिति का इस संबंध में विचार है कि यहां तक कि केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के साथ एसडीजी के सामंजस्य स्थापित करने की संभावना में भी एसडीजी प्राप्त करने के लाभ को स्पष्ट रूप से बताया जाए ताकि भारत देश की उपलब्धि दिखा सके।

(क्रमांक 10; परिशिष्ट II; लोक लेखा समिति की बत्तीसवीं रिपोर्ट (17वीं लोकसभा) का पैरा नं.10)

की गई कार्रवाई

शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और जल और स्वच्छता के क्षेत्रों में एसडीजी को प्राप्त करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों का अनुमान लगाने के लिए, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ संयुक्त रूप से किए गए अध्ययन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

<u>लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां</u>

अध्ययन रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की संभावित तिथि के बारे में लोक लेखा समिति को सूचित किया जाए।

सचिव/ अपर सचिव/ संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर

(योजना मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन सं. 18/3/2019-संसद दिनांक 06 अक्तूबर, 2021)

नीति आयोग (योजना मंत्रालय)

टिप्पणी/सिफारिश

<u>राष्ट्रीय संकेतक तंत्र (एनआईएफ)</u>

समिति ने यह नोट किया है कि निगरानी और समीक्षा को सक्षम करने के लिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) को एक राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) विकसित करने का काम सौंपा गया है, जो. नवंबर, 2018 में ही प्रकाशित हुआ था जो परिणामस्वरूप, कार्य जैसे कि बेसलाइन डाटा की तैयारी जो एक उचित निगरानी और सूचित ढांचे की नींव की कुंजी हैं, मार्च 2019 में ही पूरी हो गई थी। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए माइल स्टोन को समय सीमा के साथ सुनियोजित नहीं किया गया है। सात चयनित राज्यों में, संकतक विकसित करने और डाटा स्रोतों की

पहचान करने की कार्रवाई ने आवश्यक स्तर की प्रगति हासिल नहीं की है। समिति को इस संबंध में अवगत कराया गया है कि 306 संकेतकों वाले एनआईएफ को सभी हितधारकों के परामर्श से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय दूवारा तैयार किया गया था। इसके अलावा, वर्तमान में 250 संकेतकों के संबंध में डाटा उपलब्ध बताया गया है और बाकी संकेतकों के लिए डाटा एकत्र करने के लिए, नए सर्वेक्षणों की शुरआत की गई है। इस तरह के कुछ सर्वेक्षणों में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), समय का उपयोग सर्वेक्षण (टीयूएस), कृषि परिवारों की स्थितियों पर स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण (एसएएस) आदि शामिल हैं। समिति ने इस संबंध में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कदमों की सराहना करते हुए इस संबंध में जानना चाहा है कि ये सर्वेक्षण कब शुरू किए गए थे और सर्वेक्षण पूरा होने की समय-सीमा क्या है। समिति इन सर्वेक्षणों के परिणामों से भी अवगत होना चाहती है और चाहती है कि शेष लक्ष्यों के संबंध में डाटा संकलित किया जाए और शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। समिति इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि कुछ संकेतक जो कि महासभा के प्रस्ताव का एक हिस्सा हैं, को भारतीय संदर्भ में नया माना जाता है, जिसके बारे में सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय दवारा सूचित किया गया है, लक्ष्यों को अभी पूरा नहीं किया गया है और इन पर यथासमय काम किया जाएगा। समय के साथ बाहर। समिति महसूस करती है कि माइल स्टोन की पहचान न करने से संबंधित ल्क्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी रोडमैप/नीति तैयार करने पर असर पड़ सकता है। अतः, समिति सिफारिश करती है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय शीघ्रता से प्रभावी कदम उठाए ताकि सभी संकेतकों के लिए माइल स्टोन की पहचान हो सके और इन संकेतकों पर सही तरीके से काम शुरू किया जाए।

(क्रमांक 11; परिशिष्ट II; लोक लेखा समिति की बत्तीसवीं रिपोर्ट (17वीं लोकसभा) का पैरा नं.11)

की गई कार्रवाई

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने एसडीजी के लिए एक राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ), वैश्विक संकेतक फ्रेमवर्क (जीआईएफ) के अनुरूप, विकसित किया, जिसमें आरम्भ में संबंधित मंत्रालयों/विभागों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और अन्य हितधारकों के परामर्श से अभिचिह्नित डाटा स्रोतों और आवधिकता के साथ 306 राष्ट्रीय संकेतक (संस्करण 1.0) शामिल किए गए थे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 24.10.2018 को आयोजित अपनी बैठक में एनआईएफ की आवधिक समीक्षा और परिशोधन के लिए उच्च स्तरीय संचालन समिति (एचएलएससी) के गठन के संबंध में एसडीजी के लिए एनआईएफ के संबंध में मंत्रालय द्वारा दिए गए प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया। तदनुसार, समय-समय पर एनआईएफ की समीक्षा, परिशोधन और संशोधन के लिए, नीति आयोग, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सदस्यों को शामिल कर भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् सह सचिव, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) की अध्यक्षता में एसडीजी पर एक उच्च स्तरीय संचालन समिति (एचएलएससी) का गठन किया गया है।

तब से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा कई पहले की गई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-एसडीजी एनआईएफ पर पहली बेसलाइन रिपोर्ट जारी करना, एसडीजी

डैशबोर्ड का शुभारम्भ, राज्य संकेतक फ्रेमवर्क के विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दिशानिर्देश तैयार करना और उनका परिचालन, केंद्र और राज्य के अधिकारियों के लिए एसडीजी पर क्षमता विकास, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अगले दौर में कुछ संकेतकों पर डाटा एकत्र करके डाटा की कमी को दूर करने के लिए नए सर्वेक्षण शुरू करना, एसडीजी डाटा आवश्यकताओं के अनुसार मौजूदा सर्वेक्षणों का संरेखण, आदि शामिल हैं।

जीआईएफ की तरह ही, एनआईएफ भी विकासवादी प्रकृति के हैं और इन्हें संबंधित मंत्रालयों/ अभिरक्षक एजेंसियों के परामर्श से समय-समय पर परिशोधित किया जाता है। वर्तमान में, एनआईएफ (संस्करण 3.1) में 295 संकेतक शामिल हैं और 266 संकेतकों के संबंध में डाटा उपलब्ध है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने एनआईएफ से बहुत-से संकेतकों के लिए संगत डाटा प्राप्त करने हेतु अनेक सर्वेक्षण अर्थात् आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), समय उपयोग सर्वेक्षण (टीयूएस), कृषि परिवारों की स्थिति पर स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) आदि किए हैं। इन सर्वेक्षणों के ब्यौरे **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं।

सभी संकेतकों के लिए उपलब्धि-चरण (माइलस्टोन) की पहचान करने के लिए प्रभावी पहल शुरू करने के संबंध में और समुचित गम्भीरता से इन संकेतकों पर काम करना शुरू करने के संबंध में, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने नीति आयोग के साथ बैठक की और उसके बाद डाटा स्रोत मंत्रालयों /विभागों के साथ-साथ संबंधित एसडीजी के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार संबंधित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित एसडीजी राष्ट्रीय संकेतक के उपलब्धि-चरण (माइलस्टोन) नियत करने का अनुरोध किया गया था ताकि एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति की निगरानी की जा सके। संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ इस मामले का सख्ती से पालन किया गया और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ विभाग 5 ऑनलाइन कार्यशालाएं आयोजित की गई ताकि उपलब्धि-चरण (माइलस्टोन) नियत करने से संबंधित मुद्दों को सामूहिक रूप से हल किया जा सके।

एसडीजी संकेतकों के लिए उपलब्धि-चरण (माइलस्टोन) नियत करने में संबंधित डाटा स्रोत/कार्यान्वयन मंत्रालयों/विभागों को सहायता प्रदान करते हुए, निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ा:

i. बहुत-से एसडीजी संकेतकों के संबंध में डाटा स्रोत मंत्रालय / विभाग, कार्यान्वयन मंत्रालयों से अलग थे क्योंकि संकेतक सर्वेक्षण / संगणना / अन्य संकलित आंकड़ों पर आधारित थे;
ii. कुछ एसडीजी संकेतकों के लिए, उपलब्धि-चरण (माइलस्टोन), विशेष रूप से बजट संबंधी संकेतकों को निर्धारित करना संभव नहीं था;
iii. डाटा स्रोत मंत्रालयों / विभागों ने कुछ मौजूदा एसडीजी संकेतकों में सुधार का सुझाव दिया।

एसडीजी एनआईएफ प्रगति रिपोर्ट 2021 (दिनांक 29 जून, 2021 को जारी संस्करण 3.1) के अनुसार; एनआईएफ में 295 संकेतक हैं और 266 राष्ट्रीय संकेतकों के लिए डाटा उपलब्ध है। इन 266 राष्ट्रीय संकेतकों के संबंध में, जिनके लिए डाटा उपलब्ध है, उपलब्धि-चरण (माइलस्टोन) निर्धारित करने की स्थिति निम्नानुसार है:

क). मंत्रालयों/विभागों ने 142 संकेतकों के लिए या तो उपलब्धि-चरण (माइलस्टोन) निर्धारित किए गए हैं या इनपुट प्रदान किए हैं या यह प्रस्तुत किया है कि उपलब्धि-चरण (माइलस्टोन) निर्धारित करना संभव नहीं है ।

ख). शेष संकेतकों के लिए, संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने सूचित किया है कि वे अभी भी अपने संबंधित प्रभागों/स्कंधों/इकाइयों या अन्य संबंधित मंत्रालयों (जहां लागू हो) के साथ कार्य कर रहे हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) शेष संकेतकों पर उपलब्धि-चरण (माइलस्टोन) नियत करने की सुविधा के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ बातचीत करना जारी रखेगा।

एसडीजी राष्ट्रीय संकेतक के लिए उपलब्धि-चरण (माइलस्टोन) निर्धारित करने से संबंधित विस्तृत प्रतिक्रिया **अनुलग्नक-II** पर दी गई है।

<u>लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां</u>

चूंकि 295 राष्ट्रीय संकेतकों में से 29 के आंकड़े अभी भी उपलब्ध नहीं हैं, अतः सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में लोक लेखा समिति को सूचित किया जाए।

<u>पुनरीक्षण टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई टिप्पणी</u>

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 29 जून 2021 को सतत विकास लक्ष्य-राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2021 (संस्करण 3.1) जारी की है। वर्तमान में, राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) में 295 संकेतक हैं, जिनमें से 266 संकेतकों के लिए डेटा उपलब्ध है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने शेष 29 एनआईएफ संकेतकों पर डेटा संकलित करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 78वें दौर के दौरान एक बहु संकेतक सर्वेक्षण (एमआईएस) का संचालन शामिल है। इसके अलावा, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय कुछ एसडीजी संकेतकों पर डेटा को प्राप्त करने और संकलित करने के लिए एनएसएस 79वें दौर के हिस्से के रूप में एक व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण (सीएएमएस) शुरू करने की तैयारी में है। इसके अतिरिक्त, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय शेष संकेतकों के लिए डेटा प्राप्त करने हेतु भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के साथ विषयगत मामले की पहल कर रहा है।

सचिव/ अपर सचिव/ संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर

(योजना मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन सं. 18/3/2019-संसद दिनांक 06 अक्तूबर, 2021)

नीति आयोग (योजना मंत्रालय)

टिप्पणियां/सिफारिशें

<u>लक्ष्य 3- अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण</u>

समिति ने यह नोट किया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एसडीजी के लक्ष्य -3 अर्थात् "अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण" के लिए ज़िम्मेदार है, जिसका उद्देश्य स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करना और सभी उम्र के लोगों की भलाई को बढ़ावा देना है। एसडीजी-3 की निगरानी के लिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 73 स्वास्थ्य संबंधी संकेतकों की एक सूची की पहचान की गई है और स्वास्थ्य संकेतक फ्रेमवर्क (एचआईएफ) में बताया गया है। इनमें, 'मृत्यु दर' और अन्य संकेतक भी शामिल्र हैं जिनका स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) के अनुसार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 44 संकेतकों के लिए डाटा स्रोत एजेंसी के रूप में कार्य करता है (जो उपर्युक्त 73 एचआईएफ संकेतकों का एक उप-समूह है)। इसके अलावा, शेष संकेतकों के लिए जो स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, प्रमुख डाटा स्रोत भारत के महारजिस्ट्रार (ओआरजीआई) का कार्यालय, जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आदि हैं।

समिति नोट करती है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इंगित समय-सीमा के अनुसार देश के निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति आशावादी हैं:

एसआरएस (ओआरजीआई) दूवारा जारी एमएमआर 2014-16 के दौरान प्रति 1 लाख जीवित पैदा होने वाले बच्चों पर 130 से घटकर 2015-17 के दौरान प्रति 1 लाख पर 122 तक हो गया। यदि भारत का सालाना प्रतिशत परिवर्तन (-6.2%) जारी रहता है, तो उम्मीद है कि वर्ष 2025 तक देश 70 एमएमआर का लक्ष्य प्राप्त कर ले।

"यू5एमआर, 2016 में प्रति 1000 जीवित पैदा होने वाले बच्चों पर 39 से घटकर 2017 में प्रति 1000 पर 37 हो गया (एसआरएस रिपोर्ट के अनुसार)। यदि पिछली प्रवृत्ति जारी रहती है, तो उम्मीद है कि भारत वर्ष 2020-21 तक एसडीजी लक्ष्य प्राप्त कर ले।

"एसआरएस, 2017 के अनुसार, एनएनएमआर प्रति 1000 जीवित पैदा होने वाले बच्चों पर घटकर 23 हो गया है। यदि पिछली प्रवृत्ति जारी रहती है तो उम्मीद है कि भारत वर्ष 2025 तक 12 का एसडीजी लक्ष्य प्राप्त कर ले|

समिति को भरोसा है कि यद्यपि चालू महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए संसाधनों का भारी मात्रा में उपयोग किया जा रहा है, फिर भी लक्ष्यों की प्राप्ति पहुँच के अंदर है | समिति को उक्त लक्ष्यों की उपलब्धि की वर्तमान स्थिति और निर्धारित समय के भीतर ही इसे प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया जाए।

की गई कार्रवाई

उक्त लक्ष्य की प्राप्ति की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

- एसआरएस (ओआरजीआई) द्वारा जारी एमएमआर वर्ष 2015-16 के दौरान के 122 प्रति लाख से कम होकर वर्ष 2016-18 के दौरान 113 प्रति लाख रह गया। राज्यवार डाटा **अनुलग्नक-III** पर दिया गया है।
- यू5एमआर वर्ष 2017 में 37 प्रति 1000 जीवित जन्मों से घटकर वर्ष 2018 में 36 प्रति 1000 जीवित जन्म हो गया है (एसआरएस रिपोर्ट के अनुसार)। वह राज्यवार डाटा **अनुलग्नक-IV**पर दिया गया है।
- एसआरएस के अनुसार, एनएनएमआर वर्ष 2018 में 23 प्रति 1000 जीवित जन्म है। राज्यवार डाटा **अनुलग्नक-V**पर दिया गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एसडीजी की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम (व्हीकल) का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि, यह स्पष्ट है कि भारत को अपने सभी नागरिकों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) प्रदान करने में कम से कम एक दशक या उससे अधिक समय लगेगा, अगले पांच वर्षों के लिए एनएचएम का कार्यान्वयन, पहले से उठाए गए कदमों पर आधारित होगा। एनएचएम के तहत स्वास्थ्य प्रणाली कार्यनीतियों (एचएसएस) में सुविधा-आधारित वितरण की गुणवत्ता में सुधार, जिला अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण, आउटरीच सेवाओं के विस्तार और सुधार, मुफ्त चिकित्सा परामर्श, निदान, आवश्यक औषधियों और रेफरल परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया गया हैं तथा क्षमता निर्माण तथा मानव संसाधन का कौशल-वर्धन, एसडीजी की उपलब्धि की दिशा में प्रगति के लिए परमावश्यक हैं। इसके अलावा, उक्त लक्ष्यों के सापेक्ष मैप किए गए विशिष्ट उपाय निम्नानुसार हैं:

लक्ष्य : प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर एमएमआर को 70 से कम करना
कार्यक्रम के तहत उपाय:

- जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके), सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन),
- प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए), एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी), प्रसव कक्ष एवं गुणवत्ता सुधार पहल (लक्ष्य),
- मिडवाइफरी संबंधी पहल,
- आपातकालीन प्रसूति और नवजात देखभाल (ईएमओएनसी), बुनियादी आपातकालीन प्रसूति और नवजात देखभाल (बीईएमओएनसी),
- स्किल बर्थ अटेंडेंट (एसबीए), और दक्षता
- एफआरयू वितरण बिंदुओं को सुदृढ़ बनाना,
- एमसीएच विंग्स, स्किल लैब्स,
- प्रसूति एचडीयू/आईसीयू की स्थापना, व्यापक गर्भपात देखभाल (सीएसी), मातृ मृत्यु निगरानी और प्रतिक्रिया (एमडीएसआर) ।

लक्ष्य: नवजात शिशुओं और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की निवार्य मृत्यु-दर को समाप्त करना
कार्यक्रम के तहत उपाय:

- सुविधा आधारित नवजात देखभाल (एफबीएनसी), गृह आधारित नवजात देखभाल (एचबीएनसी), छोटे बच्चे की गृह आधारित देखभाल (एचबीवाईसी), पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी),
- व्यापक स्तनपान प्रबंधन केंद्र (सीएलएमसी), एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी), राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (एनडीडी),
- गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा (आईडीसीएफ), निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई (एसएएएनएस), राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके),
- बाल मृत्यु समीक्षा (सीडीआर) ।

लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां
कोई टिप्पणी नहीं की गई।

सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर

(योजना मंत्रालय के दिनांक 06 अक्तूबर, 2021 का का.ज्ञा.सं.18/3/2019-संसद)

नीति आयोग (योजना मंत्रालय)

टिप्पणियां/सिफारिशें
परामर्शक प्रक्रिया- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

समिति ने नोट किया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एमडीजी से एसडीजी में परिवर्तन के संबंध में परामर्श आयोजित किया है और लक्ष्य-3 के संबंध में भी एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया है। हालाँकि, तीन मंत्रालयों/विभागों, यथा आयुष, जनजातीय कार्य और गृह मंत्रालय जो एसडीजी के लक्ष्य 3 से संबद्ध हैं, ऐसे परामर्शों में शामिल नहीं किया गया; तथा लेखापरीक्षा और साथ ही समिति के द्वारा इस मामले की ओर इंगित किए जाने के बाद ही इन मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय कार्य बल (नेशनल टास्क फोर्स) में शामिल किया गया। समिति ने निराशा के साथ यह भी नोट किया है कि लक्ष्य -3 के संबंध में जागरूकता और हितधारक की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट और निरंतर उपाय राज्यों में नहीं देखे गए हैं। समिति को इस संबंध में बताया गया है कि संबंधित मंत्रालयों के साथ-साथ राष्ट्रीय कार्य बल और कार्यकरण समूहों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं, संबंधित मंत्रालयों के साथ संयुक्त वीडियो सम्मेलनों का उपयोग हितधारक का जुड़ाव बढ़ाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए एक साधन के रूप में किया जाता है। बोर्डरूम से लेकर ज़मीनी स्तर के एसडीजी तक जन जागरूकता के दायरे का विस्तार करना आसान नहीं है। अतः समिति चाहती है कि संबंधित मंत्रालयों की बैठकों और कार्य बल के अलावा, संसद सदस्यों, विधायकों, अध्यक्ष, जिला पंचायत, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, ब्लॉक स्तर के अधिकारी आदि भी जागरूकता बढ़ाने के कार्य से जुड़े हों ताकि एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रभावी भागीदारी हो।

(क्रम सं.13; परिशिष्ट II; लोक लेखा समिति की बत्तीसवीं रिपोर्ट का पैरा संख्या.13)
(17वीं लोक सभा)

की गई कार्रवाई
टिप्पणी नोट कर ली गई है।

लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां

पीएसी के निदेशानुसार उत्तर व्यापक होना चाहिए न कि अधूरा, अस्पष्ट या 'नोट किया गया' अथवा 'स्वीकृत' आदि सामान्य शब्दों में सीमित रहना चाहिए। इसलिए, पीएसी की टिप्पणी के अनुपालन में उठाए गए विशिष्ट कदमों का विवरण स्पष्ट किया जाए।

पुनरीक्षण टिप्पणियों के अनुसार की गई कार्रवाई
सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) और जागरूकता गतिविधियों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एसडीजी-3 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्यों और संकेतकों के अनुरूप मैप किए गए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का समर्थन किया जाता है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आयोजित कार्यक्रम विशिष्ट गतिविधियों में ज़मीनी स्तर से लेकर जिला पंचायत, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों तक के हितधारक शामिल होते हैं।

कार्यक्रम प्रभाग स्तर पर आईईसी और जागरूकता गतिविधियों के समन्वयन के अलावा मंत्रालय का स्वस्थ नागरिक अभियान (एसएनए) प्रभाग समय-समय पर व्यापक आईईसी गतिविधियों और विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर जागरूकता के प्रावधानों को संचालित करता है ताकि कार्यक्रम के तहत निर्धारित उद्देश्यों को अंततः प्राप्त किया जा सके जोकि देश को एसडीजी-3 लक्ष्य को हासिल करने की ओर ले जाएगा।

सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर

(योजना मंत्रालय के दिनांक 06 अक्तूबर, 2021 का का.ज्ञा.सं.18/3/2019-संसद)
नीति आयोग (योजना मंत्रालय)

टिप्पणियां/सिफारिशें
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुवीक्षण

समिति नोट करती है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विशेष रूप से एनएचएम के 2017-2020 चरण में लक्ष्य-3 के साथ विभिन्न हस्तक्षेपों/पहलों/योजनाओं और लक्ष्यों को सम्मिलित किया है। हालाँकि, यह नोट किया गया था कि लक्ष्य-3 के संबंध में मैपिंग चयनित राज्यों में व्यापक नहीं थी और कई राज्य प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं को भी लक्ष्य-3 के साथ मैप नहीं

किया गया था। इस संबंध में समिति का मानना है कि यदि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की उचित लेखापरीक्षा की गई होती, तो अंतर पाटा जा सकता था। जैसा कि समिति को बताया गया है, 28 जनवरी, 2020 को आयोजित हुई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एसडीजी-3 को शुरू करने के संबंध में कार्यकरण समूह की बैठक के परिणामस्वरूप राज्यों में मैपिंग को सुदृढ़ किया गया है। लक्ष्य-3 के संबंध में मैपिंग नियमित सहायता और निगरानी माध्यम से की जाएगी और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मैपिंग के कार्य को पूरा करने के लिए सभी राज्यों के साथ मित्रकर काम कर रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, राज्यों को उन अधिकांश सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में जिनमें एसडीजी शामिल है, के लिए संवैधानिक रूप से कार्य करना अनिवार्य है। फिर भी, समिति का विचार है कि मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण कि देश कुछ विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, राज्यों को निगरानी और सहायता प्रदान करने की ज़िम्मेदारी मुख्य रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य संबद्ध मंत्रालयों की है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं की निगरानी के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करे ताकि सभी राज्य मैपिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। समिति इस बात पर जोर देती है कि जमीनी स्तर पर राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों दूवारा सामना की जा रही समस्याओं को समझने और सुलझाने का प्रयास जारी रखा जाए ताकि परिकल्पित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

(क्रम सं.14; परिशिष्ट II; लोक लेखा समिति की बत्तीसवीं रिपोर्ट का पैरा संख्या.14)
(17वीं लोक सभा)

की गई कार्रवाई

डब्ल्यूएचओ से तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मार्गदर्शन में एक वेब आधारित ऑनलाइन डैशबोर्ड (अर्थात् एसडीजी स्वास्थ्य डैशबोर्ड) विकसित किया गया है। यह एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है जो विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों के लिए अखिल भारतीय और राज्य-वार प्रदर्शन का एक चित्रण प्रस्तुत करता है और इस प्रकार नीति निर्माताओं/कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ताओं को कार्रवाई के लिए प्राथमिकताओं की पहचान करने और वर्ष 2030 तक एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भावी कार्य-योजना तैयार करने में सक्षम बनाता है।

एसडीजी स्वास्थ्य डैशबोर्ड में राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर एसडीजी-3 स्वास्थ्य लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में चार्ट, ग्राफ और मानचित्रों की सुचित्रित प्रस्तुति, संकेतक मूल्यों, उनकी प्रवृत्ति और प्रदर्शन को ट्रैक करने में सक्षम बनाने के लिए संकेतक के साथ लक्ष्य को सहसंबंधित करने के लिए अंतर्निहित व्यावसायिक बुद्धिमत्ता उपकरण हैं।

एसडीजी स्वास्थ्य डैशबोर्ड को दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था और राज्यों को इसी के अनुरूप अपने स्वयं के एसडीजी स्वास्थ्य डैशबोर्ड विकसित करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाता है।

लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां

कोई टिप्पणी नहीं की गई।

सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर

(योजना मंत्रालय के दिनांक 06 अक्तूबर, 2021 का का.ज्ञा.सं.18/3/2019-संसद)

नीति आयोग (योजना मंत्रालय)

टिप्पणियां/सिफारिशें

नीतिगत ढांचे का एकीकरण

प्रस्तुत जानकारी से, समिति ने नोट किया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कई उपायों की शुरुआत की है जो समग्र रूप से नीतिसंगत कार्यों को करने में सहायक है। हालाँकि, संगत नीतिगत पहलें या तो राज्यों में नहीं की गई हैं अथवा अपर्याप्त हैं। हालांकि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पर्याप्त सुसंगत नीतिगत सामंजस्य है। समिति मंत्रालय के इस तर्क से सहमत नहीं है क्योंकि सभी सात राज्यों में, केंद्र और राज्य सहयोगात्मक तरीके से अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने के लिए अपनी-अपनी भूमिकाएँ प्रभावी ढंग से नहीं निभा रहे हैं। समिति यह नोट करते हुए दुखी है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लक्ष्य 3 के कार्यान्वयन के लिए वर्टिकल सुसंगता के पहलू के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित एक कार्यकरण समूह ने किसी भी बैठक का आयोजन नहीं किया है। 23 जनवरी, 2020 को उनकी बैठक में समिति द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद ही राष्ट्रीय कार्यदल के कार्यकरण समूह ने 28 जनवरी, 2020 को एक बैठक की। मंत्रालय द्वारा यह भी बताया गया है कि राष्ट्रीय कार्यबल ने कार्य समूहों की नियमित बैठक आयोजित करने की आवश्यकता को दोहराया है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। समिति का इस संबंध में मत है कि निर्देश जारी करने से वांछित परिणाम नहीं आएंगे जब तक कि इनका अक्षरशः अनुपालन न किया जाए। अतः, समिति सिफारिश करती है कि कार्य समूहों की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाएं ताकि केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच नीतिगत उपायों पर समस्तरीय सुंसगतता प्राप्त करने के तरीके और साधनों के बारे में सुझाव दिया जा सके। समिति को अब तक कार्य समूहों की बैठकों, नीतिगत सुसंगतता बनाए रखने के लिए सुझाए गए उपायों और केन्द्र/राज्यों द्वारा उस पर की गई कार्रवाई के बारे में भी अवगत कराया जाए।

(क्रम सं.15; परिशिष्ट II; लोक लेखा समिति की बत्तीसवीं रिपोर्ट का पैरा संख्या.15)

(17वीं लोक सभा)

की गई कार्रवाई

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एसडीजी -3 पर कार्रवाई करने के संबंध में कार्य समूह की पहली बैठक दिनांक 28, जनवरी 2020 को आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान एसडीजी संकेतकों की मैपिंग पर बल दिया गया था। कार्य समूह ने सुझाव दिया कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को नेशनल इंडिकेटर

फ्रेमवर्क के अनुरूप अपने स्वयं के राज्य संकेतक फ्रेमवर्क (एसआईएफ) विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। इसके बाद, चल रही महामारी की स्थिति के कारण बैठक नहीं की जा सकी।

<u>लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां</u>

समिति को सूचित किया जाए कि क्या इस प्रकार की बैठकें आयोजित करने हेतु आभासी (वर्चुअल) बैठकों की संभावनाओं पर विचार किया गया है।

<u>पुनरीक्षण टिप्पणियों के अनुसार की गई कार्रवाई टिप्पणी</u>

आयोजित अनुवर्ती बैठकों में आभासी भागीदारी का विकल्प भी होगा।

<u>सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर</u>

<u>(योजना मंत्रालय के दिनांक 06 अक्तूबर, 2021 का का.ज्ञा.सं.18/3/2019-संसद)</u>

नीति आयोग (योजना मंत्रालय)

टिप्पणियां/सिफारिशें

<u>जन स्वास्थ्य व्यय</u>

समिति ने नोट किया है कि एनएचएम में जन स्वास्थ्य व्यय को एक प्रतिशत (2015-16) से सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत वर्तमान मूल्य पर (2025 तक) बढ़ाने की परिकल्पना है। तथापि, लेखा परीक्षा टिप्पणी के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में जन स्वास्थ्य व्यय वर्ष 2015-16 से बढ़ रहा है, यह जीडीपी के 1.02 से 1.28 प्रतिशत के संकीर्ण बैन्ड के भीतर बना हुआ है। समिति ने यह भी पाया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान तुलनात्मक रूप से कम निधि आबंटित की जा रही थी। अपर्याप्त आबंटन सराहनीय निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में एसडीजी प्राप्त करने की आवश्यकता पर विचार करते हुए, समिति सिफारिश करती है कि ऐसी निधियों की कोई अपर्याप्तता नहीं होनी चाहिए, जो लक्ष्य-3 की उपलब्धि को लक्ष्य स्तर पर पहुँचने में बाधा उत्पन्न कर सके। इसके अतिरिक्त, केन्द्र के साथ-साथ राज्यों को लक्ष्य-3 के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और उनकी वित्तीय आवश्यकताओं का उचित आकलन करना चाहिए। साथ ही, केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर एसडीजी को लेखांकन और बजटीय फ्रेमवर्क एकीकृत करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। समिति यह जानकर भी अप्रसन्न है कि यद्यपि, एनएचपी ने राज्यों के स्वास्थ्य व्यय में बढ़ोतरी विहित भी है। सात चयनित राज्यों के रिकॉर्ड बताते हैं कि स्वास्थ्य देखभाल के लिए आबंटन अपर्याप्त है। यद्यपि, बताया गया है कि राज्यों को स्वास्थ्य व्यय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाने के लिए कहा गया है, समिति की यह सुविचारित राय है कि स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय पर गंभीरता से विचार किया जाए और उसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

की गई कार्रवाई

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां

पीएसी इस पर उचित विचार कर सकती है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं दिया है।

पुनरीक्षण टिप्पणियों के अनुसार की गई कार्रवाई टिप्पणी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान के अनुसार वर्तमान स्वास्थ्य व्यय (सीएचई) के प्रतिशत के रूप में आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (ओओपीई) 5.9 प्रतिशत अंक गिरकर 2013-14 में 69.1 प्रतिशत से 2016-17 में 63.2 प्रतिशत हो गया है। इसका तात्पर्य है कि इस अवधि में स्वास्थ्य देखभाल के लिए परिवारों की वित्तीय सुरक्षा में सुधार आया है।

केंद्र सरकार ने लोगों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती सावस्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करके लक्ष्य-3 के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और प्रयासों की पूर्ति करने के लिए कई पहल की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत (एबी)- स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एचडब्ल्यूसी), प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) और मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन इनमें से कुछ प्रमुख पहल हैं। इस मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के प्रबंधन और स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज- I एवं II के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों का समर्थन किया है।

अन्य प्रमुख पहल चालू वर्ष (2021-22) में घोषित प्रधानमंत्री आत्म निर्भर भारत योजना (पीएम-एएसबीवाई), एक नई केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसका परिव्यय लगभग 64,180 करोड़ रुपए है। यह प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता बढाएगा, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को मज़बूत करेगा और नई और उभरती बीमारियों को पहचानने और इलाज करने के लिए नए संस्थानों का निर्माण करेगा। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त है।

इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य स्वास्थ्य बजट में पिछले वर्ष से कम से कम 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाए। जहाँ ऐसी वृद्धि पिछले वर्ष में 10 प्रतिशत से कम हो, तो राज्यों को अपने स्वयं के बजटीय संसाधनों से स्वास्थ्य के लिए अधिक आबंटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निधि की दूसरी किश्त जारी करने के लिए पिछले 3 वर्ष की औसत को सोपाधिकता के रूप में मान लिया जाता है।

सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर

(योजना मंत्रालय के दिनांक 06 अक्तूबर, 2021 का का.ज्ञा.सं.18/3/2019-संसद)

नीति आयोग (योजना मंत्रालय)

टिप्पणियां/सिफारिशें

<u>पर्याप्त जन स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं</u>

समिति यह जानकर चिंतित है कि योजनाओं/नीतियों की व्यापकता के साथ-साथ भौतिक और मानव संसाधनों को बढ़ाने के लिए आबंटन में बढ़ोतरी के बावजूद, सभी सात राज्यों में भौतिक संसाधनों के संबंध में महत्वपूर्ण कमी बनी हुई है। जैसाकि, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्य में मानव संसाधनों की काफी कमी थी। समिति, इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई दलील से सहमत नहीं है कि जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है और स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्यों के पास है। इस तर्क से मंत्रालय को स्वास्थ्य क्षेत्र में नोडल मंत्रालय होने की जिम्मेदारी से विमुक्त नहीं किया जा सकता है, जो देशभर में इच्छित स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं का सृजन कर सकता है। समिति की राय है कि निश्चित समय सीमा के भीतर लक्ष्य-3 को प्रभावी ढ़ग से प्राप्त करने की प्राथमिक जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की है। इसके अतिरिक्त, जनसंख्या मानदंड के अनुसार, आवश्यक पीएचसी और चयनित राज्यों में वास्तव में कार्य कर रहे पीएचसी के बीच बड़े अंतर के संबंध में, समिति को अवगत कराया गया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत, 1.5 लाख उप स्वास्थ्य केन्द्र (एसएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (यूपीएचसी) को दिसम्बर, 2022 तक स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) को परिवर्तित करने की परिकल्पना की गई है। इन केन्द्रों को समुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) को नए केडर के दूवारा नेतृत्व प्रदान किया जाना प्रस्तावित है, जो जन स्वास्थ्य और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभात्र में मुख्य पात्रताओं के लिए सर्टिफिकेट प्रोग्राम में छह महीने के कोर्स में बीएससी नर्सिंग स्नातक अथवा प्रशिक्षित आयुर्वेदिक चिकित्सक होगा। समिति इस संबंध में महसूस करती है कि इन आरोग्य केन्दों में कम-से-कम एक एमबीबीएस डॉक्टर को तैनात करना उचित होगा क्योंकि अर्द्ध चिकित्सा कार्मिक मरीजों को दवाइयां नहीं दे सकते हैं। आरोग्य केन्द्रों से भारत के स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली में एमबीबीएस डॉक्टरों की सेवाओं का प्रभावी उपयोग एसडी लक्ष्यों को हासिल करने में संभवत: बड़ा बदलाव ला सकता है। समिति का यह भी विचार है कि डॉक्टरों को विदेश जाने से रोकने के लिए, देश में लोगों की सेवा करने के लिए उन्हें उपयुक्त सुविधाएं और प्रोत्साहन दिया जाए। अत:, समिति चाहती है कि सूदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के विचार से, प्रत्येक आरोग्य केन्द्र में अर्द्ध चिकित्सा कर्मचारी के साथ कम-से-कम एक एलोपैथिक डॉक्टर को भी तैनात किया जाना चाहिए। समिति महसूस करती है कि डॉक्टरों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के अलावा, नियमित अंतराल पर आरोग्य केन्द्रों के कार्यकरण की लगातार निगरानी करने की भी आवश्यकता है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से गरीबों के लिए वहनीय, प्रभावी और विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का लक्ष्य हासिल किया जा सकें।

<u>(क्रम सं.17; परिशिष्ट II; लोक लेखा समिति की बत्तीसवीं रिपोर्ट का पैरा संख्या.17)</u>

<u>(17वीं लोक सभा)</u>

की गई कार्रवाई

आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल - के प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) के स्तर पर परिकल्पित सेवाओं में शीघ्र पहचान, बुनियादी प्रबंधन, परामर्श, उपचार अनुपालन सुनिश्चित करना,

अनुवर्ती देखभाल, उचित रेफरल द्वारा देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करना, इष्टतम गृह और सामुदायिक अनुवर्ती देखभाल, तथा सेवाओं की विस्तारित श्रेणी के लिए स्वास्थ्य संवर्धन और निवारण शामिल हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओं) के नेतृत्व में एसएचसी में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल टीम को प्रबंधन और ट्राइएज के पहला स्तर अर्थात् रोगियों को उपचार और अनुवर्ती जांच-देखभाल के लिए उचित स्वास्थ्य सुविधा में रेफर करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। पीएचसी/यूपीएचसी में चिकित्सा अधिकारी (एमबीबीएस) यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि उनके क्षेत्र में सभी एसएचसी-एचडब्ल्यूसी के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, एसएचसी में सीएचओ द्वारा पीएचसी स्तर पर चिकित्सा अधिकारियों (एमओ) के साथ या राज्य /जिला स्तर के केंद्रों पर चिकित्सा अधिकारियों के साथ टेली-परामर्श किया जाता है और बाद में इन चिकित्सा अधिकारियों के परामर्शों के आधार पर सीएचओ द्वारा औषधि वितरित की जाती है। इसी प्रकार, पीएचसी में चिकित्सा अधिकारियों और राज्य/जिला स्तर के केंद्रों में विशेषज्ञ के बीच विशेषज्ञ टेलीपरामर्श सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। दिनांक 11 अगस्त, 2021 तक, इस प्रकार की 91.66 लाख टेलीपरामर्श सेवाएं (ई- संजीवनी एचडब्ल्यूसी परामर्श - 46.11 लाख और ई- संजीवनी ओपीडी परामर्श - 45.5 लाख) प्रदान की गई हैं।

<u>लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां</u>

मंत्रालय ने पीएसी की निम्नलिखित सिफारिशों पर विवरण प्रस्तुत नहीं किया है:

(i) दूरस्थ प्रदेशों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में पैरामेडिकल स्टाफ के साथ कम से कम एक एलोपैथिक डॉक्टर को नियुक्त करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(ii) डॉक्टरों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के अलावा नियमित अंतरालों में स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन की निरंतर निगरानी के लिए कदम उठाए गए हैं।

<u>पुनरीक्षण टिप्पणियों के अनुसार की गई कार्रवाई टिप्पणी</u>

(i) आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) के तहत 22.09.2021 तक 21,290 पीएचसी- एचडब्ल्यूसी (ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) और 4,135 यूपीएचसी-एचडब्ल्यूसी (शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) संचालित हैं जहाँ स्वास्थ्य देखभाल जरूरतों को पूरा करने के लिए कम से कम एक एमबीबीएस (एलोपैथिक) डॉक्टर तैनात है।

(ii) एचडब्ल्यूसी के संचालन की निगरानी करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

क) एचडब्ल्यूसी के माध्यम से जनता के निकट सीपीएचसी सेवाओं के कार्यानवयन पर निरंतर निगरानी, आवश्यक तकनीकी सहायता और वितीय सहायता प्रदान करने के लिए नियमित रूप से पुनरीक्षण बैठकें और वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से होती है।

ख) इस नियमित पुनरीक्षण और निगरानी ने मौजूदा एसएचसी, पीएचसी और यूपीएचसी को एचडब्ल्यूसी में परिवर्तित करके समय से पहले वित्त वर्ष 2020-21 के 70,000 एचडब्ल्यूसी के लक्ष्य को हासिल करने को सक्षम बनाया है। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र 31 मार्च, 2021 तक 70,000 एचडब्ल्यूसी के लक्ष्य की तुलना में 74,947 एचडब्ल्यूसी को संचालित करने में सक्षम रहे।

ग) वित्त वर्ष 2018-19 से नियमित रूप से क्षेत्रीय पुनरीक्षण सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है जिसमें कार्यान्वयन की चुनौतियों के पुनरीक्षण के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के समूहों के साथ परस्पर बातचीत होती है।

घ) एचडब्ल्यूसी के संचालन में राज्यों के निष्पादन को नियमित रूप से प्रलेखित कर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दिया जाता है। (http://117.239.180.230/hwc/live_application/hwc/home/newreleases).

ङ) इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 से एनएचएम फ्रेमवर्क के तहत प्रोत्साहन शर्तों के अंतर्गत एचडब्ल्यूसी के संचालन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक संकेतक मौजूद है।

च) इसके अलावा, वित्त वर्ष 2019-20 और 2021-22 में एचडब्ल्यूसी के निष्पादन के लिए 2018 में एचडब्ल्यूसी के तृतीय पक्ष का मूल्यांकन शुरू किया गया है और रिपोर्ट शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी।

छ) नीति आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि 2% चालू स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों का स्वतंत्र रूप से तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन कराया जाना है।

सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर

(योजना मंत्रालय के दिनांक 06 अक्तूबर, 2021 का का.ज्ञा.सं.18/3/2019-संसद)

नीति आयोग (योजना मंत्रालय)

टिप्पणियां/सिफारिशें

स्वास्थ्य मापदंडों का डाटा

समिति ने पाया कि केन्द्र और राज्य, दोनों स्तरों पर, एक व्यापक संकेतक फ्रेमवर्क लगाने के लिए, लक्ष्य-3 के लिए और डाटा स्त्रोतों की पहचान और अलग-अलग डाटा के उत्पादन में अपर्याप्त प्रयासों का प्रमाण है जो एक सुदृढ़ निगरानी और रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए आवश्यक है। समिति यह जानकर भी आश्चर्यचकित है कि मातृ मृत्यु-दर, पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु-दर जैसे कुछ महत्वपूर्ण संकेतकों का डाटा समान रूप से अथवा नियमित रूप से उपलब्ध नहीं था। समिति इस संबंध में यह कहने के लिए बाध्य है कि संगत डाटा का न होना स्पष्ट रूप से ऐसे मामलों की निगरानी करने और उससे निपटने में मंत्रालय को बाधा पहुँचाएगा। अतः, समिति सिफारिश करती है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का विभिन्न स्वास्थ्य मानकों के संबंध में प्रामाणिक डाटा एकत्र करने और समानुक्रमित करने की आवश्यकता है। इस तरह संकलित किए गए डाटाबेस को भी डिजीटल और लगातार अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है ताकि मृत्यु-दरों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने में सक्षम हो सके। समिति यह भी पाती है कि राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 44 एनआईएफ स्वास्थ्य संबंधी संकेतकों पर सूचना का रख-रखाव करने और आपूर्ति करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। समिति को इस बात से भी अवगत कराया गया है; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सौंपे गए 44 स्वास्थ्य संकेतकों में से 42 संकेतकों के संबंध में एसडीजी

आधारभूत डाटा प्रदान किया है। दो संकेतकों अर्थात वायरल हेपेटाइटिस (ए और बी सहित) और कैंसर के कारण होने वाली मौतों की संख्या का सुदृढ़ डाटाबेस उपलब्ध नहीं था। वर्तमान में, हालांकि, हेपेटाइटिस राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) में शामिल्र किया गया है, और कैंसर के कारण होने वाली मौतों का प्रामाणिक डाटा होने की संभावना का पता लगाया जा रहा है। समिति ने नोट किया है कि एक व्यापक संकेतक फ्रेमवर्क को लगाने के लिए डाटा स्त्रोतों की पहचान और एसडीजी लक्ष्य 3 के लिए अलग-अलग डाटा प्रस्तुत करने के ल्रिए पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं। समिति को उन संकेतकों के ब्यौरे से अवगत कराया जाए, जो वास्तव में परिचित्रित किए गए हैं और नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्रतिष्ठान द्वारा सत्यापन के बाद परिचित्रित किए जाते हैं।

(क्रम सं.18; परिशिष्ट II; लोक लेखा समिति की बत्तीसवीं रिपोर्ट का पैरा संख्या.18)
(17वीं लोक सभा)

की गई कार्रवाई

जैसा कि सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन के लिए तैयारी पर 17वीं लोकसभा की 32वीं रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 51 में प्रस्तुत किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को आबंटित 44 संकेतकों में से, संकेतक 3.4.1 अर्थात् कैंसर के कारण हुई मौतों की संख्या को छोड़कर सभी संकेतकों को मैप किया गया है। शेष संकेतकों का विवरण अनुलग्नक-V पर संलग्न है।

लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां

हालांकि एक संकेतक को छोड़कर शेष संकेतकों का विवरण उपलब्ध कराया गया है, परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि **अनुलग्नक-V** में "भारत" शीर्षक वाला तीसरा कॉलम आधारभूत डेटा आंकड़ा या वर्तमान डेटा या संबंधित संकेतक का लक्ष्य प्रदान करता है या नहीं। यह पीएसी को स्पष्ट किया जाए।

पुनरीक्षण टिप्पणियों के अनुसार की गई कार्रवाई टिप्पणी

अनुलग्नक-V में "भारत" शीर्षक वाला तीसरा कॉलम डाटा स्रोत के अनुसार उपलब्ध नवीनतम डाटा प्रदान करता है। तालिका में तथ्यों को सही किया गया है।

सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर

(योजना मंत्रालय के दिनांक 06 अक्तूबर, 2021 का का.ज्ञा.सं.18/3/2019-संसद)

टिप्पणियां/सिफारिशें

एसडीजी के लक्ष्य-3 के संबंध में यथा दशाई गई कमियों पर चर्चा करने के लिए, समिति ने महसूस किया है कि विभिन्न राज्यों द्वारा पालन की जाने वाली एसडीजी के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सर्वोतम प्रथाओं का गहराई से अध्ययन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाना चाहिए और जहां भी संभव हो, जिन राज्यों में कमियां नजर आती है, फिर से दोहराया जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि मंत्रालय को अन्य देशों में विकसित और विकासशील स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों का अध्ययन भी करवाना चाहिए, ताकि सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को तदनुसार एक शानदार सफलता बनाने के लिए स्वास्थ्य योजनाओं का पुनर्गठन किया जा सके। विशेष रूप से, मंत्रालय को क्यूबा मॉडल का अध्ययन करना चाहिए जिसे विश्व में सबसे अच्छी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में से एक माना जाता है।

(क्रम सं.19; परिशिष्ट II; लोक लेखा समिति की बतीसवीं रिपोर्ट का पैरा संख्या.19)
(17वीं लोक सभा)

की गई कार्रवाई

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नवाचार समिट के अंतर्गत, एसडीजी की उपलब्धि की ओर राज्य विशिष्ट उपाय के कार्यान्वयन के लिए सर्वोत्तम परिपाटियों के लिए एक अतिरिक्त श्रेणी शामिल की जाएगी। इसके अलावा, मंत्रालय अच्छी परिपाटियों को सीखने के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के क्यूबा मॉडल का भी अध्ययन करेगा।

लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां

पीएसी की सिफारिश पर अभी निर्णायक कार्रवाई की जानी है।

सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर

(योजना मंत्रालय के दिनांक 06 अक्तूबर, 2021 का का.ज्ञा.सं.18/3/2019-संसद)
नीति आयोग (योजना मंत्रालय)

टिप्पणियां/सिफारिशें

सतत विकास लक्ष्यों को समय पर हासिल करने के लिए सुधारात्मक उपाय

समिति ने भारत में सतत् विकास का लक्ष्य प्राप्त करने में कई कमियों/त्रुटियों को नोटिस किया है। पूर्ववर्ती पैराओं में बताए गए तथ्यों से स्पष्ट रूप से प्रत्येक क्षेत्र में कुछ कमियों की पहचान हुई है, जिस पर तत्काल ध्यान देने और उपचारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। केन्द्र और राज्य, दोनों स्तरों पर, एसडीजी के संदर्भ में, नीति दस्तावेज तैयार करने का अभ्यास अभी भी चल रहा है।

संयुक्त राष्ट्र एसडीजी के लक्ष्यों के साथ अनुयोजित परिभाषित माइलस्टोनों के साथ एक रोडमैप अभी तैयार किया जाना है। समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए एसडीजी लक्ष्यों को स्थानीयकरण और प्रचारित करने के लिए गंभीर प्रयास किये जाने भी आवश्यक प्रतीत होते हैं। एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधन जुटाने के संबंध में, एक वित्तीय अंतर विश्लेषण अभी तक नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र और अधिकतर राज्यों में लेखांकन और बजटीय फ्रेमवर्क में एसडीजी का एकीकरण अभी किया जाना बाकी है। निगरानी और रिपोर्टिंग के संबंध में, राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) के प्रचार में विलंब से कई महत्वपूर्ण कार्यों जैसे राज्यों में संकेतकों का विकास और निगरानी फ्रेमवर्क तथा आधारभूत डाटा और बड़े लक्ष्यों की पहचान का कार्य रूक गया था। समिति उपर्युक्त तथ्यों के संबंध में गंभीर चिंता व्यक्त करती है और यह चाहती है कि समिति के सुझावों के मद्देनजर, नीति आयोग और संबंधित मंत्रालयों।विभागों को एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी सतत् विकास लक्ष्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त करने के विचार से पर्याप्त/सुधारात्मक कदम उठाए। समिति यह भी महसूस करती है कि अन्य क्षेत्रों में भी जांच करने की आवश्यकता है।

की गई कार्रवाई

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, नीति आयोग आबंटित जिम्मेदारियों के संबंध में एसडीजी एजेंडा को आगे ले जाना जारी रखता है तथा कार्यान्वयन और प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करने का प्रयास करता है। नीति आयोग, केंद्रीय मंत्रालयों के साथ-साथ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से एसडीजी के कार्यान्वयन के राष्ट्रीय समन्वय को आगे बढ़ाता है। नीति आयोग, एसडीजी के अधिक से अधिक स्थानीयकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कार्य करता है, जिसमें राज्य और जिला स्तर के संकेतक विकसित करने, एसडीजी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए संस्थागत प्रणाली में सुधार, विभिन्न स्तरों पर क्षमता निर्माण और अन्य हितधारकों जैसे नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, आदि के साथ साझेदारी को मजबूत करने संबंधी प्रमुख पहल शामिल हैं। नीति आयोग, एसडीजी पर राष्ट्रीय और राज्य / संघ राज्य क्षेत्र दोनों स्तरों पर प्रगति को ट्रैक करने, जो सभी स्तरों पर प्रदर्शन के संचालन के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रभावी और उत्प्रेरक उपकरण बन गया है, के लिए एसडीजी भारत सूचकांक (जिसके 3 संस्करण पहले ही प्रकाशित किए जा चुके है) प्रकाशित कर रहा है। सूचकांक को और अधिक स्थानीयकृत करने की आवश्यकता है - पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के साथ साझेदारी में दिनांक 26 अगस्त, 2021 को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पहला क्षेत्रीय जिला एसडीजी सूचकांक विकसित और प्रकाशित किया गया है।

सौंपी गई जिम्मेदारी को देखते हुए, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने एसडीजी के लिए एक एनआईएफ विकसित किया है, और मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुपालन में, समय-समय पर एनआईएफ की समीक्षा, परिशोधन और संशोधन के लिए, नीति आयोग, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सदस्यों को शामिल कर भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् सह सचिव, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) की अध्यक्षता में एसडीजी पर एक उच्च स्तरीय संचालन समिति (एचएलएससी) का गठन किया गया है। तदनुसार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), संबंधित मंत्रालयों/विभागों और अभिरक्षक एजेंसियों के परामर्श से, मौजूदा संकेतकों के साथ-साथ प्रासंगिक लक्ष्य (लक्ष्यों) के

लिए नए संकेतकों की उपयुक्तता की जांच करता है तथा समय-समय पर एनआईएफ की समीक्षा और परिशोधन करता है।

इसके अलावा, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा कई पहलें की गई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ एसडीजी-एनआईएफ पर पहली बेसलाइन रिपोर्ट जारी करना, एसडीजी डैशबोर्ड का शुभारम्भ, राज्य संकेतक फ्रेमवर्क के विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दिशानिर्देश तैयार करना और उनकी परिचालन, केंद्र और राज्य के अधिकारियों के लिए एसडीजी पर क्षमता विकास, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अगले दौर में कुछ संकेतकों पर डाटा एकत्र करके डाटा की कमी को दूर करने के लिए नए सर्वेक्षण शुरू करना, एसडीजी डाटा आवश्यकताओं के अनुसार मौजूदा सर्वेक्षणों का संरेखण, आदि शामिल हैं।

<u>लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां</u>

कोई टिप्पणी नहीं की गई।

<u>सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर</u>

<u>(योजना मंत्रालय के दिनांक 06 अक्तूबर, 2021 का का.ज्ञा.सं.18/3/2019-संसद)</u>

अनुलग्नक I

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा किए गए सर्वेक्षणों का विवरण

क्रम सं.	सर्वेक्षण	वर्ष/सर्वेक्षण अवधि	दिनांक 16.08.2021 की स्थिति के अनुसार
1	**आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस):** श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर); श्रमिक संख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर); और बेरोजगारी दर (यूआर), पीएलएफएस के माध्यम से अनुमानित श्रम बल के प्रमुख मापदंड हैं।	वर्ष 2017 में शुरू किया गया	इस अवधि के लिए तीन वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई हैं जुलाई, 2017 -जून, 2018, जुलाई, 2018 -जून, 2019, और जुलाई, 2019 -जून, 2020 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही तक शहरी क्षेत्र के लिए आठ त्रैमासिक बुलेटिन अर्थात् निम्नलिखित अवधि के लिए जारी किए गए हैं: अक्तूबर -.दिसम्बर., 2018 जनवरी -.मार्च, 2019 ; अप्रैल-जून, 2019 जुलाई -सितम्बर., 2019; अक्तूबर-.दिसम्बर., 2019 जनवरी -.मार्च, 2020 ; अप्रैल-जून, 2020 जुलाई -सितम्बर., 2020
2	**समय उपयोग सर्वेक्षण (टीयूएस):** टीयूएस का प्राथमिक उद्देश्य संदत्त और अदत्त गतिविधियों में पुरुषों, महिलाओं और व्यक्तियों के अन्य समूहों की भागीदारी को मापना है।	वर्ष 2019 में शुरू किया गया।	टीयूएस तीन वर्ष में एक बार आयोजित किया जाना है। पहला टीयूएस सर्वेक्षण वर्ष 2019 में किया गया था और सर्वेक्षण का परिणाम सितंबर, 2020 में जारी किया गया है।
3	**एनएसएस 77वां दौर:** **(i)भूमि और पशुधन जोत,** **(ii)ऋण और निवेश,** **(iii)कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन:** सर्वेक्षणों का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के विभिन्न संकेतकों और प्रचालनात्मक जोत का अध्ययन करना है, जिसमें उनके पशुधन के स्वामित्व और कृषि परिवार की स्थिति से संबंधित विभिन्न अनुमान शामिल हैं; जबकि **ऋण और निवेश पर सर्वेक्षण** का उद्देश्य (i) ग्रामीण परिवारों की ऋण-मांग और (ii) क्रेडिट एजेंसियों, संस्थागत और गैर-संस्थागत, दोनों द्वारा ऋण की आपूर्ति	जनवरी -दिसंबर 2019	रिपोर्ट अंतिम चरण में है और शीघ्र ही जारी होने की उम्मीद है ।

क्रम सं.	सर्वेक्षण	वर्ष/सर्वेक्षण अवधि	दिनांक 16.08.2021 की स्थिति के अनुसार
	का अध्ययन करना था।		

**नोट: एनएसएस के 77वें दौर की रिपोर्ट को छोड़कर सभी सर्वेक्षणों की रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट www.mospi.gov.in पर उपलब्ध है।*

अनुलग्नक - II

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वर्ष 2019 की रिपोर्ट संख्या 8 के आधार पर "सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन हेतु तैयारी" के संबंध में लोक लेखा समिति (2020-21) की बत्तीसवीं रिपोर्ट (17वीं लोक सभा)

क्र. सं.	राष्ट्रीय संकेतक	डाटा स्रोत	आवधिकता	कार्यान्वयन मंत्रालय	2023	2025	2027	2030	टिप्पणियां
1	2.4.2: किसानों, जिन्हें मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया गया, का प्रतिशत	आईएनएम, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	वार्षिक	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	20%	40%	60%	90%	
2	2.4.3: जैविक खेती के तहत निवल क्षेत्र का प्रतिशत	आईएनएम, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	वार्षिक		3.15	4.16	5.5	8.37	
3	2.5.1 (क): या तो मध्यम या दीर्घावधि संरक्षण सुविधाओं में संरक्षित खाद्य और कृषि के लिए पादप संसाधनों की संख्या (में संख्या)	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, डीएआरई, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, (आईसीएआर-एनबीपीजीआर)	वार्षिक		4.6 लाख	4.7 लाख		4.95 लाख	
4	2.5.1 (ख): या तो मध्यम या दीर्घावधि संरक्षण सुविधाओं में संरक्षित खाद्य और कृषि के लिए पशु आनुवंशिक संसाधन	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, डीएआरई, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, (आईसीएआर-एनबीपीजीआर)	वार्षिक		सीमेन डोज की संख्या : 267000; सोमेटिक सेल वायल की संख्या : 5400	सीमेन डोज की संख्या: 302000; सोमेटिक सेल वायल की संख्या: 7400	सीमेन डोज की संख्या: 342000; सोमेटिक सेल वायल की संख्या: 9800	सीमेन डोज की संख्या: 397000; सोमेटिक सेल वायल की संख्या: 12600	

5	5.क.1: प्रचालनात्मक भूमि जोत - (महिला संचालित प्रचालनात्मक जोत)	कृषि संगणना, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	5 वर्ष			22922 ('000 हेक्टेयर में)		32179 ('000 हेक्टेयर में)	
6	11.5.1: आपदाओं के कारण प्रति 100,000 जनसंख्या पर मौत, लापता व्यक्तियों और सीधे प्रभावित व्यक्तियों की संख्या (संकेतक 1.5.1 और 13.1.1 के समान)	आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय	वार्षिक	गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	डीएमडी ने प्रस्तुत किया है कि संकेतक के लिए लक्ष्य निर्धारित करना उपयुक्त नहीं है जबकि मौत, लापता व्यक्तियों आदि की संख्या अधिकाधिक अप्रत्याशित है।			
7	1.5.3: क्या आपदा जोखिम, शमन 2015-2030 के लिए देश ने सैंडाई फ्रेमवर्क की तर्ज पर राष्ट्रीय आपदा जोखिम शमन रणनीति को अपनाया और कार्यान्वित किया है (संकेतक 11 ख 1 तथा 13.1.2)	आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय	वार्षिक		2019 में प्राप्त किया गया।				
8	1.5.4: राष्ट्रीय आपदा जोखिम शमन रणनीतियों के अनुरूप स्थानीय आपदा जोखिम शमन नणनीतियां अपनाने और कार्यान्वित करने वाली स्थानीय सरकारों का अनुपात (संकेतक 11.ख.2 और 13.1.3 के समान)	आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय	वार्षिक		वर्ष 2023 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों को अपनी आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार करनी होंगी ।				

9	11.5.1: आपदाओं के कारण प्रति 100,000 जनसंख्या पर मौत, लापता व्यक्तियों और सीधे प्रभावित व्यक्तियों की संख्या (संकेतक 1.5.1 और 13.1.1 के समान)	आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय	वार्षिक		आपदा प्रबंधन प्रभाग ने यह निवेदन किया है कि इस संकेतक के लिए उपलब्धि-चरण (माइलस्टोन) नियत करना उचित नहीं होगा क्योंकि मौतों, लापता व्यक्तियों आदि की संख्या अत्यधिक अप्रत्याशित होती है।	
10	11.ख.1: क्या देश ने सेंडाइ आपदा जोखिम न्यूनीकरण फ्रेमवर्क 2015-2030 के अनुरूप राष्ट्रीय आपदा जोखिम शमन कार्यनीतियां अपनाई और कार्यान्वित की हैं (संकेतक 11.ख.1 और 13.1.2 के समान)	आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय	वार्षिक		वर्ष 2019 में प्राप्त किया गया।	
11	11.ख.2: राष्ट्रीय आपदा जोखिम शमन कार्यनीतियों के अनुरूप स्थानीय आपदा जोखिम शमन कार्यनीतियां अपनाने और कार्यान्वित करने वाली स्थानीय सरकारों का अनुपात (संकेतक 1.5.4 और 13.1.3 के समान)	आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय	वार्षिक		वर्ष 2023 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों को अपनी आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार करनी होंगी ।	
12	13.1.1: आपदाओं के कारण प्रति 100,000 जनसंख्या पर मौत, लापता व्यक्तियों और सीधे प्रभावित व्यक्तियों की संख्या (संकेतक 1.5.1 और 11.5.1 के समान)	आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय	वार्षिक		आपदा प्रबंधन प्रभाग ने यह निवेदन किया है कि इस संकेतक के लिए उपलब्धि-चरण (माइलस्टोन) नियत करना उचित नहीं होगा क्योंकि मौतों, लापता व्यक्तियों आदि की संख्या अत्यधिक अप्रत्याशित होती हैं।	

13	13.1.2: क्या देश ने सेंडाइ आपदा जोखिम न्यूनीकरण फ्रेमवर्क 2015-2030 के अनुरूप राष्ट्रीय आपदा जोखिम शमन कार्यनीतियां अपनाई और कार्यान्वित की हैं (संकेतक 1.5.3 और 11.ख.1 के समान)	आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय	वार्षिक		वर्ष 2019 में प्राप्त किया गया।	
14	13.1.3: राष्ट्रीय आपदा जोखिम शमन कार्यनीतियों के अनुरूप स्थानीय आपदा जोखिम शमन कार्यनीतियां अपनाने और कार्यान्वित करने वाली स्थानीय सरकारों का अनुपात (संकेतक 1.5.4 और 11.ख.2 के समान)	आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय	वार्षिक		वर्ष 2023 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों को अपनी आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार करनी होंगी	
15	16.9.1: पंजीकृत जन्मों का प्रतिशत	महापंजीयक का कार्यालय, भारत, गृह मंत्रालय	वार्षिक	गृह मंत्रालय (महापंजीयक का कार्यालय, भारत)	ओआरजीआई ने सूचित किया है कि सिविल पंजीकरण प्रणाली के तहत (सीआरएस)ओआरजीआई विजन-2024- के अनुसार, वर्ष 2024 तक जन्म का 100% पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।	
16	7.1.2: स्वच्छ कूकिंग फ्यूल का उपयोग करने वाले घरों का प्रतिशत	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	वार्षिक	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने लाभार्थी परिवारों के 100 % एलपीजी कवरेज को मार्च 2022 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।	

17	8.4.2: प्रति व्यक्ति जीवाश्म ईंधन खपत , (किलोग्राम में)	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	वार्षिक		बेसलाइन (एमएमटी):247.7, पीसीसी (किग्रा): 154.4; ट्राजिशनएमएमटी): 242.7, पीसीसी (किग्रा): 167.3;ट्रांसफोर्मेशन (एमएमटी):238.3, पीसीसी (किग्रा): 164.3	बेसलाइन (एमएमटी):273.0, पीसीसी (किग्रा): 182.8; ट्राजिशन(एमएमटी):264.0, पीसीसी (किग्रा): 176.7; ट्रांसफोर्मेशन (एमएमटी):256.0, पीसीसी (किग्रा): 171.4	बेसलाइन (एमएमटी):291.3, पीसीसी (किग्रा): 189.5; ट्राजिशन(एमएमटी):279.3 पीसीसी (किग्रा): 181.7; ट्रांसफोर्मेशन (एमएमटी):266.5, पीसीसी (किग्रा): 173.4	बेसलाइन (एमएमटी):321.0, पीसीसी (किग्रा): 200.4; ट्राजिशन (एमएमटी):304.0, पीसीसी (किग्रा): 189.8; ट्रांसफोर्मेशन (एमएमटी):283.0, पीसीसी (किग्रा): 176.7	**बेसलाइन परिदृश्य** रूढ़िवादी मामले को संदर्भित करता है जब हम मौजूदा कारकों को विगत और वर्तमान में समान तर्ज पर बढ़ा हुआ मानकर चलते हैं। **ट्रांजिशन परिदृश्य** एक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है जहां अनुकूल सरकारी नीतियां, प्रशंसनीय तकनीकी सफलताएं और सामाजिक-आर्थिक संचालन माध्यम भारत की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य करते हैं। **ट्रांसफोर्मेशन परिदृश्य** एक आशावादी परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है जिसमें कुछ क्षेत्र विशिष्ट संचालन-माध्यम घरेलू ऊर्जा मांग को बल प्रदान करते हैं
18	5.5.1: राष्ट्रीय संसद, राज्य विधान और स्थानीय स्व-सरकार में महिलाओं द्वारा धारित सीटों का अनुपात (संकेतक 10.2.2 और 16.7.1 के समान)	(1) भारतीय निर्वाचन आयोग (2) राज्य सभा सचिवालय (3) पंचायती राज मंत्रालय	5 वर्ष के लिए लोक सभा और पंचायती राज; 2 वर्ष के लिए राज्य सभा	(1) भारतीय निर्वाचन आयोग (2) राज्य सभा सचिवालय (3) पंचायती राज मंत्रालय	इस संकेतक के लिए उपलब्धि-चरण (माइलस्टोन) नियत करना संभव नहीं है।				

19	10.2.2: राष्ट्रीय संसद, राज्य विधान और स्थानीय स्व-सरकार में महिलाओं द्वारा धारित सीटों का अनुपात (संकेतक 5.5.1 और 16.7.1 के समान)	(1) भारतीय निर्वाचन आयोग (2) राज्य सभा सचिवालय (3) पंचायती राज मंत्रालय	5 वर्ष के लिए लोक सभा और पंचायती राज; 2 वर्ष के लिए राज्य सभा		इस संकेतक के लिए उपलब्धि-चरण (माइलस्टोन) नियत करना संभव नहीं है।	
20	16.7.1: राष्ट्रीय संसद, राज्य विधान और स्थानीय स्व-सरकार में महिलाओं द्वारा धारित सीटों का अनुपात (संकेतक 5.5.1 और 10.2.2 के समान)	(1) भारतीय निर्वाचन आयोग (2) राज्य सभा सचिवालय (3) पंचायती राज मंत्रालय	5 वर्ष के लिए लोक सभा और पंचायती राज; 2 वर्ष के लिए राज्य सभा		इस संकेतक के लिए उपलब्धि-चरण (माइलस्टोन) नियत करना संभव नहीं है।	
21	5.5.3: चुनाव लड़ रहे कुल उम्मीदवारों में से महिला उम्मीदवारों की संख्या (प्रतिशत में)	भारतीय निर्वाचन आयोग	5 वर्ष	भारतीय निर्वाचन आयोग	भारतीय निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि इस संकेतक के लिए उपलब्धि-चरण (माइलस्टोन) निर्धारित करना भारतीय निर्वाचन आयोग के दायरे से बाहर है।	
22	10.2.3: निर्वाचित निकायों (लोक सभा) में अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों का अनुपात (16.7.2 के समान)	भारतीय निर्वाचन आयोग	5 वर्ष			
23	16.7.2: निर्वाचित निकायों (लोक सभा) में अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों का अनुपात (संकेतक 10.2.3 के समान)	भारतीय निर्वाचन आयोग	5 साल			

24	8.2.2: जारी किए गए कुल पेटेंट की संख्या (अनुमत), (संकेतक 8.3.2 और 9.5.3 के समान)	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	वार्षिक	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	32800	36200	40000	46200	
25	8.3.2: जारी किए गए कुल पेटेंट की संख्या (अनुमत), (संकेतक 8.2.2 और 9.5.3 के समान)	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	वार्षिक		32800	36200.	40000	46200	
26	9.5.3: जारी किए गए कुल पेटेंट की संख्या (अनुमत), (संकेतक 8.2.2 और 8.3.2 के समान)	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	वार्षिक		32800	36200	40000	46200	
27	17.11.1: वैश्विक निर्यात में भारत के निर्यात का हिस्सा (में प्रतिशत)	विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	वार्षिक		पण्य निर्यात: 2 से 2.5% और सेवा निर्यात: 4 % वर्ष 2030 तक				
28	1.4.2: कुल आबादी के प्रतिशत के रूप में टेलीफोन सब्सक्रिप्शन की संख्या	दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय	वार्षिक	दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय	90.25	92.94	95.7	100	
29	9.ग.1: कुल आबादी के प्रतिशत के रूप में इंटरनेट सब्सक्रिप्शन की संख्या	दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय	वार्षिक		82.14	94.93	106.39	112.9	एक व्यक्ति के पास एक से अधिक इंटरनेट सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं।

30	17.6.1: फिक्स्ड इंटरनेट ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन प्रति 100 निवासी, स्पीड के अनुसार	(क) न्यूमेरेटर - दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय (ख) डिनोमिनेटर – महापंजीयक का कार्यालय, भारत, गृह मंत्रालय	वार्षिक		संचार मंत्रालय ने संकेतक को परिशोधित करने का प्रस्ताव किया है। सभी संबंधित हितधारकों के परामर्श से संकेतक परिशोधित किया जाएगा और उसके बाद, उपलब्धि-चरण (माइलस्टोन) निर्धारित किया जाएगा।				
31	2.1.2: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आने वाले लाभार्थियों का अनुपात	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	वार्षिक	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	100	100	100	100	
32	12.3.2: गेहूं और चावल के केंद्र/राज्यों पूल स्टॉक का कटाई-उपरांत भंडारण और वितरण हानियां	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	वार्षिक		भंडारण हानि: (-)0.15% परिवहन हानि: 0.22%	भंडारण हानि: (-) 0.16% परिवहन हानि: 0.21%	भंडारण हानि: (-)0.17% परिवहन हानि: 0.19%	भंडारण हानि: (-)0.18% परिवहन हानि: 0.16%	
33	5.5.2: सूचीबद्ध कंपनियों में प्रबंधकीय पदों पर महिलाओं सहित निदेशक मंडल में महिलाओं का अनुपात (प्रति 1,000 व्यक्तियों)	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	वार्षिक	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	उपलब्धि-चरण (माइलस्टोन) निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि महिला निदेशकों की संख्या एक प्रकटीकरण आधारित संकेतक है और यह पूर्णतया कंपनी द्वारा किए जाने वाले वार्षिक प्रकटीकरण पर निर्भर करता है।				
34	11.4.1: सभी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतों के संरक्षण, परिरक्षण	संस्कृति मंत्रालय	वार्षिक	संस्कृति मंत्रालय	संस्कृति मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस संकेतक के लिए उपलब्धि-चरण निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि बजट का अनुमोदन वित्त मंत्रालय द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष के संसाधनों, व्यय, प्रवृत्तियों आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।				

	और अभिरक्षण पर प्रति व्यक्ति व्यय					
35	14.1.1: तटीय जल गुणवत्ता सूचकांक	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	वार्षिक	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने सूचित किया है कि उपलब्धि-चरण निर्धारित करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) , पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा और राज्य सरकार के साथ व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता है।	
36	14.3.1: प्रतिनिधि सैम्पलिंग स्टेशनों की सहमत साइट पर मापी गई औसत समुद्री अम्लता (पीएच)	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	वार्षिक		पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस संकेतक के लिए उपलब्धि-चरण निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि तटीय जल में पीएच का मान प्राकृतिक भिन्नता और हो रहे जलवायु परिवर्तन सहित विभिन्न कारकों द्वारा निकाला जाता है।	
37	14.क.1: महासागर सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी (ओएसएमएआरटी) योजना के लिए बजट संसाधनों (बजट अनुमान) का आवंटन (करोड़ रूपये में)	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	वार्षिक		बजट संबंधी संकेतक के लिए उपलब्धि-चरण निर्धारित नहीं किया जा सकता।	
38	14.ग.1: अंतरराष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	वार्षिक		प्राप्त किया गया।	

39	4.1.1: ग्रेड 3, 5, 8 और 10 में छात्रों का प्रतिशत, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित ज्ञानार्जन परिणामों के संदर्भ में कम-से-कम एक न्यूनतम प्रवीणता स्तर प्राप्त किया है, जिसे उपरोक्त प्रत्येक ग्रेड के अंत में छात्रों द्वारा प्राप्त किया जाना है।	शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	वार्षिक	शिक्षा मंत्रालय	भाषा कक्षा 3: 90.29 कक्षा 5: 85.55 कक्षा 8: 82.82 गणित कक्षा 3: 88.69 कक्षा 5: 79.81 कक्षा 8 :60.93		कक्षा 3: 100%	100%	
40	4.1.2: अंतिम ग्रेड (प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक) के लिए सकल इन्टेक	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय	वार्षिक		कक्षा 5: 98% कक्षा 8: 98% कक्षा 10: 82%	कक्षा 5: 98.5 % कक्षा 8: 98.5% कक्षा 10: 84%	कक्षा 5: 99% कक्षा 8: 99% कक्षा 10: 86%	कक्षा 5: 100% कक्षा 8: 100% कक्षा 10: 88%	
41	4.1.3: उच्च माध्यमिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय	वार्षिक		55%	60%	65%	80%	
42	4.1.4: प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा में निवल नामांकन अनुपात	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय	वार्षिक		प्राथमिक: 93% उच्च प्राथमिक: 72%	प्राथमिक: 95% उच्च प्राथमिक: 75%	प्राथमिक: 97% उच्च प्राथमिक: 78%	प्राथमिक: 100% उच्च प्राथमिक: 100%	

43	4.1.5: प्राथमिक, अपर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में समायोजित निवल नामांकन अनुपात	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय	वार्षिक		प्राथमिक: 98% उच्च प्राथमिक: 85% माध्यमिक: 65.0%	प्राथमिक: 98.5% उच्च प्राथमिक: 88% माध्यमिक: 70%	प्राथमिक: 99% उच्च प्राथमिक: 91% माध्यमिक: 75%	100%	
44	4.1.6: ग्रेड I में नामांकित छात्रों का अनुपात जो अंतिम ग्रेड अथवा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक स्तर तक पहुँचते हैं	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय	वार्षिक		प्राथमिक: 88% प्रारम्भिक: 77% माध्यमिक: 64%	प्राथमिक: 90% प्रारम्भिक: 81% माध्यमिक: 68%	प्राथमिक: 95% प्रारम्भिक: 85% माध्यमिक: 72%	प्राथमिक: 100% प्रारम्भिक: 90% माध्यमिक 80%	
45	4.1.7: कानूनी ढांचे में गारंटीकृत (i) मुक्त और (ii) अनिवार्य शिक्षा में वर्षों की संख्या	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय	वार्षिक		8	8	8	8	
46	4.2.1: सकल प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा नामांकन अनुपात	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय	वार्षिक		60%	70%	80%	90%	
47	4.2.2: आधिकारिक प्राथमिक प्रवेश से एक वर्ष पहले संगठित शिक्षण में भागीदारी दर	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय	वार्षिक		65%	80%	95%	100%	
48	4.5.1: प्राथमिक/ माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/तृतीयक शिक्षा के लिए लिंग समानता सूचकांक	शिक्षा मंत्रालय	वार्षिक		1	1	1	1	

49	4.5.2: दिव्यांग बच्चों का नामांकन अनुपात	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय	वार्षिक		प्राथमिक: 1.05 उच्च प्राथमिक: 1.14 प्राथमिक: 1.08 माध्यमिक: 0.71 उच्च माध्यमिक : 0.34	प्राथमिक: 1.1 उच्च प्राथमिक: 1.16 प्राथमिक : 1.13 माध्यमिक: 0.72 उच्च माध्यमिक: 0.35	प्राथमिक: 1.15 उच्च प्राथमिक: 1.18 प्राथमिक: 1.16 माध्यमिक: 0.73 उच्च माध्यमिक: 0.36	प्राथमिक: 1.2 अपर प्राथमिक: 1.2 प्रारम्भिक: 1.2 माध्यमिक: 0.75 उच्च माध्यमिक: 0.38	
50	4.7.1: वह सीमा जिस तक (i) वैश्विक नागरिकता शिक्षा और (ii) सतत विकास के लिए शिक्षा (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों; (ख) पाठ्यक्रम; (ग) शिक्षक शिक्षा; और (घ) छात्र मूल्यांकन को मुख्य धारा में शामिल किया गया है। (संकेतक 12.8.1 और 13.3.1 के समान)	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय	वार्षिक		धार्मिक शिक्षा को छोड़कर सभी संकेतकों को मुख्यधारा में लाया गया				

51	4.क.1 (क) बिजली; (ख) शैक्षणिक उद्देश्य के लिए कंप्यूटर ;(ग) दिव्यांग छात्रों के लिए अवसंरचना और सामग्रियों तथा दिव्यांग-अनुकूल रैम्प और शौचालयों को अपनाने वाले स्कूल; (घ) बुनियादी पेयजल; (ङ) लिंग-विशिष्ट बुनियादी स्वच्छता सुविधाएं; और (च) हाथ धोने की बुनियादी सुविधाओं (वाश संकेतक की परिभाषाओं के अनुसार) तक पहुंच वाले स्कूलों का अनुपात (प्रतिशत में)	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय	वार्षिक		बिजली: 88% कंप्यूटर: 42% रैंप: 100% दिव्यांग अनुकूल शौचालय: 25% पेयजल: 98% लड़कों का शौचालय: 98% लड़कियों का शौचालय: 98% हाथ धोने की सुविधा: 92%	बिजली: 92% कंप्यूटर : 45% रैंप: 100% दिव्यांग अनुकूल शौचालय: 28% पेयजल: 99% लड़कों का शौचालय: 99% लड़कियों का शौचालय: 99% हाथ धोने की सुविधा: 94%	बिजली: 96% कंप्यूटर: 48% रैंप: 100% दिव्यांग अनुकूल शौचालय : 31% पेयजल: 100% लड़कों का शौचालय : 100% लड़कियों का शौचालय : 100% हाथ धोने की सुविधा: 96%	बिजली : 100% संगणक एस: 51% रैंप: 100% दिव्यांग अनुकूल शौचालय: 35% पेयजल: 100% लड़कों का शौचालय: 100% लड़कियों का शौचालय: 100% हाथ धोने की सुविधा: 100%	
52	4.ग.1: शिक्षा स्तर (प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, प्रारम्भिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा) के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों का अनुपात	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय	वार्षिक		प्राथमिक: 90% अपर प्राथमिक: 90% माध्यमिक: 82%	प्राथमिक: 95% अपर प्राथमिक: 95 % माध्यमिक : 84%	प्राथमिक : 100% अपर प्राथमिक :10 0% माध्यमिक: 86%	प्राथमिक: 100% अपर प्राथमिक:1 00% माध्यमिक 88%	

53	6.2.3: लड़कियों के लिए अलग शौचालय की सुविधा के स्कूलों का अनुपात	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय	वार्षिक		100	100	100	100	
54	12.8.1: वह सीमा जिस तक (i) वैश्विक नागरिकता शिक्षा और (ii) सतत विकास के लिए शिक्षा को (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों; (ख) पाठ्यक्रम; (ग) शिक्षक शिक्षा; और (घ) छात्र मूल्यांकन में मुख्य धारा में शामिल किया गया है। (संकेतक 4.7.1 और 13.3.1 के समान)	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय	वार्षिक		धार्मिक शिक्षा को छोड़कर सभी संकेतकों को मुख्यधारा में लाया गया				
55	13.3.1: वह सीमा जिस तक (i) वैश्विक नागरिकता शिक्षा और (ii) सतत विकास के लिए शिक्षा को (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों; (ख) पाठ्यक्रम; (ग) शिक्षक शिक्षा; और (घ) छात्र मूल्यांकन में मुख्य धारा में शामिल किया गया है। (संकेतक 4.7.1 और 12.8.1 के	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय	वार्षिक		धार्मिक शिक्षा को छोड़कर सभी संकेतकों को मुख्यधारा में लाया गया				

	समान), 2020								
56	5.ख.1: आईटी और आईटीईएस उद्योग में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	वार्षिक	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	~37%	~38%	38%+	40-42%	
57	16.6.3: नागरिकों को ऑनलाइन प्रदान की जाने वाली सरकारी सेवाओं की संख्या	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	वार्षिक		4127	4287	4447	4687	
58	12.4.1: क्या देश ने खतरनाक अपशिष्ट और अन्य रसायनों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों को अंगीकार किया है।	पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	वार्षिक	पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	2018 में प्राप्त किया गया				
59	13.2.1: 2020-पूर्व-कार्रवाई: देश की प्राथमिकता के अनुसार उपलब्धि की 2020-पूर्व-लक्ष्य (2005 के स्तर की तुलना में जीडीपी की उत्सर्जन प्रवणता में प्रतिशत कमी)	पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	2 वर्ष		प्राप्त किया गया				

60	15.7.1: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत पंजीकृत मामलों की संख्या (15.ग.1 के समान)	पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	वार्षिक		पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस संकेतक के लिए उपलब्धि-चरण निर्धारित करना उचित नहीं होगा क्योंकि वन्य जीवन अपराध के मामलों की संख्या की रिपोर्टिंग में कमी आ सकती है।	
61	15.9.1 (क) जैव विविधता के लिए कार्यनीति योजना, 2011-2020 के आइची जैव विविधता लक्ष्य 2 के अनुसरण में निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्यों की दिशा में प्रगति; (ख) पर्यावरणीय-आर्थिक लेखांकन प्रणाली के कार्यान्वयन के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रणाली में जैवविविधता का एकीकरण	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	वार्षिक		15.9.1 (ख) प्राप्त किया गया।	
62	15.ग.1: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत पंजीकृत मामलों की संख्या (15.7.1 के समान)	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	वार्षिक		पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस संकेतक के लिए उपलब्धि-चरण निर्धारित करना उचित नहीं होगा क्योंकि वन्यजीव अपराध के मामलों की संख्या की रिपोर्टिंग में कमी आ सकती है।	
63	10.7.1: गंतव्य देश में अर्जित मासिक आय के अनुपात के रूप में कर्मचारी द्वारा वहन भर्ती लागत	विदेश मंत्रालय	वार्षिक	विदेश मंत्रालय	विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि भर्ती लागत प्रवासी कामगारों द्वारा सम्पूर्ण कार्य संविदा, जो आम तौर पर 24 माह होता है, के लिए वहन की जाने वाली एकबारगी लागत है। अमरीकी डालर 200 की औसत आय, मासिक आय है।	

64	10.4.2: उत्तर-पूर्वी राज्यों को आबंटित बजट का प्रतिशत	वित्त मंत्रालय	वार्षिक	वित्त मंत्रालय	वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि संबंधित बजट संबंधी संकेतकों के लिए उपलब्धि-चरण निर्धारित नहीं किए जा सकते।	
65	10.4.3: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आबंटित बजट का प्रतिशत	मंत्रालय के वित्त	वार्षिक			
66	12.ग.1: सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई जीवाश्म ईंधन सब्सिडी की राशि	क) न्यूमरेटर – वित्त मंत्रालय ख) डिनोमिनेटर - राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	वार्षिक			
67	16.6.1: मूल अनुमोदित बजट के अनुपात के रूप में प्राथमिक सरकारी व्यय	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	वार्षिक			
68	17.1.1: स्रोत से जीडीपी के अनुपात के रूप में कुल सरकारी राजस्व	क) न्यूमरेटर – वित्त मंत्रालय ख) डिनोमिनेटर - राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	वार्षिक			
69	17.1.2: घरेलू करों द्वारा वित्त पोषित घरेलू बजट का अनुपात	वित्त मंत्रालय	वार्षिक			
70	17.13.1: मैक्रोइकॉनॉमिक डैशबोर्ड	वित्त मंत्रालय	वार्षिक		प्राप्त किया गया	

71	17.19.1: सांख्यिकीय आंकड़ों के सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न मंत्रालयों को आबंटित बजट (लाख रुपये में)	राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, एनएसओ, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	वार्षिक		बजट संबंधी संकेतकों के लिए, उपलब्धि-चरण निर्धारित नहीं किए जा सकते।				
72	2.2.4: गर्भवती महिलाएं, जिनकी आयु 15-49 वर्ष है और जो रक्ताल्पता से पीड़ित (<11.0 ग्राम/डीएल) है, का प्रतिशत	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण)	3 वर्ष	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	44.4		38.4	33.9	
73	2.2.5: बच्चे, जिनकी आयु 6 से 59 माह है और रक्ताल्पता से पीड़ित (<11.0 ग्राम / डीएल) है, का प्रतिशत	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण)	3 वर्ष		51		43	37	
74	3.1.2: कुशल स्वास्थ्य कार्मिकों द्वारा कराए गए जन्मों का प्रतिशत (अवधि 5 वर्ष)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण)	3 वर्ष		88		94	96	
75	3.1.3: कुशल स्वास्थ्य कार्मिकों द्वारा कराए गए जन्मों का प्रतिशत (अवधि 1 वर्ष)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण)	3 वर्ष		88		94	97	
76	3.1.4: महिलाओं, जिनकी आयु 15-49 वर्ष है और जिन्होंने पिछली बार जीवित बच्चे को जन्म दिया है, जिसे चार या उससे अधिक बार नवजात देखभाल मिली, का प्रतिशत (अवधि 5 वर्ष	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण)	3 वर्ष		58		70	75	

	/1 वर्ष)								
77	3.3.1: प्रति 1,000 असंक्रमित जनसंख्या में नए एचआईवी संक्रमित व्यक्तियो की संख्या	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन)	वार्षिक		0.035	0.03	0.02	<0.01	
78	3.3.2: प्रति 1,00,000 जनसंख्या में क्षय रोग के मामले	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (आरएनटीसीपी प्रभाग)	वार्षिक		164	142	112	65	
79	3.3.3: प्रति 1,000 जनसंख्या में मलेरिया के मामले	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एनवीबीडीसीपी प्रभाग)	वार्षिक		0.11	0.08	0	0	
80	3.3.5: डेंगू: मामला-मृत्यु अनुपात	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एनवीबीडीसीपी प्रभाग)	वार्षिक		<1	<1	<1	<1	
81	3.3.6: कुष्ठ रोग के नए मामलों में ग्रेड-2 मामलों का अनुपात (प्रति लाख आबादी)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	वार्षिक		1.5	0.75	0.25	0	
82	3.3.7: कुल एनडेमिक ब्लॉक में से प्रति 10,000 जनसंख्या पर < 1 काला अजार मामले की रिपोर्टिंग करने वाले ब्लॉकों का प्रतिशत	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एनवीबीडीसीपी डिवीजन)	वार्षिक		प्रति 10,000 जनसंख्या पर < 1 काला अजार मामले की रिपोर्टिंग करने वाले ब्लॉकों की संख्या- 633	प्रति 10,000 जनसंख्या पर < 1 काला अजार मामले की रिपोर्टिंग करने वाले ब्लॉकों की संख्या -	प्रति 10,000 जनसंख्या पर < 1 काला अजार मामले की रिपोर्टिंग करने वाले ब्लॉकों की संख्या -	प्रति 10,000 जनसंख्या पर < 1 काला अजार मामले की रिपोर्टिंग करने वाले ब्लॉकों की संख्या -633	

						633	633		
83	3.3.8: लक्षित एनडेमिक जिलों में से < 1% माइक्रोफ़िलेरिया दर (एमएफ) की रिपोर्टिंग करने वाले जिलों का प्रतिशत	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एनवीबीडीसीपी डिवीजन)	वार्षिक		< 1% माइक्रोफ़िलेरिया दर (एमएफ) की रिपोर्टिंग करने वाले जिलों की संख्या - 146	< 1% माइक्रोफ़िलेरिया दर (एमएफ) की रिपोर्टिंग करने वाले जिलों की संख्या - 188	< 1% माइक्रोफ़िलेरिया दर (एमएफ) की रिपोर्टिंग करने वाले जिलों की संख्या - 231	< 1% माइक्रोफ़िलेरिया दर (एमएफ) की रिपोर्टिंग करने वाले जिलों की संख्या -272	
84	3.7.1: वर्तमान में विवाहित महिलाओं,जिनकी आयु 15-49 वर्ष है, जिन्हें परिवार नियोजन की आवश्यकता है और आधुनिक तरीकों से संतुष्ट हैं, का प्रतिशत	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण)	3 साल		77.5		79.1	80	
85	3.7.3: संस्थागत जन्मों का प्रतिशत (5 वर्ष/1 वर्ष)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण)	3 साल		85		89	92	
86	3.7.4: वर्तमान में विवाहित महिलाओं (15-49 वर्ष), जो	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण)	3 वर्ष		52.4		54.3	55.3	

	परिवार नियोजन के आधुनिक तरीकों का उपयोग करती है, का प्रतिशत (संकेतक 3.8.1 और 5.6.1 के समान)								
87	3.7.5: 15-19 वर्ष की आयु की उन महिलाओं का प्रतिशत जो पहले से ही मां या गर्भवती थीं	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण)	3 वर्ष		7		6.5	5.5	
88	3.8.1: वर्तमान में विवाहित महिलाओं (15-49 वर्ष), जो परिवार नियोजन के आधुनिक तरीकों का उपयोग करती है, का प्रतिशत (संकेतक 3.7.4 और 5.6.1 के समान)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण)	3 वर्ष		52.4		54.3	55.3	
89	3.8.2: कुल पारिवारिक व्यय या आय के रूप में स्वास्थ्य पर बड़ा व्यय करने वाली आबादी का प्रतिशत	एसडीआरडी, एमओएसपीआई	5 वर्ष		उपलब्धि-चरण निर्धारित करना न तो व्यवहार्य है और न ही वांछित।				
90	3.8.3: एचआईवी से संक्रमित पाए गए जीवित व्यस्कों और बच्चों की संख्या के बीच वर्तमान में एआरटी प्राप्त कर रहे एचआईवी संक्रमित जीवित	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन)	वार्षिक		90	95	95	95	

	व्यक्तियों का प्रतिशत								
91	3.8.4: 15-49 वर्ष की आयु वाले पुरुषों और महिलाओं में उच्च रक्तचाप की व्यापकता वर्ष 2015-16 (प्रतिशत में)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण)	3 वर्ष		पुरुष: 15.40; महिला: 13.00	पुरुष: 16.50; महिला: 14.50	पुरुष: 17.40; महिला: 15.00	पुरुष: 18.00; महिला: 16.00	निर्धारित लक्ष्य, अधिकतम सीमा है।
92	3.8.5: 15-49 वर्ष की आयु वालों में ऐसी आबादी का प्रतिशत जिन्होंने उस आयु वर्ग के मधुमेह वाली कुल आबादी में उपचार की अपेक्षा की संसूचना दी है	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण)	3 वर्ष		पुरुष: 76.00, महिला: 83.04	पुरुष:81. 25, महिला: 85.65	पुरुष: 86.50, महिला: 88.26	पुरुष:90.0 0, महिला: 90.00	
93	3.8.6: 15-49 वर्ष की आयु की महिलाओं, जिन्होंने सर्विक्स (ग्रीवा) जांच कराई है, का प्रतिशत	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण)	3 साल		32.84	48.65	64.46	75	
94	3.8.7: किसी निर्दिष्ट अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरणों को अधिसूचित क्षय रोग के मामलों में से सफलतापूर्वक उपचारित (उपचारित और उपचार पूरा किया गया) क्षय रोग के मामलों का प्रतिशत	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (आरएनटीसीपी प्रभाग)	2 साल		> 90	> 90	> 90	> 90	

95	3.8.8: प्रति 10,000 जनसंख्या पर कुल चिकित्सक, नर्सें और मिडवाइफें, (संकेतक 3.ग.1 के समान)	सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	वार्षिक		42.5	44	45	45.5	
96	3.9.2: 15-49 वर्ष की आयु वाले पुरुषों और महिलाओं में अस्थमा की रिपोर्टिंग करने वालों का अनुपात	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण)	3 वर्ष		पुरुष: 1.15, महिला: 1.85	पुरुष: 1.10, महिला: 1.80	पुरुष:1.05, महिला: 1.75	पुरुष:1.0, महिला: 1.7	
97	3.क.1: तम्बाकू (धूम्रपान और निर्धूम) का सेवन करने वाले 15 वर्ष और उससे अधिक आयु. के व्यस्कों का प्रतिशत	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे)	5 वर्ष			24%		20%	
98	3.ख.1: 12-23 महीने की आयु वर्ग के बच्चों का प्रतिशत जो पूरी तरह से (बीसीजी, खसरा पेंटावेलेंट वैक्सीन की तीन खुराक) से प्रतिरक्षित है।	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण)	3 वर्ष		82		90	90	
99	3.ख.2: स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के लिए बजटीय आवंटन (करोड़ रूपये में)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	वार्षिक		3766	4704	5349.26	7119.87	
100	3.ग.1: प्रति 10,000 जनसंख्या पर कुल चिकित्सक, नर्सें और मिडवाइफें, प्रतिशत में (संकेतक 3.8.8 के समान)	लोक स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	वार्षिक		42.5	44	45	45.5	

101	3.ग.2: सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी व्यय (वर्तमान और पूंजी व्यय सहित) का प्रतिशत	राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, एनएसओ, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	वार्षिक		1.72	1.9	2.09	2.42	
102	5.6.1: वर्तमान में विवाहित महिलाओं (15-49 वर्ष), जो परिवार नियोजन के आधुनिक तरीकों का उपयोग करती है, का प्रतिशत (संकेतक 3.7.4 और 3.8.1 के समान)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण)	3 वर्ष		52.4		54.3	55.3	
103	5.6.2: वर्तमान में विवाहित महिलाओं, जिनकी आयु 15-49 वर्ष है, के लिए परिवार नियोजन के लिए अपूर्ण जरूरतें, 2015-16 (प्रतिशत में)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण)	3 वर्ष		11.3		10.8	10.5	
104	11.3.1: मास्टर योजनाओं वाले शहरों का अनुपात (11.क.1 के समान)	आवास और शहरी मामले मंत्रालय	वार्षिक	आवास और शहरी मामले मंत्रालय	60	75	90	100	

105	11.6.1: परिशोधित अपशिष्ट का प्रतिशत	आवास और शहरी मामले मंत्रालय	वार्षिक		85	95	100	100	
106	11.6.4: 100% डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रह वाले वार्डों का प्रतिशत	आवास और शहरी मामले मंत्रालय	वार्षिक		100	100	100	100	
107	11.क.1: मास्टर योजनाओं वाले शहरों का अनुपात (11.3.1 के समान)	आवास और शहरी मामले मंत्रालय	वार्षिक		60	75	90	100	
108	12.5.1: स्थापित किए गए अपशिष्ट पुनर्चक्रण संयंत्रों की संख्या	आवास और शहरी मामले मंत्रालय	वार्षिक		कोई विशिष्ट उपलब्धि-चरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एसडीजी संकेतक 11.6.1 परिशोधित अपशिष्ट का प्रतिशत के लिए उपलब्धि-चरण निर्धारित किए गए हैं।				
109	12.5.2: अपशिष्ट पृथक्करण तकनीकों का उपयोग करने वाले शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	आवास और शहरी मामले मंत्रालय	वार्षिक		डाटा स्रोत मंत्रालय ने संकेतक में परिशोधन का प्रस्ताव किया है। संगत मंच में संबंधित हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद संकेतक परिशोधित किया जाएगा और तदनुसार उपलब्धि-चरण निर्धारित किया जाएगा।				
110	6.2.1: शौचालय सुविधा तक पहुंच वाले घरों का अनुपात (शहरी एवं ग्रामीण)	जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण के लिए डीडब्ल्यूएस और शहरी के लिए एमआईएस, एनएसएस, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	ग्रामीण के लिए वार्षिक और शहरी के लिए 3 वर्ष	जल शक्ति मंत्रालय	2019-20 में प्राप्त किया गया।				
111	6.2.2: खुले में शौच-मुक्त (ओडीएफ) लक्ष्य को प्राप्त करने वाले जिलों का	डीडब्ल्यूएस, जल शक्ति मंत्रालय	वार्षिक		2019-20 में प्राप्त किया गया।				

	प्रतिशत					
112	6.4.1: उपलब्धता के सापेक्ष निष्कर्षित भौमजल का प्रतिशत	केंद्रीय भौमजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय	वार्षिक		केंद्रीय भौमजल बोर्ड द्वारा राज्य भौमजल/नोडल विभागों के साथ संयुक्त रूप से समय-समय पर गतिशील भौमजल संसाधनों का मूल्यांकन किया जा रहा है। (तीन वर्ष में एक बार)	
113	6.6.1: अति- दोहन करने वाले ब्लॉकों/ मंडलों / तालुकाओं का प्रतिशत	केंद्रीय भौमजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय	वार्षिक		केंद्रीय भौमजल बोर्ड द्वारा राज्य भौमजल/नोडल विभागों के साथ संयुक्त रूप से समय-समय पर गतिशील भौमजल संसाधनों का मूल्यांकन किया जा रहा है। (तीन वर्ष में एक बार)	
114	8.ख.1: एक विशिष्ट कार्यनीति के रूप में या एक राष्ट्रीय रोजगार कार्यनीति के भाग के रूप में युवा नियोजन के लिए एक विकसित और प्रचालनात्मक राष्ट्रीय कार्यनीति की मौजूदगी	श्रम और रोजगार मंत्रालय	वार्षिक	श्रम और रोजगार मंत्रालय	प्राप्त किया गया	
115	16.3.1: प्रति लाख जनसंख्या पर न्यायालयों की संख्या	विधि और न्याय मंत्रालय	वार्षिक	विधि और न्याय मंत्रालय	विधि एवं न्याय मंत्रालय ने सूचित किया है कि संकेतक के लिए उपलब्धि-चरण निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है।	
116	16.3.3: प्रति लाख जनसंख्या पर न्यायाधीशों की संख्या (सभी स्तर)	विधि और न्याय मंत्रालय	वार्षिक		विधि एवं न्याय मंत्रालय ने सूचित किया है कि संकेतक के लिए उपलब्धि-चरण निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है।	
117	8.3.3: एमएसएमई को बकाया ऋण	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	वार्षिक	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	संकेतक के संबंध में डाटा, आरबीआई से संग्रहित किया जा रहा है। इसलिए आरबीआई उपलब्धि-चरण निर्धारित कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि यह एमएसएमई क्षेत्रों को बकाया क्रेडिट के संदर्भ में बैंकों को कोई लक्ष्य निर्दिष्ट नहीं करता है।	
118	8.3.4: ऑनलाइन उद्योग आधार पंजीकरण के तहत पंजीकृत एमएसएमई इकाइयों की संख्या	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	वार्षिक		डाटा स्रोत मंत्रालय ने संकेतक में परिशोधन का प्रस्ताव किया है। संगत मंच में संबंधित हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद संकेतक परिशोधित किया जाएगा और तदनुसार उपलब्धि-चरण निर्धारित किया जाएगा।	

119	9.3.2: कुल समायोजित नेट बैंक क्रेडिट के प्रतिशत के रूप में एमएसएमई को क्रेडिट फ्लो का प्रतिशत	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	वार्षिक		संकेतक के संबंध में डाटा, आरबीआई से संग्रहित किया जा रहा है। इसलिए आरबीआई उपलब्धि-चरण निर्धारित कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि यह एमएसएमई क्षेत्रों को बकाया क्रेडिट के संदर्भ में बैंकों को कोई लक्ष्य निर्दिष्ट नहीं करता है।				
120	7.1.1: विद्युतीकृत घरों का प्रतिशत	विद्युत मंत्रालय	वार्षिक	विद्युत मंत्रालय	2021 में प्राप्त किया गया।				
121	9.4.1: कुल सीओ2 उत्सर्जन की शक्ति क्षेत्र प्रति इकाई के जीडीपी की प्रति यूनिट विद्युत क्षेत्र का कुल कार्बन डाइ ऑक्साइड उत्सर्जन (टन/करोड़ रूपये)	विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	वार्षिक				1173 मिलियन टन	1287 मिलियन टन	
122	1.3.3: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के तहत रोजगार की मांग करने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में नियोजित व्यक्ति	ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय	वार्षिक	ग्रामीण विकास मंत्रालय	डाटा स्रोत मंत्रालय ने संकेतक में परिशोधन का प्रस्ताव किया है। संगत मंच में संबंधित हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद संकेतक परिशोधित किया जाएगा और तदनुसार उपलब्धि-चरण निर्धारित किया जाएगा।				
123	1.3.4: ऐसे स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या जिन्हें बैंक क्रेडिट लिंकेज प्रदान किया गया	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	वार्षिक		मौजूदा संकेतक को परिशोधित करने की आवश्यकता है और कार्यान्वयन मंत्रालय ने परिशोधित संकेतक के लिए उपलब्धि-चरण प्रदान किया है। प्रासंगिक मंच में संबंधित हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद संकेतक को परिशोधित किया जाएगा।				
124	5.क.5: बैंक –संबद्ध स्व-सहायता समूहों में अनन्य महिला स्वयं सहायता समूह (प्रतिशत)	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	वार्षिक						

125	8.8.3: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के तहत सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त कर रहे घरों का प्रतिशत	ग्रामीण विकास मंत्रालय	वार्षिक		डाटा स्रोत मंत्रालय ने संकेतक के विलोपन का प्रस्ताव किया है। संगत मंच में संबंधित हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद संकेतक का विलोप किया जाएगा और तदनुसार उपलब्धि-चरण निर्धारित किया जाएगा।				
126	9.5.2: शोधकर्ता (पूर्ण समय समतुल्य में) प्रति लाख आबादी	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	वार्षिक	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचित किया है कि संकेतक के लिए उपलब्धि-चरण निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि इसे विभिन्न डाटा स्रोतों का उपयोग करके संकलित किया गया है।				
127	1.3.6: सरकार द्वारा वित्त पोषित वरिष्ठ नागरिक होम्स/दिन देखभाल केंद्र के माध्यम से संस्थागत सहायता प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	वार्षिक	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	1336064	1658894	2021724	2640969	
128	3.5.2: नशामुक्ति केंद्रों में उपचारित व्यक्तियों की संख्या (संख्या में)	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	वार्षिक		1230300	1573300	2012565	2855427	
129	8.9.1: कुल सकल घरेलू उत्पाद और विकास दर में पर्यटन का प्रत्यक्ष योगदान	पर्यटन मंत्रालय	वार्षिक	पर्यटन मंत्रालय	डाटा स्रोत मंत्रालय ने सूचित किया है कि उपलब्धि-चरण निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं हैं क्योंकि कोविड-19 के कारण पूरे विश्व में पर्यटन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है।				
130	8.9.2: पिछले वर्ष की तुलना में पर्यटकों (घरेलू और विदेशी) द्वारा भ्रमण की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन	पर्यटन मंत्रालय	वार्षिक		पर्यटन मंत्रालय ने विश्व के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आवक में विदेशी पर्यटक आवक के भारतीय भाग को वर्ष 2020 तक 1% और वर्ष 2025 तक 2% बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।				

131	12.ख.1: पर्यटन स्थिरता के आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं की निगरानी के लिए मानक लेखांकन तंत्रों का कार्यान्वयन	पर्यटन मंत्रालय	वार्षिक		डाटा स्रोत मंत्रालय ने सूचित किया है कि उपलब्धि-चरण निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं हैं क्योंकि कोविड-19 के कारण पूरे विश्व में पर्यटन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है।	
132	16.क.1: पेरिस सिद्धांतों के अनुपालन में स्वतंत्र राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं का अस्तित्व	भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग	वार्षिक	भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग	प्राप्त किया गया	
133	15.3.1: कुल भूमि क्षेत्र की तुलना में निम्नीकृत (डिग्रेडेड) भूमि का अनुपात	राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), अंतरिक्ष विभाग	5 वर्ष	अंतरिक्ष विभाग	वर्तमान में एनआरएससी में भूमि निम्नीकरण (डिग्रेडेशन) की निगरानी के लिए कोई परियोजना अभिचिह्नित नहीं की गई है।	
134	1.1.1: निर्धनता अंतर अनुपात	नीति आयोग	5 वर्ष	नीति आयोग	दोनों संकेतकों के लिए नवीनतम अनुमान, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा किए गए उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण 2011-12 पर आधारित हैं। लक्ष्य निर्धारण में सक्षम होने के लिए नवीनतम दौर का डाटा रिलीज नहीं किया गया है।	
135	1.2.1: राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली आबादी का अनुपात	नीति आयोग	5 वर्ष			
136	5.4.1: अदत्त घरेलू और देखभाल कार्य पर व्यय किए गए समय का अनुपात	टीयूएस, एनएसएस, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	3 वर्ष	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	इस संकेतक के लिए उपलब्धि-चरण निर्धारित करना संभव नहीं है।	

137	17.18.2: क्या देश में राष्ट्रीय सांख्यिकीय विधायन हैं जो आधिकारिक सांख्यिकीय आंकड़ों के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसरण में हैं।	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	वार्षिक		प्राप्त किया गया				
138	16.9.2: आधार के अंतर्गत कवर की गई आबादी का अनुपात	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	वार्षिक	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	92.63	93.61	94.65	96.28	
139	9.1.2: परिवहन के माध्यम से यात्री और माल ढुलाई मात्रा	(1) रेलवे द्वारा यात्री संचालन और माल ढुलाई मात्रा के लिए डेटा स्रोत रेलवे बोर्ड है (2) सड़क द्वारा यात्री संचालन और द्वारा माल ढुलाई मात्रा के लिए डेटा स्रोत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का अनुसंधान विंग है (3). वायु मार्ग द्वारा यात्री संचालन और माल ढुलाई मात्रा के लिए डेटा स्रोत नागर विमानन मंत्रालय है	वार्षिक	(1) रेलवे द्वारा यात्री संचालन और माल ढुलाई मात्रा के लिए डेटा स्रोत रेलवे बोर्ड है (2) सड़क द्वारा यात्री संचालन और द्वारा माल ढुलाई मात्रा के लिए डेटा स्रोत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का अनुसंधान विंग है (3). वायु मार्ग द्वारा यात्री संचालन और माल ढुलाई मात्रा के लिए डेटा स्रोत नागर विमानन मंत्रालय है	सड़क परिवहन द्वारा अनुमानित यात्री संचालन:36819.36 है, सड़क परिवहन द्वारा अनुमानित परिवहन भाडा: 3835.05 (बिलियन टन) है	सड़क परिवहन द्वारा अनुमानित यात्री संचालन: 47014.63 है, सड़क परिवहन द्वारा अनुमानित परिवहन भाडा: 4573.16(बिलियन टन) है	सड़क परिवहन द्वारा अनुमानित यात्री संचालन: 60032.99 है, सड़क परिवहन द्वारा अनुमानित परिवहन भाडा: 5453.33 (बिलियन टन) है	सड़क परिवहन द्वारा अनुमानित यात्री संचालन: 86621.42 है, सड़क परिवहन द्वारा अनुमानित परिवहन भाडा: 7101.17 (बिलियन टन) है	

140	1.4.1: बुनियादी सेवाओं वाले घरों में रहने वाली आबादी का अनुपात	जल शक्ति मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय,	वार्षिक	जल शक्ति मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय,	संकेतक 6 विभिन्न राष्ट्रीय संकेतकों का संयोजन है और ऐसे संकेतकों के लिए लक्ष्य संबंधित एसडीजी के तहत निर्धारित किया जाएगा।	
141	7.3.1: प्राथमिक ऊर्जा और सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में मापी गई ऊर्जा तीव्रता, (मेगा जूल प्रति रुपये में)	पेट्रोलियम और कार्यला मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	वार्षिक	पेट्रोलियम और कार्यला मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	संकेतक के लिए लक्ष्य निर्धारित करना संभव नहीं है क्योंकि इसे भिन्न डेटा स्रोतों का उपयोग करके संकलित किया गया है।	
142	15.6.1: क्या देश ने लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे को सुनिश्चित करने के लिए विधायी, प्रशासनिक और नीतिगत ढांचे को अपनाया है?	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	वार्षिक	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	2021 में प्राप्त कर लिया गया।	

शेष संकेतकों के लिए, संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने सूचित किया है कि वे अभी भी अपने संबंधित प्रभागों/एककों/इकाइयों या अन्य संबंधित मंत्रालयों (जहां लागू हो) के साथ काम कर रहे हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय शेष संकेतकों पर लक्ष्य निर्धारण की सुविधा के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ बातचीत करना जारी रखेगा।

95

अनुलग्नक III

राज्यवार मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर)

क्र.सं.	भारत/राज्य	2016-18
1	आंध्र प्रदेश	65
2	असम	215
3	बिहार	149
4	झारखंड	71
5	गुजरात	75
6	हरियाणा	91
7	**भारत**	113
8	कर्नाटक	92
9	केरल	43
10	मध्य प्रदेश	173
11	छत्तीसगढ़	159
12	महाराष्ट्र	46
13	ओडिशा	150
16	पंजाब	129
14	राजस्थान	164
15	तमिलनाडु	60
16	तेलंगाना	63
17	उत्तराखंड	99
18	उत्तर प्रदेश	197
19	पश्चिम बंगाल	98
20	अन्य राज्य	85

अनुलग्नक- IV

एसआरएस 2018 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु की बाल मृत्यु दर (यू5एमआर) के तहत

क्र.सं.	राज्य	यू5एमआर
	भारत	36
1	आंध्र प्रदेश	33
2	असम	47
3	बिहार	37
4	छत्तीसगढ़	45
5	दिल्ली	19
6	गुजरात	31
7	हरियाणा	36
8	हिमाचल प्रदेश	23
9	जम्मू और कश्मीर	23
10	झारखंड	34
11	कर्नाटक	28
12	केरल	10
13	मध्य प्रदेश	56
14	महाराष्ट्र	22
15	ओडिशा	44
16	पंजाब	23
17	राजस्थान	40
18	तमिलनाडु	17
19	तेलंगाना	30
20	उत्तर प्रदेश	47
21	उत्तराखंड	33
22	पश्चिम बंगाल	26

अनुलग्नक- V

भारत/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नवजात मृत्यु दर (एनएमआर) की स्थिति (2018)

भारत	23
आंध्र प्रदेश	21
असम	21
बिहार	25
छत्तीसगढ़	29
दिल्ली	10
गुजरात	19
हिमाचल प्रदेश	13
जम्मू और कश्मीर	17
झारखंड	21
कर्नाटक	16
केरल	5
मध्य प्रदेश	35
महाराष्ट्र	13
ओडिशा	31
पंजाब	13
राजस्थान	26
तमिलनाडु	10
तेलंगाना	19
उत्तर प्रदेश	32
उत्तराखंड	22
पश्चिम बंगाल	16

अनुलग्नक-VI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंपे गए सतत विकास लक्ष्य-3 के तहत 44 संकेतकों का विवरण

एसडीजी लक्ष्य	एनआईएफ के तहत संकेतक	भारत
(लक्ष्य 1) 1.3 : फ्लोर सहित सभी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों और उपायों को लागू करना, तथा सन् 2030 तक गरीबों और कमजोर लोगों के लिए पर्याप्त कवरेज हासिल करना	(1) (1.3.1) स्वास्थ्य योजना या स्वास्थ्य बीमा (%),एनएफएचएस -4 द्वारा कवर किए गए किसी भी सामान्य सदस्य वाले परिवारों का प्रतिशत	28.7
(लक्ष्य 2) 2.1: 2030 तक, भूखमरी को समाप्त करना और सभी लोगों, विशेष रूप से गरीबों तथा शिशुओं सहित विषम परिस्थितियों में लोगों तक पूरे वर्ष सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	(2.1.1) कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत (आयु के अनुसार वजन(-2एसडी से कम)%, एनएफएचएस -4	35.7
(लक्ष्य 2) 2.2: 2030 तक, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अवरुद्ध विकास और यक्ष्मा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने सहित, कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करना, और 2025 तक किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और वृद्धों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना।	(3) (2.2.1) अविकसित बच्चों का प्रतिशत (उम्र के अनुसार लम्बाई), एनएफएचएस-4	38.4
	(4) (2.2.2) यक्ष्मा पीड़ित बच्चों का प्रतिशत (लम्बाई के लिए वजन (निम्न - 2एसडी)%, एनएफएचएस-4	21.0
	(5) (2.2.3) महिलाओं का प्रतिशत (आयु 15-49) जिनका बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) सामान्य से नीचे है (<18.5 किग्रा/एम2), एनएफएचएस-4 , 2015-16	22.9
	(6) (2.2.4) 15-49 वर्ष की गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत जो अनीमिया ग्रस्त हैं (<11.0 ग्राम/डीएल) एनएफएचएस-4 , 2015-16	50.4
	(7) (2.2.5) 6-59 माह की आयु वाले बच्चों का प्रतिशत जो अनीमिया ग्रस्त हैं (<11.0 ग्राम/डी), एनएफएचएस-4 , 2015-16	58.5
(लक्ष्य 3) 3.1 : 2030 तक वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात को कम करके प्रति 100,000 जीवित	(8) (3.1.2) कुशल स्वास्थ्य कर्मियों के संरक्षण में जन्म का प्रतिशत (सर्वेक्षण से पूर्व 5 वर्ष), एनएफएचएस-5	81.4

एसडीजी लक्ष्य	एनआईएफ के तहत संकेतक	भारत
जन्म की तुलना में 70 से कम करना	(9) (3.1.3) कुशल स्वास्थ्य कर्मियों के संरक्षण में जन्म का प्रतिशत (पिछले एक वर्ष) एनएफएचएस-4, 2015-16	84.4
	(10) (3.1.4) 15-49 वर्ष की आयु की उन महिलाओं का प्रतिशत जिन्होंने जीवित बच्चे को जन्म दिया, जिन्होंने प्रसवपूर्व चार गुना या उससे अधिक देखभाल प्राप्त की, (5 वर्ष), एनएफएचएस -4, 2015-16	51.2
(लक्ष्य 3) 3.2 : 2030 तक, नवजात शिशुओं और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को समाप्त करना, सभी देशों का लक्ष्य नवजात मृत्यु दर को कम से कम 12 प्रति 1,000 जीवित जन्म और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को कम से कम 25 प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर लाना है।	(11) (3.2.3) 12-23 महीने की आयु के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण (बीसीजी, खसरा और पेंटावैलेंट वैक्सीन की तीन खुराक), एनएफएचएस -4, 2015-16	62.0
(लक्ष्य 3) 3.3: 2030 तक, एड्स, क्षय रोग, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारियों को समाप्त करना और हेपेटाइटिस, जलजनित रोगों और अन्य संक्रामक रोगों का सामना करना	*(12) (3.3.1)* प्रति 1,000 असंक्रमित जनसंख्या पर नए एचआईवी संक्रमणों की संख्या (घटना दर) (नाको)	2019-20 में 0.05
	(13) (3.3.2) प्रति 100,000 जनसंख्या पर क्षय रोग की घटना (एनटीईपी)	2019 = 193
	(14) (3.3.3) प्रति 1,000 जनसंख्या पर मलेरिया की व्यापकता (एनवीबीडीसीपी)	2020 = 0.13
	(15) (3.3.4) प्रति 1 लाख जनसंख्या पर	0.95%

एसडीजी लक्ष्य	एनआईएफ के तहत संकेतक	भारत
	हेपेटाइटिस 'बी' की व्यापकता (एनएफएचएस-4)	
	(16) (3.3.5) डेंगू: मृत्यु मामले अनुपात (सीएफआर) (एनवीबीडीसीपी)	2020 = 0.06
	(17) (3.3.6) चिकनगुनिया मामलों की संख्या (एनवीबीडीसीपी)	संकेतक समाप्त कर दिया गया है।
	(18) (3.3.7) कुल स्थानिक ब्लॉकों में से प्रति 10,000 जनसंख्या पर <1 काला-अजार मामले की रिपोर्ट करने वाले ब्लॉकों का प्रतिशत (एनवीबीडीसीपी)	2020=97.47
	(19) (3.3.8) लक्षित स्थानिक जिलों में से जिला रिपोर्टिंग का प्रतिशत <1% माइक्रोफाइलेरिया दर (एमएफ) (एनवीबीडीसीपी)	2020=36.03
	(20) (3.3.6) प्रति 10 लाख जनसंख्या पर पाए गए कुष्ठ रोग के नए मामलों में ग्रेड-2 के मामलों का अनुपात (एनएलईपी)	2019-20 में 1.96
	(21) (3.3.1) : एचआईवी वयस्क प्रसार दर (नाको)	संकेतक समाप्त कर दिया गया है।
(लक्ष्य 3) 3.4: 2030 तक, रोकथाम और उपचार के माध्यम से गैर-संक्रामक रोगों से समय से पहले होने वाली मृत्यु दर को एक तिहाई कम करना और मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना	(22) (3.4.1): कैंसर के कारण हुई मृत्यु	समीक्षाधीन

एसडीजी लक्ष्य	एनआईएफ के तहत संकेतक	भारत
(लक्ष्य 3) 3.5:मादक पदार्थों के सेवन और शराब के हानिकारक उपयोग सहित मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम और उपचार को सुदृढ़ बनाना	(23) (3.5.1) कुल शराब पीने वालों में से 15-49 आयु वर्ग की महिलाओं का प्रतिशत जो सप्ताह में एक बार शराब पीती हैं (आंकड़े 3.5.3 संकेतक में दिए गए हैं) (एनएफएचएस-4), 2015-16	35.0
	(23) (3.5.1) कुल शराब पीने वालों में से 15-49 आयु वर्ग की पुरुषों का प्रतिशत जो सप्ताह में एक बार शराब पीते हैं (आंकड़े 3.5.3 संकेतक में दिए गए हैं) (एनएफएचएस -4) 2015-16	पुरुष 15-49 = 40.7
	(24) (3.5.3): शराब पीने वाले पुरुषों (15-54) का प्रतिशत, एनएफएचएस -4) 2015-16	29.5
	(24) (3.5.3) संकेतक: शराब पीने वाली महिलाओं (15-49) का प्रतिशत, (एनएफएचएस -4) 2015-16	1.2
(लक्ष्य 3) 3.7:2030 तक, परिवार नियोजन के लिए सूचना और शिक्षा सहित यौन और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना और राष्ट्रीय कार्यनीतियों और कार्यक्रमों में प्रजनन स्वास्थ्य का एकीकरण सुनिश्चित करना।	(25) (3.7.1) वर्तमान में विवाहित महिलाओं (15-49) का प्रतिशत जिनकी परिवार नियोजन की आवश्यकता को आधुनिक तरीकों से पूरा किया हो (एनएफएचएस -4), 2015-16	71.9
	(26) (3.7.5) 15-19 वर्ष की आयु की महिलाओं का प्रतिशत जो पहले से ही मां या गर्भवती थीं, (एनएफएचएस -4), 2015-16	7.9
	(27) (3.7.3) संस्थागत जन्मों का प्रतिशत (5 वर्ष) (एनएफएचएस -4), 2015-16	78.9
(लक्ष्य 3) 3.8:वित्तीय जोखिम संरक्षण, गुणवत्तापूर्ण आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच और सभी के लिए	(28) (3.8.1) वर्तमान में विवाहित महिलाओं(15-49 आयु वर्ग) का प्रतिशत जो किसी भी आधुनिक परिवार नियोजन तरीकों का उपयोग करती हैं (एनएफएचएस -4), 2015-16	47.7

एसडीजी लक्ष्य	एनआईएफ के तहत संकेतक	भारत
सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्ता और सस्ती आवश्यक दवाओं और टीकों सहित सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना	(29) (3.8.7) एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों को अधिसूचित टीबी मामलों में से सफलतापूर्वक इलाज किए गए टीबी के मामलों (ठीक और उपचार पूरा हो चुका) का प्रतिशत (एनटीईपी, 2019)	81
	(30) (3.8.3) पहचाने गए एचआईवी के साथ रहने वाले वयस्कों और बच्चों की संख्या में वर्तमान में एआरटी प्राप्त कर रहे एचआईवी के साथ जीवित लोगों का प्रतिशत (नाको, 2019-20)	84
	(31) (3.8.4) उच्च रक्तचाप की व्यापकता - महिलाएं (15-49), (एनएफएचएस-4), 2015-16	11.0
	(31) (3.8.4) – उच्च रक्तचाप की व्यापकता- पुरुष (15-49 वर्ष), (एनएफएचएस-4), 2015-16	14.8
	(32) (3.8.5) 15-49 आयु वर्ग में जनसंख्या का प्रतिशत जिन्होंने (एनएफएचएस-4), 2015-16 में कुल जनसंख्या में से मधुमेह वाले उस आयु वर्ग में उपचार/इलाज की मांग की थी	पुरुष= 72.50 महिला = 81.30
	(33) (3.8.6) 15-49 आयु वर्ग की महिलाओं का प्रतिशत जो कभी गर्भाशय ग्रीवा जांच से गुजरी हैं (एनएफएचएस-4), 2015-16	22.3
	(34) (3.8.7) 15-49 आयु वर्ग की महिलाओं एवं पुरुषों में वर्तमान तंबाकू के प्रयोगों की व्यापकता	सूचकांक हटा दिया गया है।
	(35) (3.8.8) प्रति 10000 जनसंख्या पर कुल चिकित्सक, नर्स और मिडवाइफ (2020)	31.30
(लक्ष्य 3) 3.9 2030 तक, खतरनाक रसायनों और वायु, जल और मृदा प्रदूषण और प्रदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या को काफी हद तक कम करना।	(36) (3.9.2) अस्थमा से पीड़ित (15-49) महिलाओं का प्रतिशत, (एनएफएचएस-4), 2015-16	1.9
	(36) (3.9.2) अस्थमा से ग्रस्त (15-49), पुरुषों का प्रतिशत (एनएफएचएस-4), 2015-16	1.2

एसडीजी लक्ष्य	एनआईएफ के तहत संकेतक	भारत
(लक्ष्य 3) 3.क : सभी देशों में तंबाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रेमवर्क सम्मेलन के कार्यान्वयन को मजबूत करना, जैसा उपयुक्त हो।	(37) (3.क.1): 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों का किसी भी प्रकार के तंबाकू (धूम्रपान एवं धुंआरहित) का प्रयोग करने वालों का, 2016-17 (जीएटीएस) प्रतिशत	28.6
(लक्ष्य 3) 3.ख: संक्रामक और गैर-संक्रामक रोगों, जो मुख्य रूप से विकासशील देशों को प्रभावित करते हैं, के टीकों और दवाओं के अनुसंधान और विकास में सहायता करना और ट्रिप्स समझौते और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा जो विकासशील देशों के सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए लचीलेपन के संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलुओं पर समझौते में प्रावधानों के पूर्ण उपयोग के अधिकार की पुष्टि करती है, के अनुसार सस्ती आवश्यक दवाओं और टीकों तक पहुंच प्रदान कराना, और विशेष रूप से सभी के लिए दवाओं तक पहुंच प्रदान करना।	(38) (3.ख.2): स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के लिए बजटीय आबंटन (डीएचआर), 2020-21 (करोड़ रु. में)	2100 करोड़
(लक्ष्य 3) 3. ग विकासशील देशों, विशेष रूप से कम विकसित देशों और छोटे द्वीप विकासशील राज्यों में स्वास्थ्य वित्त पोषण और स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती, विकास, प्रशिक्षण और प्रतिधारण में पर्याप्त वृद्धि करना	(39) (3.ग.1) प्रति 10,000 जनसंख्या पर कुल चिकित्सक, नर्स एवं मिडवाइफों की कुल संख्या (चिकित्सा शिक्षा, 2020)	31.30

एसडीजी लक्ष्य	एनआईएफ के तहत संकेतक	भारत
(लक्ष्य 5) 5.2 : सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सभी महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसा को खत्म करना, जिसमें तस्करी और यौन और अन्य प्रकार के शोषण शामिल हैं।	(40) (5.2.6) : 15-49 वर्ष की आयु में विवाहित महिलाओं का प्रतिशत, जिन्होंने (एनएफएचएस-4), 2015-16 में अपने पति द्वारा की गई शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है।	30.9
(लक्ष्य 5)5.3 : सभी हानिकारक प्रथाओं, जैसे कि बालविवाह अल्प-आयु में एवं जबरदस्ती विवाह एवं महिला जनानांग विकृति को समाप्त करना।	(41) (5.3.1) : 20-24 वर्ष की महिलाओं का प्रतिशत जिनकी शादी 18 वर्ष की उम्र में हुई थी (एनएफएचएस-4), 2015-16	26.8
(लक्ष्य 5) 5.6 : जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्रवाई के कार्यक्रम और कार्रवाई के लिए बीजिंग प्लेटफार्म और उनके समीक्षा सम्मेलनों के परिणाम दस्तावेजों के अनुसार यथा सहमत यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एवं प्रजनन अधिकारों के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना।	(42) (5.6.1) वर्तमान में विवाहित महिलाओं (15-49 वर्ष) का प्रतिशत जो परिवार नियोजन के आधुनिक तरीकों का उपयोग करती हैं, 2015-16 (3.7.4 एवं 3.8.1 के समान) (एनएफएचएस-4), 2015-16	47.7
	(43) (5.6.2) : वर्तमान में 15-49 वर्ष के आयु वर्ग की विवाहित महिलाओं के लिए परिवार नियोजन की अधूरी आवश्यकता पूरी नहीं रही, 2015-16 (प्रतिशत में) (एनएफएचएस-4), 2015-16	12.9
	(44) (5.6.3)) 15-24 वर्ष के आयु वर्ग में एचआईवी/एड्स की सही जानकारी के साथ जनसंख्या का प्रतिशत (एनएफएचएस-4), 2015-16	पुरुष= 31.50 महिला = 21.70

अध्याय-तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार से प्राप्त उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती

-शून्य-

अध्याय-चार

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है, और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

- शून्य-

अध्याय-पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार से अंतरिम उत्तर प्राप्त हुए हैं/कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है

- शून्य-

नई दिल्ली
दिसंबर, 2022
अग्रहायण, 1944 (शक)

अधीर रंजन चौधरी
सभापति,
लोक लेखा समिति

(परिशिष्ट-दो)

[प्राक्कथन का पैरा 5 देखें]

लोक लेखा समिति के 32वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/ टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

(एक)	कुल सिफारिशों/ टिप्पणियों की संख्या	**20**
(दो)	समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है पैरा सं. 1-20	**कुल – 20** **प्रतिशत– 100%**
(तीन)	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती **-शून्य-**	**कुल – 0** **प्रतिशत –0 %**
(चार)	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराने की आवश्यकता है **-शून्य-**	**कुल – 0** **प्रतिशत – 0%**
(पांच)	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर प्रस्तुत किए हैं : **-शून्य-**	**कुल – 0** **प्रतिशत – 0%**